खण्ड-224, अंक-7
बुधवार, 27 वैशाख, शक संवत् 1883
(17 मई, 1961 ई0)

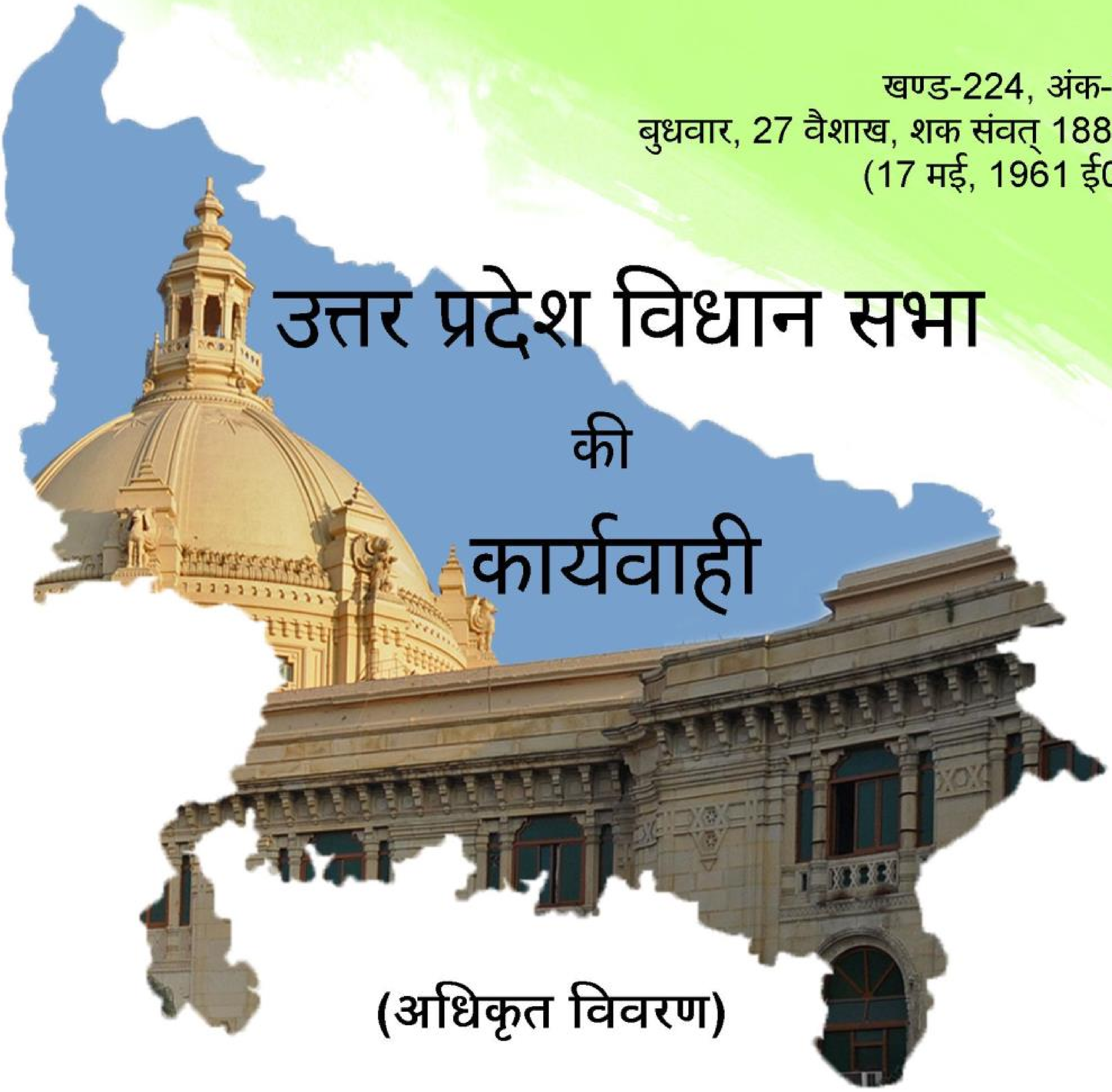

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 224 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १७ मई, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३१७

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री

गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
धनीराम, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवान सिंह, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुर सिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसाद सिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअवार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामभूति, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री

रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रूर्मसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
बजरंगविहारीलाल रावत, श्री
बशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखनलाल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुखराजप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १७ मई, १९६१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जेल विभाग में गोलमाल की शिकायत

**१—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार का ध्यान १९६० में नियुक्त जेल मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष के उस बयान की ओर गया है जिसमें उन्होंने जेल उद्योग विभाग में भारी गोलमाल का उल्लेख किया है ?

आबकारी मंत्री (डाक्टर सीताराम)—समिति विघटित होने के पश्चात् समाचार-पत्रों में छपे उनके कुछ बयान सरकार के नोटिस में आये हैं।

**२—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (अनुपस्थित)—अगर हां, तो क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उसने उसके संबंध में क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर सीताराम—उन बयानों में कार्यवाही करने योग्य कुछ नहीं पाया गया।

**३—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार ने जनवरी, १९६१ में उपर्युक्त जेल मूल्यांकन समिति को भंग कर दिया है ? अगर हां, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—इसका उत्तर गत २८ अप्रैल, १९६१ को श्री गोविन्दसिंह बिष्ट के प्रश्न संख्या १२ के उत्तर में दिया जा चुका है।

उर्दू भाषा संबंधित समिति का सृजन

**४—श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेशीय सरकार ने इस बात की रिपोर्ट के लिये, कि उर्दू भाषा को प्रदेश में जो-जो सुविधायें अब तक सरकार द्वारा मिली हैं उन पर कहां तक अमल हो रहा है, जो कमेटी नियुक्त की थी उसने अपनी रिपोर्ट सरकार ने समक्ष प्रस्तुत की है अथवा नहीं ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—जिस कमेटी का जिक्र प्रश्न में किया गया है उसके सृजन की कार्यवाही हो रही है। प्रस्तावित सभापति और सदस्यों से उनकी सहमति मांगी गई है।

उत्तराखण्ड में मुख्य सचिव का दौरा

**५—श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, १९६१ से आज तक बार्डर कमिश्नर व असिस्टेंट कमिश्नर ने उत्तराखंड का कहां-कहां दौरा किया है ?

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—बार्डर कमिश्नर व असिस्टेंट कमिश्नर के कोई पद सरकार द्वारा सृजित नहीं हुये। हां, मुख्य सचिव को उत्तराखंड डिवीजन के आयुक्त का कार्यभार सौंपा गया है और मुख्य सचिव शाखा के उपसचिव श्री ज्ञान स्वरूप गुप्ता अपने अन्य कार्य के साथ-साथ, उत्तराखंड डिवीजन के अतिरिक्त आयुक्त का कार्य भी करते हैं।

पहली जनवरी, १९६१ से अब तक मुख्य सचिव ने उत्तरकाशी जिले का दौरा किया है। वे ११ अप्रैल को उत्तरकाशी, १२ अप्रैल को भटवारी, १३ को बरकोट और नौगांव और १४,१५ अप्रैल को धरासू और टेहरी का दौरा करने के पश्चात् वापस आये। अतिरिक्त आयुक्त, श्री गुप्ता ने २३ अप्रैल, १९६१ से २७ अप्रैल, १९६१ तक पिथौरागढ़ का दौरा किया। उन्हें इस दौरान में पिथौरागढ़ में अपील के मुकदमे भी करने थे।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि उत्तराखंड एक विशेष परिस्थिति में बनाया गया था और जैसा कि दौरे का विवरण दिया गया कि उसमें कमिश्नर को कैसेज भी करने पड़ते हैं और इधर सेक्रेटेरियट का काम भी करना पड़ता है, इस बात पर विचार करकें कि उत्तराखंड का एक अलग कमिश्नर बना दिया जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अभी तो इस तरह का कोई विचार नहीं है। जब उत्तराखंड बनाया गया था तो इस विषय पर विचार हुआ था और यह निर्णय हुआ था कि चूंकि सारे विभागों के अधिकार, जो अभी तक आयुक्त को होते हैं, वह कमिश्नर को दे दिये जायेंगे तो वही व्यक्ति इन अधिकारों को सुगमता के साथ चला सकता है जो कि यहां का मुख्य सचिव हो और जब सारे मंत्रियों के भी अधिकार मुख्य मंत्री को सौंप दिये गये तो मुख्य मंत्री के मुख्य सचिव को इन कार्यों के लिये उपयुक्त व्यक्ति समझा गया था और सरकार उनको आज भी उन कार्यों का भार संभालने के लिये, जो उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में हैं, उपयुक्त व्यक्ति समझती है।

श्री प्रतापसिंह---क्या मुख्य मंत्री जी बतलायेंगे कि उन्होंने इस सदन में जब यह आश्वासन दिया कि वह स्वयं मुख्य सचिव के साथ उत्तराखंड कमिश्नरी का और गरब्यांग और कालापानी का भी दौरा करेंगे तो फिर मुख्य मंत्री ने अपने उस आश्वासन को रद्द क्यों कर दिया ? इसका क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अभी इस विषय में कि कब वह जायं, मैंने निर्णय नहीं लिया है क्योंकि कई प्रश्न मुख्य सचिव के विषय में और वहां के उत्तराखंड के विषय में विचाराधीन हैं। जब मैं उन पर निर्णय लूंगा तो अवश्य कोई व्यक्ति जब उधर दौरा करने के लिये जायगा तो उस स्थान का निरीक्षण करेगा और फिर मुझे आकर वह रिपोर्ट देगा।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि उत्तराखंड में कम्युनिस्टों का प्रचार बड़े जोर के साथ चल रहा है और किसी न किसी सरकार के ऐसे आदमी को वहां हर वक्त मौजूद रहना चाहिये जो बहुत जिम्मेदार हो पुनः विचार करेंगे कि वहां पर अलग से एक कमिश्नर नियुक्त करें ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---वहां तो सरकारी अफसर हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और बड़े अफसर। उनको काफी अधिकार हैं कि यदि कोई ऐसी चीज हो तो उसके लिये रोकथाम कर सकें।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या यह सही है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस प्रश्न पर भी अपनी नव-घोषित प्रदेशीय नीति के संबंध में विचार कर रहे हैं कि बार्डर कमिश्नरी और कुमायूं डिवीजन के कमिश्नर का एक पद कर दिया जाय क्योंकि कुमायूं और बार्डर का प्रश्न एक ही है, बार्डर के कमिश्नर की जो बातचीत कर रहे हैं उसके साथ इस प्रश्न पर भी विचार कर रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अभी इस तरह का कोई विचार किया नहीं है। यदि इस प्रकार की बात उपयुक्त तब समझी जायगी और उपयुक्त ढंग से कार्यान्वित की जा सकेगी तो इस प्रश्न पर भी विचार किया जा सकता है।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मुख्य मंत्री सदन की जानकारी के लिये बतलायेंगे कि बार्डर कमिश्नर के साथ-साथ मुख्य मंत्री स्वयं भी गरब्यांग जायेंगे ऐसा उन्होंने पहले कहा था, तो अब वह जाने का इरादा रखते हैं? यदि हां, तो कब ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जब आप छुट्टी देंगे।

प्रधान मंत्री के सम्मानार्थ प्रीति-भोज

६—श्री टम्बरेश्वरप्रसाद** (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक ३० अप्रैल, १९६१ को सरकार की ओर से कोई State Dinner दिया गया था? अगर हां, तो उसमें किस-किस श्रेणी (Rank) के लोग बुलाये गये थे और उसका आधार क्या था?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—दिनांक ३० अप्रैल, १९६१ को मुख्य मंत्री की ओर से प्रधान मंत्री जी के सम्मानार्थ अनौपचारिक रूप से एक प्रीति-भोज दिया गया था। उसमें मंत्रिमण्डल के सदस्य, विधान मण्डल के कुछ सदस्य, राज्य तथा सेना के कुछ प्रमुख पदाधिकारियों तथा नगर के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया था। यथासंभव सभी श्रेणी के लोगों को, जिनकी इस अवसर पर आवश्यकता समझी गई, बुलाया गया था।

कानपुर बिजली मजदूर सभा की मांगें

७—श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर) तथा **श्री दुर्योधन** (जिला गोरखपुर)—क्या मुख्य मंत्री को प्रेसीडेंट, कानपुर बिजली मजदूर सभा एवं प्रधान मंत्री, हिन्द मजदूर सभा, उत्तर प्रदेश, द्वारा भेजा गया कानपुर बिजली मजदूर सभा की कतिपय मांगों के संबंध में स्मृति-पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री उक्त स्मृति-पत्र में की गई मांगों का संक्षिप्त सार तथा उनके प्रति सरकार का दृष्टिकोण सदन के सम्मुख रक्खेंगे?

**८—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर बिजली मजदूर सभा के प्रेसीडेंट श्री विमल मेहरोत्रा ने कैसा कर्मचारियों की कुछ मांगों को लेकर आगामी १ मई से मुख्य मंत्री के पानदरीबा स्थित आवास स्थान पर भूख-हड़ताल की सूचना हाल ही में दी है? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री उक्त सूचना तथा मांगों के प्रति सरकार का दृष्टिकोण क्या है सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—यह मामले इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के विचारार्थ भेज रक्खे हैं। उनसे जवाब मिलने पर सरकार इन प्रश्नों पर विचार करेगी।

श्री मदन पांडेय—क्या यह सही है कि विमल मेहरोत्रा और प्रश्नकर्ता और एक आध सज्जन इसके मुताल्लिक सुचेता जी से और लेबर सेक्रेटरी से मिले थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि यह मामला ऐक्टिव कंसीडरेशन में है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मुझसे भी मिलने आये थे और मैंने कहा था कि जो प्रश्न उन्होंने उठाये हैं उन पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड विचार करेगा और विचार करने के बाद मुझे इत्तला देगा कि उसने उन विषयों के बारे में क्या निर्णय लिया और क्या सुझाव दिये।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उनकी जो जो मांगें हैं उनमें से कोई ऐसी भी मांग है कि जिसको सरकार ने स्वीकार करने का निश्चय कर लिया है और बाकी के संबंध में कब तक निश्चय हो जाने वाला है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी निर्णय तो बहुत सी बातों पर नहीं हुआ है, लेकिन जब सुझाव आ जायंगे तो निर्णय लेने के प्रश्न पर विचार होगा।

श्री प्रतापसिंह—इससे पहले कि मजदूर नेता इन मजदूरों की मांगों के लिये पानदरीबा में उनके निवास-स्थान पर भूख हड़ताल करें, मुख्य मंत्री जी कोई निर्णय लेने का प्रयत्न करेंगे ताकि भूख हड़ताल न होने पाये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार ऐसे किसी प्रश्न पर विचार नहीं करेगी जहां निर्णय न लेने पर भूख हड़ताल की बात होने वाली हो।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न १–२ का स्थगन

सार्वजनिक निर्माण उप-मन्त्री श्री धर्मसिंह—अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस प्रश्न का संबंध है जो श्री प्रतापसिंह जी ने पूछा है, मेरी प्रार्थना है कि इसको मुल्तवी कर दिया जाय। इसके बारे में पूरे तरीके से जांच नहीं की गई है।

श्री अध्यक्ष—कब तक उत्तर देंगे ?

श्री धर्मसिंह—परसों दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—ठीक है।

श्री प्रतापसिंह—श्रीमन्, जब जब मजदूरों का मसला आता है, सरकार टालती जाती है।

श्री अध्यक्ष—इसीलिये मैंने परसों के लिये कह दिया। यह अगले हफ्ते तक नहीं आयेगा।

[तारांकित प्रश्न १-२, १९ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

नैनी के कारखानों को बिजली

*३—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद के नैनी इन्डस्ट्रियल कारखाने में १९५७–५८, १९५८–५९, तथा १९५९–६० में कितने लोगों ने कारखाने चलाने हेतु बिजली के लिये प्रार्थना-पत्र दिये ? उसमें कितने प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किये गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—१९५७ से १९६० तक ८२ ऐसे प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए। उनमें से २३ अस्वीकृत किए गए।

*४—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (अनुपस्थित)—मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या इलाहाबाद के फाफामऊ गांव में, जो महापालिका के अन्तर्गत है, बिजली लगाने का उनका इरादा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं, क्योंकि फाफामऊ यू० पी० इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के लाइसेन्स के क्षेत्र में आता है।

*५—श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)— मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या इलाहाबाद के नैनी औद्योगिक कारखानों में जितनी बिजली कारखाने वालों को उपयोग करने हेतु दी गई है, उसका वे उपयोग नहीं कर रहे हैं ? यदि हां, तो जिन लोगों ने उसका उपयोग नहीं किया है क्या मुख्य मंत्री उनकी सूची सदन मेज पर रखेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो मंजूर की हुई बिजली का उपयोग नहीं कर रहे हैं। उनकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६८५ पर)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न।]

थड़वाट के किसानों की वन विभाग से मांगें

*१—श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिनांक २८ मार्च, १९६१ को प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, खटीमा, जिला नैनीताल के नेतृत्व में थड़वाट के काश्तकारों का प्रदर्शन जंगलात विभाग के कार्यालय के सामने हुआ था ? यदि हां, तो प्रदर्शनकारियों की मांगों पर सरकार ने अब तक क्या किया ?

वन मंत्री (श्री अलगूराय शास्त्री)—जी हां, खटीमा रेन्ज कार्यालय के सामने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेतृत्व में एक प्रदर्शन दिनांक २८-३-६१ को हुआ। प्रदर्शनकारियों की वन विभाग से सम्बन्धित दो मांगें थीं:—

(क) खटीमा रेन्ज को पीलीभीत डिवीजन से हटाकर हल्द्वानी या तराई भावर डिवीजन के अन्तर्गत कर दिया जाय।

(ख) किसानों को रियायती दरों पर लकड़ी शीघ्र दी जाय।

जहां तक प्रथम मांग का सम्बन्ध है यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

जहां तक रियायती दरों पर किसानों को राजकीय वनों से लकड़ी देने का प्रश्न है, जिन व्यक्तियों को ऐसी सुविधा भूतकाल से मिलती आ रही है उनको यह सुविधा अब भी दी जायगी। इस विषय में आदेश दिनांक ४ मई, १९६१ को जारी हो चुके हैं।

छुआ-छूत उन्मूलनार्थ सहायता

*२—श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५९-६० में कितनी सामाजिक संस्थाओं को छुआ-छूत उन्मूलनार्थ हरिजन कल्याण विभाग द्वारा कितनी-कितनी आर्थिक सहायता दी गयी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—२८ संस्थाओं को आर्थिक सहायता दी गई जिसका विवरण संलग्न सूची में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६८६ पर)

*३—श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश की जिन सामाजिक संस्थाओं को उक्त सहायता दी जा चुकी है उनमें कितनी ऐसी संस्थायें हैं जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, २१,१८६० के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नहीं हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---१९ संस्थायें रजिस्टर्ड हैं ६ रजिस्टर्ड नहीं हैं और ३ के सम्बन्ध में सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है।

सिकन्दरा-बारा सड़क तथा सेंगुर नदी पर पुल-निर्माण का ठेका

*४---श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के अन्तर्गत सिकन्दरा से बारा आदर्श रोड को बनाकर कार्य समाप्त करने की अवधि सम्बन्धित ठेके में क्या थी और कब तक उक्त रोड के पूरी तरह से बनने की संभावना है?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री गिरधारीलाल)---प्रथम भाग---इस सड़क बनाने के ठेके अधिकतर एक एक मील के तथा प्रत्येक कार्य के लिये अलग-अलग दिये गये थे। इनके कार्यारम्भ होने की तिथि तथा कार्य समाप्त होने की तिथि की सूचना एकत्रित की जा रही है।

द्वितीय भाग---सेंगुर नदी पर पुल तथा एप्रोच सड़कों को छोड़कर यह सड़क दिसम्बर, १९६२ तक पूरे हो जाने की आशा है।

*५---श्री रामस्वरूप वर्मा (अनुपस्थित)---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतलायेंगे कि कानपुर जिले के अन्तर्गत सिकन्दरा से बारा आदर्श रोड, देरापुर से रूरारोड, बिल्हौर से सिकन्दरा रोड पर सेंगुर नदी में अलग-अलग पुल बनाने के ठेके किस तिथि तक पुल तैयार कर देने के लिये दिये गये हैं और उनमें से कहां-कहां अवधि का उल्लंघन हुआ है?

श्री गिरधारीलाल---सेंगुर नदी पर केवल दो पुल बनाने की स्वीकृति दी गई है। यह पुल देरापुर से रूरा रोड तथा अकबरपुर-सिकन्दरा सड़क पर हैं।

पहले पुल के बनाने का कार्य ठेके के अनुसार मार्च, सन् १९६० तक पूर्ण होना था। अकबरपुर-सिकन्दरा सड़क पर पुल बनाने के लिये अभी कोई ठेका नहीं दिया गया है।

लोहरियासाल के किसानों को माफी की लकड़ी न मिलना

*६---श्री प्रतापसिंह---क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लोहरियासाल मल्ला तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल में कितने काश्तकार ऐसे हैं जिनको १९५२ के बाद माफी नहीं मिली है?

*७---क्या वन मंत्री उपर्युक्त विषय पर जांच करवायेंगे और माफी की लकड़ी शीघ्र दिलवायेंगे।

श्री धर्मसिंह---आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि लोहरियासाल एक छोटा सा गांव है और मल्ला तहसील से टेलीफोन कर के वह पूछ ले सकते हैं, फिर आज तक सूचना न पाने का क्या कारण है?

श्री धर्मसिंह---जहां तक इस प्रश्न का संबंध है इसमें हल्द्वानी, नैनीताल, टेहरी और भावर डिवीजन और कंजरवेटर फारेस्ट, कुमायूं वेस्टर्न सर्किल आदि से पूछतांछ करनी होगी और जब तक पूरे तरीके से इसकी रिपोर्ट न आ जाय इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। सरकार ने इसके लिये कोशिश की है, लेकिन फिर भी सूचना नहीं प्राप्त हो सकी। सूचना प्राप्त होने के बाद दी जायगी।

श्री प्रतापसिंह---जब तक सूचना एकत्रित की जाय, क्या उस बीच में मंत्री जी ऐसे आदेश जारी करने की कृपा करेंगे कि पिछले दो सालों से जिन काश्तकारों को माफी नहीं मिली है उनको माफी दे दी जाय?

श्री धर्मसिंह—इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार जैसा प्रताप सिंह जी कह रहे हैं, उस पर विचार कर लेगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इस प्रश्न की सूचना एकत्रित करने में देर होने का एक कारण यह भी है कि अभी हाल ही में उसके नियमों में कुछ परिवर्तन किया गया है ? अगर हां, तो क्या सरकार जो परिवर्तन किया गया है उसको न करके, जो नियम पहले थे उन्हीं को लागू करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री धर्मसिंह—ऐसी बात नहीं है। जब तक पूरे तरीके से रिपोर्ट नहीं आ जाती, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

शिकारपुर-घुघुली सड़क निर्माण योजना

*८—श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की शिकारपुर-घुघुली सड़क के बनाने की कोई योजना १९५९-६० या १९६०-६१ में बनी थी ? यदि हां, तो क्या उस योजना के अन्तर्गत सड़क बन गई ? अगर हां, तो क्या धन उस पर व्यय किया गया और वर्तमान समय में उस सड़क की स्थिति क्या है ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—इस सड़क के २ मीलों में सी० सी० ट्रैक ढालने की ९९,००० रुपये की योजना सरकार ने सन् १९५६-५७ में स्वीकृत की थी।

द्वितीय भाग—कार्य प्रगति में है।

तृतीय भाग—लगभग ९०,००० रुपया व्यय हो चुका है। दो मील में मिट्टी का कार्य एवं पुल तथा पुलियां बनाई जा चुकी हैं। १ मील ५ फर्लांग में सीमेन्ट-कन्क्रीट भी डाली जा चुकी है।

महाराजगंज-बागापार सड़क पर रेहाब नदी के पुल की आवश्यकता

*९—श्री अमरनाथ (अनुपस्थित)—क्या सरकार गोरखपुर जिले की महाराजगंज से बागापार जाने वाली सड़क पर रेहाब नदी में कोई पुल बनाने का विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—जी नहीं।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता।

रामपुरा व जगम्मनपुर रियासतों की सड़कों की मरम्मत के लिये प्रार्थना

*१०—श्री गरीबदास (जिला जालौन) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् से जिला जालौन, जागीर रामपुरा व जगम्मनपुर की कच्ची व पक्की सड़कों की मरम्मत न तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या अन्तरिम जिला परिषद् ने ही अभी तक कराई है और न राजकीय सार्वजनिक निर्माण विभाग ने ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

*११—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त जागीरों की कच्ची व पक्की सड़कें कई वर्षों के मरम्मत न होने की कारण नष्ट-भ्रष्ट हो गई हैं ? यदि हां, तो अब उनकी मरम्मत के लिये क्या विचार किया गया है ?

श्री गिरधारीलाल—इस सम्बन्ध में अभी सूचना एकत्र की जा रही है।

*१२—श्री गरीबदास (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन के अन्तर्गत ऐसी कौन-कौन सी सड़कें हैं जिन पर प्राइवेट बसें चलती हैं किन्तु लगभग १० वर्ष से आज तक जिला बोर्ड द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा एक भी पैसा खर्च करके उनकी मरम्मत नहीं की गई है ? यदि हां, तो कौन ?

श्री गिरधारीलाल—कोई भी नहीं ।

अलोपीबाग, इलाहाबाद में निर्मित क्वार्टरों को पानी देने का आदेश

*१३—श्री कैलाशनारायण गुप्त (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद शहर में मुहल्ला अलोपीबाग में पी० डब्लू० डी० द्वारा बनाये गये डी० टाइप क्वार्टर्स के किरायेदारों द्वारा मुख्य मंत्री की सेवा में कोई आवेदन-पत्र भेजा गया है ? यदि हां, तो कब और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गिरधारी लाल—जी हां । यह आवेदन-पत्र दिनांक ४ फरवरी, १९६१ का है और इसके प्राप्त होने पर मामले को निपटाने में शीघ्रता की गयी ।

*१४—श्री कैलाशनारायण गुप्त (अनुपस्थित)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कि उन पी० डब्लू डी० क्वार्टर्स में पानी, बिजली तथा शौचालय की क्या व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक उपर्युक्त सुविधायें किरायेदारों को प्राप्त हो जायेंगी ?

श्री गिरधारीलाल—अभी तो इनमें से कोई सुविधा नहीं है, किन्तु इन सुविधाओं की, विशेषतः पानी की, व्यवस्था शीघ्र करने के लिये आदेश दिये जा चुके हैं । आशा है कि ये सब सुविधायें निकट भविष्य में ही प्राप्त हो जायेंगी ।

सुजानगंज-बदलापुर व सुजानगंज-शाहगंज सड़कों का निर्माण

*१५—श्री नागेश्वरप्रसाद (जिला जौनपुर)—जौनपुर में सुजानगंज-बदलापुर सड़क के सर्वे के बारे में २९ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ५० के उत्तर के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सुजानगंज-बदलापुर रोड के एक भाग बदलापुर-महराजगंज की हाल में ही नाप-जोख हुई है ? यदि हां, तो किस विभाग द्वारा तथा किस प्रयोजन के लिये ?

श्री धर्मसिंह—अन्तरिम जिला परिषद्, जौनपुर ने २९ अप्रैल, १९६१ को बदलापुर-महाराजगंज सड़क की १, २ व ३ मील मिट्टी भराई करके पक्की करने का निश्चय किया है ।

*१६—श्री नागेश्वरप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सुजानगंज-शाहगंज रोड के पक्का करने का प्रश्न सरकार के सामने कब से विचाराधीन है और अब तक उसके पूरा न होने का क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह—

प्रथम भाग—१९५२ ई० से ;

द्वितीय भाग—धनाभाव के कारण ।

श्री नागेश्वरप्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस सड़क के निर्माण पर कितना व्यय होने का अनुमान है जिसके कारण सरकार प्रबन्ध नहीं कर पा रहा है ?

श्री धर्मसिंह—जिलाधीश, जौनपुर ने जो सूचना भेजी है उसमें तो ९,४६१ रुपये के खर्च की बात लिखी है । अब कितना खर्च होगा उसकी डिटेल्स तो इस समय नहीं हैं और यह कहना सम्भव नहीं है कि पी० डब्लू० डी० अगर इसको लेती है तो कितना खर्चा होगा ।

श्री नागेश्वरप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में जौनपुर की सड़कों में इस सड़क को प्राथमिकता दी जायगी ?

श्री धर्मसिंह—फिलहाल तो ऐसा प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

देहली-सहारनपुर सड़क के बाई-पास के लिये ली गई भूमि की वापसी

*१७—श्री बादामसिंह (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम एलम के कृषकों का कोई प्रार्थना-पत्र गत वर्ष (१९६०) सरकार के पास भूमि, जो देहली-सहारनपुर रोड के बाई पास के लिये ली गई थी, के बारे में आया है ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां ।

*१८—श्री बादामसिंह (अनुपस्थित)—यदि हां, तो सरकार ने जमीन किसानों को लौटाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री गिरधारीलाल—३४ व्यक्तियों को भूमि लौटानी थी—उनमें से ३२ व्यक्तियों को सम्बन्धित भूमि लौटा दी गई है । दो व्यक्तियों ने उनको लौटाई जाने वाली भूमि का मुआवजा वापस करने से इन्कार कर दिया, उनका मामला विचाराधीन है ।

*१९—श्री बादामसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि वह भूमि कृषकों के ही अधिकार में है किन्तु कागजात में एक्वायर कर ली गई है ?

श्री गिरधारीलाल—वह भूमि कृषकों के कब्जा मुखालफाना में रही ।

ग्राम सभा, बेलबाखान से हक हकूक की लकड़ी न मिलने की शिकायत

*२०—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार एवं वन विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों के पास ग्राम सभा बेलबाखान, पट्टी पश्चिमी चखाता, जिला नैनीताल की कोई शिकायत सालान पेड़ों के हक हकूकों के वितरण के सम्बन्ध में दिसम्बर, १९६० में आई है कि पेड़ों के हक सभी हिस्सेदारों को नियमानुसार नहीं दिये गये हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री धर्मसिंह—आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मेरे प्रश्न का जो प्रथम भाग है उसका उत्तर 'हां' में है या 'नहीं' में ?

श्री धर्मसिंह—जब तक सूचना एकत्रित नहीं हो जाती तब तक क्या कहा जा सकता है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मेरे प्रश्न के दो भाग हैं, एक तो सरकार से संबंधित है और दूसरा वन विभाग के अधिकारियों से संबंधित है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास कोई प्रार्थना-पत्र आया है या नहीं ?

श्री धर्मसिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—नोटिस तो सरकार के लिये दिया हुआ है १०-५-६१ को, इसलिए प्रथम भाग का उत्तर तो दिया जा सकता है ।

श्री धर्मसिंह—मैंने कहा कि नोटिस चाहिये, इसके लिये मेरे पास पूरा विवरण नहीं है ।

कानपुर जिले में सेंगुर नदी पर पुल निर्माण योजना

*२१—श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर जिले में देरापुर ग्राम के पास जो सेंगुर नदी का पुल बन रहा है वह कब तक मुकम्मल हो जायेगा और उसमें कितना कार्य हो चुका है ?

श्री धर्मसिंह—

प्रथम भाग—जून, १९६२ तक कार्य समाप्त हो जाने की आशा है।

द्वितीय भाग—इस पुल के निर्माण में ४ गोले गलाये गये हैं जिनमें २ गोलों पर कार्य पूरा हो गया है, दूसरे पर विंग वाल की चुनाई समाप्त हो गई है तथा चौथा कुआं करीब-करीब पूरा गल चुका है।

*२२—श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर जिले में बारा-सिकन्दरा रोड पर जो सेंगुर नदी पर पुल बनने वाला है उसमें क्या कार्यवाही हो रही है और वह कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री धर्मसिंह—

प्रथम भाग—केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार पुल का विस्तृत डिजाइन तैयार किया जा रहा है।

द्वितीय भाग—केन्द्रीय सरकार द्वारा विस्तृत डिजाइन स्वीकृत करने के पश्चात् लगभग १८ महीने बाद।

*२३—श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार इसी नेशनल हाईवे के बनने वाले सेंगुर नदी के पुल के लिये कोई अस्थायी नावों या बल्लियों का पुल बनवा सकेगी जिससे यात्रियों को आने-जाने की सुविधा मिल सके ?

श्री धर्मसिंह—ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार यातायात की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये किसी टेम्पोरेरी पुल के बनाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री धर्मसिंह—धन की कमी के कारण यह सम्भव नहीं हो सकेगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा—प्रश्न संख्या २१ के संबंध में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सड़क बनाने का ठेका किस अवधि तक के लिये दिया गया था और उस अवधि में कार्य पूरा न हो सकने का क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह—किसको ठेका दिया गया है, यह तो पता नहीं है किन्तु उसका काम चल रहा है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि इन सड़कों के बनने में काफी समय बीत गया और लोगों को परेशानी है और यह देखते हुए कि ठेकेदार समय पर काम नहीं करते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने का कष्ट करेगी ?

श्री धर्मसिंह—जो ठेके में शर्तें होती हैं उनके अनुसार कार्य होता ही है, लेकिन कभी-कभी दिक्कत आ जाती है, जैसे जमीन के मामले में, कोयला वगैरह की, उसमें अगर कोई कसूर ठेकेदार का नहीं होता तो उस बात को एग्जामिन करते हुये कार्यवाही की जाती है। लेकिन इसमें कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसके आधार पर ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाय।

बस्ती-लकड़मंडी सड़क को घाघरा से खतरा

*२४—श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती से लकड़मन्डी को जो सड़क जाती है उसका घाघरा से पुनः कटने का खतरा पैदा हो गया है ?

श्री धर्मसिंह—जी हां।

श्री रणबहादुरसिंह—जब इस सड़क के कटने का खतरा पैदा हो गया है तो अन्तरिम जिला परिषद् द्वारा कोई नया प्रस्ताव आया है ?

श्री धर्मसिंह—प्रस्ताव की कोई सूचना नहीं है, लेकिन एग्जिक्यूटिव इंजीनियर द्वारा एक एस्टीमेट बनाया गया है ६२, ५०० रुपये का, उस पर विचार किया जा रहा है कि किस प्रकार इस कटाव को रोका जा सकता है।

श्री रणबहादुरसिंह—वह कौन से गांव तक बनाने का प्रस्ताव एग्जिक्युटिव इंजीनियर का आया है ?

श्री धर्मसिंह—डिटेल मेरे पास नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि कटाव को रोकने की वह स्कीम एस० ई० को सब्मिट हुई, उसमें जो त्रुटियां थीं, उनकी वजह से वह लौटा दी गयी है, इन तमाम बातों पर विचार हो रहा है।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या यह सत्य है कि प्रश्नकर्त्ता तथा कुछ अन्य लोग इस सड़क के बनने के पहले संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर चुके थे कि यह सड़क फिर से कट जायगी, इसका बनना उचित नहीं है, लेकिन उस सुझाव पर ध्यान नहीं दिया गया ?

श्री धर्मसिंह—जो प्रश्न किया गया है वह तो यह किया गया है कि जो सड़क और बाई पास आदि बना था उसके कटने से खतरा पैदा हो गया है, तो जवाब दे दिया गया है कि जी हां, यही बात है।

श्री रणबहादुरसिंह—क्या यह सही है कि जो बाई पास की सड़क बनायी गयी, इसके पहले जहां पर नेशनल हाई वे था, जिसको खतरा पैदा हो गया और जो कट गयी, उसके बाद यह दूसरी नयी सड़क बनाने का प्रस्ताव सरकार के पास आया था, जिसको बनाया गया और फिर खतरा पैदा हो गया है ?

श्री धर्मसिंह—यह डिटेल की बात है, नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह (जिला गोंडा)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो अयोध्या के पास बांध बन रहा है उसके डिफेक्टिव बनने के कारण इन सड़कों....

श्री धर्मसिंह—और कोई सूचना नहीं है। जैसा कि प्रश्न किया गया है, उसके बारे में सूचना है कि थोड़ा-सा खतरा पैदा हो गया है।

श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)—क्या यह सही है कि पुरानी सड़क जो कट गयी थी, उसके बाद जो नयी बनी है उसके कट जाने का खतरा पैदा हो गया है ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं।

[१७ मई, १९६१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

देहरादून जिले में आटा मिलों को पर्याप्त बिजली न मिलना

*१—श्री प्रतापसिंह तथा श्री मदन पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देहरादून जिले में बिजली देने में प्राथमिकता किस प्रकार दी जाती है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—(क) देहरादून जिले के उन भागों में जहां बिजली सिटी बोर्ड, मसूरी द्वारा वितरित की जाती है, वहां बिजली जिलाधीश, देहरादून द्वारा निम्न प्राथमिकताओं के अनुसार दी जाती है :

(अ) पावर कनेक्शनों की प्राथमिकता—

(१) शिक्षण संस्थायें तथा अस्पताल।

(२) ऐसे उद्योग जिनसे भारत में विदेशी सामान का आयात बन्द हो तथा भारतीय सामानों का, विशेषकर Hard Currency के देशों में, निर्यात हो।

(३) सरकारी मांगें ।

(४) कृषि हेतु जिससे अन्न उत्पादन बढ़े ।

(आ) रोशनी, पंखे तथा घरेलू पावर की प्राथमिकता—

(१) सरकारी कार्यालय तथा संस्थायें ।

(२) मान्यता प्राप्त सार्वजनिक संस्थायें जैसे, स्कूल, कालेज, अस्पताल, वाचनालय (Libraries), मंदिर, मसजिद, गुरूद्वारा तथा गिर्जाघर ।

(३) जहां पर पहले से रोशनी तथा पंखों के कनेक्शन हैं उनको घरेलू पावर कनेक्शनों के लिये प्राथमिकता दी जाती है ।

(४) ऐसे घरेलू बिजली के कनेक्शन जिनको कटे हुये ६ महीने से अधिक हो गये हों उनको नये कनेक्शन की तरह माना जाता है ।

१—(ब) देहरादून जिले के उन भागों में जहां बिजली उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा वितरित की जाती है वहां निम्न प्राथमिकताओं के अनुसार बिजली दी जाती है :

(१) प्रशिक्षण योजनायें ।

(२) राज्य उद्योग ।

(३) नलकूप आदि ।

(४) राज्य सहायता प्राप्त उद्योग ।

(५) राज्य के लिये विशेष महत्व के उद्योग जैसे सीठी (Bagasee) आदि से कागज बनाना ।

(६) अभियांत्रिक उद्योग ।

(७) विद्युत् उद्योग ।

(८) रासायनिक उद्योग ।

(९) अन्य बड़े (Heavy) उद्योग ।

(१०) शति संग्रहण तथा प्रशीतन सम्बन्धी संयंत्र ।

(११) अन्य छोटे-मोटे उद्योग ।

*२—श्री प्रतापसिंह तथा श्री मदन पांडेय—आटा मिल इस प्रायोरिटी में किस स्थान पर है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—आटा मिलें सबसे नीची प्राथमिकता में आती हैं ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर बताने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि देहरादून में छोटे छोटे लघु उद्योगों को बिजली देने में प्राथमिकता नहीं दी जाती है ? यदि हां, तो क्या उनको प्राथमिकता दिलाने की कृपा की जायगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं है । वैसे आजकल सभी जगह बिजली की कमी है, देहरादून में भी है ।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आटा मिलों को, जो कि सर्वसाधारण की आवश्यकता है, सबसे आखिरी प्राथमिकता देने का क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार चाहती है कि हाथ की चक्की से जो आटा तैयार किया जाता है वह काफी मात्रा में तयार हो और आटा चक्की द्वारा कम मात्रा में तैयार हो ।

श्री प्रतापसिंह---जब सरकार न बहुत सी आटा मिलों को इस बात के साथ लाइसेन्स दे रखा है कि उनको बिजली दी जायगी तब आज जो सरकार कहती है कि हाथ से आटा पीसा जाय तो अपनी नीति को सरकार स्पष्ट करने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जैसा माननीय सदस्य ने कहा ऐसी तो मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन कहीं कहीं ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि लाइसेन्स तो मिल गये हैं लेकिन उनको बिजली उस मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाती है जितनी कि उनको आवश्यकता है ।

श्री मदन पांडेय---माननीय मुख्य मंत्री ने अभी कहा कि आटा मिलों के मुकाबले में हाथ से आटा पीसने के उद्योग को अधिक प्रोत्साहन दिया जाय, तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कोई ऐसे आदेश निकाल रहे हैं कि देहारादून या प्रदेश के अन्य हिस्सों के सरकारी कर्मचारी तथा मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर भी अपने हाथ से आटा पीसने की व्यवस्था करें ताकि उससे कुछ बिजली बच सके जो कि दूसरे उद्योगों में काम आये ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---पहले एम० एल० एज० से शुरू हो । (हंसी)

रुद्रपुर में विद्युत् विभाग के कर्मचारी का दुर्घटनाग्रस्त होना

*३---**आचार्य दीपंकर** (जिला मेरठ) (अनुपस्थित), **श्री चन्द्रजीत यादव** (जिला आजमगढ़), **श्री भीखालाल** (जिला उन्नाव), **श्री अवधेशप्रतापसिंह** (जिला फैजाबाद) तथा **राजा वीरेन्द्रशाह** (जिला जालौन)---क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि २अप्रैल को रुद्रपुर, जिला नैनीताल में एक कर्मचारी को विद्युत् विभाग के अधिकारियों ने गैर-कानूनी ढंग से बिजली के कार्य में नियुक्त कर दिया और वह आज्ञाकारी कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात हालत में ही दुर्घटना-ग्रस्त हो गया ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---२ अप्रैल, १९६१ को एक लाइन कुली की भगवारा टाउन सब-स्टेशन के खम्भों की रंगाई के समय एक साधारण दुर्घटना हुई, लेकिन विद्युत् परिषद् के अधिकारियों ने उस कर्मचारी को किसी गैर-कानूनी ढंग से बिजली के कार्य में नियुक्त नहीं किया था ।

*४---**आचार्य दीपंकर** (अनुपस्थित), **श्री चन्द्रजीत यादव**, **श्री भीखालाल**, **श्री अवधेशप्रतापसिंह** तथा **राजा वीरेन्द्रशाह**---यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---इस दुर्घटना का अनुसंधान असिस्टेन्ट इलेक्ट्रिकल इन्सपेक्टर द्वारा मौके पर किया गया और उसकी रिपोर्ट सरकार के पास आ गई है उससे यह ज्ञात हुआ है कि यह कर्मचारी स्वयं ही इस दुर्घटना का जिम्मेदार था ।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस घटना के सम्बन्ध में जो शब्द "साधारण दुर्घटना" प्रयोग किया गया है उसका क्या तात्पर्य है और असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की जो रिपोर्ट है उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---साधारण दुर्घटना से यह मतलब है कि स्किल्ड लेबरर वहां भेजा गया था कि २ खम्भों को पेन्ट करे । उससे यह कहा गया था कि इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर के आने पर पेन्टिंग शुरू करे । वहां दो लाइन आती थीं । उसने वहां पहुंच कर देखा कि एक कौवा बिजली की लाइन में फंस गया । उसने स्वीच आफ करके कौवे को हटा दिया । वह लाइन चूंकि डेड हो गई थी, उसने चढ़कर पेंट करना शुरू कर दिया । दूसरी लाइन की तरफ जब वह पहुंचा तो बिजली का छोटा-सा शाक लगा । उससे वह नीचे गिर गया । थोड़े दिन अस्पताल में रह कर स्वस्थ होकर वह चला आया ।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जो अधिकारी बिजली के कर्मचारियों को काम पर तैनात करते हैं उनका फर्ज होता है कि लाइन पर करेन्ट बन्द कराके काम शुरू करावें ? यदि हां, तो जिस अधिकारी ने नियुक्ति की थी उनसे कुछ पछतांछ हुई ? यदि हुई, तो उसने क्या जवाब दिया ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---उस कर्मचारी से कह दिया गया था कि वह काम शुरू ही इंस्पेक्टर के पहुंचने पर करे ।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि वर्किंग आवर्स के बर-खिलाफ काम लेते समय यह दुर्घटना हुई ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---ऐसी चीज नहीं थी क्योंकि यह दुर्घटना करीब १० बजे के हुई ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या सरकार उसकी क्षति का मुआवजा देने की कृपा करेगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---मन कहा कि अस्पताल से स्वस्थ होकर वह काम कर रहे हैं । मुआवजे का क्या सवाल ।

कुंवर श्रीपालसिंह---आजकल सरकारी बिजली की लाइनों में कौवों के ज्यादा फंसने का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---व 'स्वतंत्रता' के साथ उड़ते हैं । (हंसी)

*५-७---**श्री अमरनाथ**---[पन्द्रहवें बुधवार के लिये प्रश्न १-३ के अन्तर्गत स्थगित किये गये ।]

कालपी के निकट जमुना पर पुल बनाने की योजना

*८---**श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा**---सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या कालपी के पास जमुना पर इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में पुल का निर्माण होगा ?

श्री धर्मसिंह---इस योजना काल में इस पुल पर निर्माण कार्य आरम्भ हो जाने की आशा की जाती है ।

*९---**श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस पुल का निर्माण कब से प्रारम्भ होने जा रहा है और इस पुल के निर्माण पर कितना रुपया व्यय होगा ?

श्री धर्मसिंह---प्रथम भाग---अभी कुछ निश्चित नहीं है ।

द्वितीय भाग---सड़क के अलग पुल की लागत ७२.३५ लाख से ९२.३५ लाख तक और सड़क तथा रेल के सम्मिलित पुल पर भारत सरकार के यातायात मंत्रालय को अनुमानतः ८३ से ८६ लाख तक व्यय करना होगा ।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब सदन में यह कहा गया था कि यह पुल दूसरी योजना में बन जावेगा और अब कहा जाता है कि तीसरी योजना में बनेगा, तो यह बनेगा भी या नहीं ?

श्री धर्मसिंह---यह ठीक है कि यह दूसरी योजना में रखा गया था किन्तु केन्द्रीय सरकार से पैसा नहीं मिला । पैसे के लिये लिखा-पढ़ी हो रही है और प्राप्त होने पर यह काम शुरू हो जायगा ।

श्री चन्द्रजीत यादव—दूसरी योजना में पुल न बनने का मुख्य कारण केन्द्रीय सरकार से पैसा न मिलना है या प्रादेशिक सरकार पहली आवश्यकीय कार्यवाही नहीं कर सकी, यह है ?

श्री गिरधारीलाल—केन्द्रीय सरकार से रुपया न मिलना ही खास तौर से जिम्मेदार है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—लिखा-पढ़ी में केन्द्रीय सरकार ने क्या उत्तर दिया है और कब से इस पुल को बनाना प्रारम्भ किया जा सकेगा ?

श्री धर्मसिंह—अभी केन्द्रीय सरकार का कोई उत्तर नहीं आया है ।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा—जब तक यह पुल नहीं बनता है तब तक के लिये वर्तमान रेल के पुल को वर्षा के दिनों में सवारी गाड़ियों के लिये खुलवाने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह—रेल के पुल का सम्बन्ध भारत सरकार से है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार वहां की यातायात की कठिनाई को देखते हुये, लखनऊ और झांसी के बीच में जमुना पड़ने से जो कठिनाई होती है, बरसात में पीपे का पुल टूट जाता है, केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करेगी कि बरसात के दिनों में यातायात के लिये इस रेल के पुल को खोल दें ?

श्री गिरधारीलाल—रेलवे मिनिस्ट्री का कहना है कि उनका पुल इतने लोड को बर्दाश्त नहीं कर सकता ।

पंचायत आडिटरों की नियुक्ति

*१०—**श्री ब्रजनारायण तिवारी** (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५५ में पंचायत आडिटरों की नियुक्ति के सम्बन्ध में जो निश्चय किया गया था, उस निर्णय के अनुसार कितने पंचायत आडीटर प्रदेश में नियुक्त करने थे और अब तक कितने आडीटर प्रदेश में पंचायत विभाग में काम कर रहे हैं ?

श्री धर्मसिंह—१९५५ में हुये निर्णय के अनुसार १५० regular तथा १५ leave reserve कुल (१५०+१५) १६५ आडिटरों को नियुक्त करना था । उनमें से अब तक प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश की सिफारिशों के आधार पर १५८ आडिटरों की नियुक्ति हो सकी है । किन्तु उनमें से भी कुछ आडीटरों के समय समय पर त्याग-पत्र देने तथा अन्यत्र चले जाने के कारण इस समय १४० आडीटर काम कर रहे हैं ।

*११—**श्री ब्रजनारायण तिवारी**—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि देवरिया जिले में इस समय कितने पंचायत आडीटर काम कर रहे हैं और कितने पंचायत आडीटरों की जगह खाली है ।

श्री धर्मसिंह—देवरिया जिले में इस समय चार आडीटर काम कर रहे हैं और कोई जगह खाली नहीं है ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—अन्यत्र चले जाने का कारण क्या है ?

श्री धर्मसिंह—उन्हें अधिकार है कि अन्यत्र और ग्रेड मिलने पर वे जा सकते हैं । इस विभाग का ग्रेड ७५–१२० है और इंटरमीडियेट क्वालीफिकेशन है ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या उनके अन्यत्र चले जाने का कारण यह है कि उन्हें दूसरे विभागों के आडिटरों से कम वेतन दिया जाता है ?

श्री धर्मसिंह—मुझे नहीं मालूम कि दूसरे विभागों में क्या दिया जाता है ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या माननीय मंत्री जी लोकल बाडीज, म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के आडीटरों और उनके वेतनों का अन्तर बताने की कृपा करेंगे कि कहां अधिक वेतन मिलता है ? दोनों का अंतर क्या है ?

श्री धर्मसिंह—और विभागों के आडीटर्स की सूचना मेरे पास नहीं है । नोटिस चाहिये ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या सरकार बताये गी कि लोक सेवा आयोग से १६५ की मांग की गई जिनमें से १५८ की नियुक्ति हुई, लेकिन १४० ही काम पर हैं बाकी जगहें खाली हैं, तो उन स्थानों पर कौन आडीटरी का काम कर रहा है ?

श्री धर्मसिंह—यह काम रोटेशन से होता रहता है । उतने ही लोग काम करते हैं ।

*१२-१४—**श्री नत्थाराम रावत** (जिला बाराबंकी)—[चौदहवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*१५-१६—**श्री भजनलाल** (जिला इटावा)—[चौदहवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

गोरखपुर में राप्ती के पुल में अध्याप्त भूमि का प्रतिकर

*१७—**श्री मदन पांडेय**—गोरखपुर में राप्ती के पुल में ली गई जमीन के मुआवजे के सम्बन्ध में १६ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ११ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि गोरखपुर में राप्ती के पुल में ली गई जमीन से सम्बन्धित प्रतिकर अभी तक न देने का क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह—सन् १९५९ में स्थायी रूप से ली गई भूमि का प्रतिकर सम्बन्धित काश्तकारों को दिया जा चुका है ।

जो भूमि अस्थायी रूप से ली गई है उसका प्रतिकर भी सम्बन्धित काश्तकारों को दिया जा चुका है ।

ग्राम महवा, चकरा व हांसूपुर में ली जाने वाली अस्थायी भूमि में से कुछ भूमि सन् १९६० में स्थाई रूप से ली गई थी जिस पर यहां के काश्तकारों ने उच्च न्यायालय में रिट दायर कर दी है । उच्च न्यायालय का निर्णय अभी तक प्राप्त न होने के कारण इस भूमि के प्रतिकर के वितरण में विलम्ब है ।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि यह रिट हाईकोर्ट से वापस ले ली गई है जिलाधीश के इस आश्वासन पर कि वह जमीन उन्हें पुनः वापस कर दी जायगी ?

श्री धर्मसिंह—इतनी जानकारी तो सरकार को है कि यह रिट वापस ले ली गई है लेकिन अभी पूरे तरीके से सरकार के पास लिख कर नहीं आया है । जब लिख कर आ जायगा तो उस पर कार्यवाही की जायगी । जिलाधीश ने जो रिपोर्ट भेजी है उससे थोड़ी बहुत यह बात मालूम होती है, लेकिन अभी व्यापक रूप में यह बात नहीं मालूम हुई ।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी इसी प्रश्न को सूचना मान कर इसकी जांच करायेंगे कि रिट वापस ले ली गई है इस आश्वासन पर कि वह जमीन काम निकल जाने के बाद वापस कर दी जायगी ? क्या मंत्री जी उस सम्बन्ध में जल्द कार्यवाही कराने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह—यह बात तो मैं मान ही रहा हूं कि रिट वापस ले ली गई है लेकिन अभी जाप्ते से इन्फार्मेशन नहीं आई है । जैसे ही इन्फार्मेशन आ जायगी, शीघ्रातिशीघ्र उसमें कार्यवाही करने की कोशिश की जायगी ।

*१८—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)—[चौदहवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*१९—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा) तथा श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)—[हटा दिया गया ।]

*२०—श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)—[चौदहवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*२१-२३—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—[चौदहवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

बाराबंकी जिले में कुछ सड़कों को पक्की करने की प्रार्थना

*२४—श्री नत्थाराम रावत—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले में देवा से चिनहट व देवा से कुर्सी व टिकैतगंज से महमूदाबाद की सड़कें वह कब तक पक्की बनाने का विचार कर रही है ?

श्री धर्मसिंह—इन सड़कों को पक्की बनाने की इस समय कोई योजना नहीं है ।

श्री नत्थाराम रावत—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इन सड़कों के बनने की बात थी और सार्वजनिक निर्माण समिति ने भी उनकी सिफारिश की थी, फिर सरकार को इनके बनाने में क्या कठिनाई है ?

श्री धर्मसिंह—एक तो साधनों की कमी है, दूसरे सड़कों के हिसाब से जिला बाराबंकी सरप्लस एरिया है, इसलिये बनाना संभव नहीं है ।

कालपी में यमुना पर रेलवे पुल के निकट सड़क का पुल बनाने की आवश्यकता

*२५—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सेन्ट्रल रेलवे की झांसी-कानपुर रेलवे लाइन पर कालपी के समीप यमुना नदी पर जो रेलवे का पुल है उसकी बराबरी से रोड ट्रैफिक (ट्रक, मोटर, बैलगाड़ियां आदि) के यातायात के लिये पुल बनाने के समय के लिये पुल बनाने के सम्बन्ध में क्या रेल विभाग से व उससे कोई पत्र-व्यवहार हो रहा है ? यदि हां, तो क्या वह उसकी मुख्य-मुख्य बातें बतलाने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—इस विषय पर केन्द्रीय सरकार के यातायात मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय में पत्र-व्यवहार हो रहा है ।

द्वितीय भाग—रेल मंत्रालय ने यातायात मंत्रालय से पूछा है कि क्या वे सड़क तथा रेल के सम्मिलित पुल के निर्माण में रुचि रखते हैं । यातायात मंत्रालय ने उन्हें सूचित कर दिया है कि वे सम्मिलित पुल में रुचि रखते हैं ।

*२६—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—[चौदहवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

स्लेटों पर से बिक्री-कर हटाने की प्रार्थना

*२७—श्री गौरीशंकर राय—क्या वित्त मन्त्री स्लेट पर बिक्री-कर के बारे में १९ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २९ के उत्तर के क्रम में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में स्लेटें मध्य प्रदेश, मद्रास, राजस्थान तथा दिल्ली से जब मंगाई जाती हैं तो उसके लिये व्यापारियों को "सी" फार्म भरना पड़ता है या नहीं ?

श्री धर्मसिंह----इस सम्बन्ध में समुचित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि व्यापारियों द्वारा दूसरे प्रदेशों से माल मंगाने पर "सी" फार्म भरना उसी दिशा में अनिवार्य है जबकि व्यापारीगण सेन्ट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट, १९५६, की धारा ८(३) में की गई व्यवस्था के अनुसार एक प्रतिशत के रियायती दर का लाभ उठाना चाहते हों।

श्री गौरीशंकर राय----क्या सरकार को मालूम है कि "सी" फार्म उन्हीं चीजों के लिये भरना पड़ता है जिनके ऊपर सेन्ट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट लागू होता है और स्लेटें चूंकि बच्चों के पढ़ने के काम में आती हैं, इसलिये उनके लिये यह नहीं भरना पड़ता तो सरकार को इस बात के बताने में क्या कठिनाई है, जब पढ़ने-लिखने के सामान पर कोई सेल्स टैक्स नहीं, कि फिर स्लेटों पर से यह क्यों नहीं हटाया गया ?

श्री धर्मसिंह----यह तो व्यापारियों की इच्छा पर निर्भर है कि वे "सी" फार्म भरें या न भरें क्योंकि उसके भरने के लिये धारा ८ सेन्ट्रल सेल्स टैक्स के अनुसार दो तीन बातें हैं----

> "उक्त ऐक्ट की धारा ८(३) में प्रतिबन्ध यह है कि १ प्रतिशत की रियायती दर का लाभ व्यापारी उसी दशा में उठा सकेंगे जबकि----(१) उक्त ऐक्ट की धारा १४ में दी हुई व्यवस्थानुसार माल को पुनः बिक्री हेतु खरीदें, और (२) अन्य प्रकार के सामान को जब (अ) पुनः बिक्री हेतु या (ब) किसी माल की बिक्री से पूर्ण निर्माण या बनाने में इस्तेमाल करने के लिये या विद्युत या अन्य किसी प्रकार की शक्ति के निर्माण या वितरण के लिये या (घ) सामान की बिक्री तथा पुनः बिक्री के बांटने वाला समान खरीदा जाय।"

इस प्रकार से यह तो व्यापारियों के ऊपर ही होता है कि वे "सी" फार्म भरें या न भरें।

श्री गौरीशंकर राय----श्रीमन्, मध्य प्रदेश, मद्रास, राजस्थान तथा दिल्ली में स्लेटें बनती हैं। अगर वह सेल्स टैक्स लगता होता तो कानूनन "सी" फार्म भरना होता लेकिन यू० पी० में मंगाने के लिये नहीं भरना पड़ता है तो ऐसी हालत में यह समझा जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेल्स टैक्स नहीं लेती है। तो जब सेंट्रल गवर्नमेन्ट हटाती है तो प्रादेशिक सरकार के फार्म में यह सेल्स टैक्स कहां है ?

श्री धर्मसिंह----यदि व्यापारी लोग "सी" फार्म को नहीं भरेंगे तो दूसरे सूबे से माल मंगाने के लिये कोई सात प्रतिशत कर देना पड़ेगा या वह कर जो उस माल पर लगता हो वह देना होगा। इसलिये यह उन्हीं के हित में है कि वह उसे भरना चाहते हैं या नहीं।

श्री मदन पांडेय----इस बात को देखते हुये कि यहां शिक्षा के साधन काफी मंहगे हैं क्या मंत्री जी जो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट कर लेती है या नहीं लेती है या दूसरे राज्य लेते हैं या नहीं लेते हैं इसको छोड़कर वह अपने यहां स्लेटों को एग्जेम्पशन लिस्ट में इनक्लूड करने की कृपा करेंगी ?

श्री धर्मसिंह----जी नहीं।

श्री शिवप्रसाद नागर----क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि माननीय गौरीशंकर राय जी के प्रश्न को मन्त्री जी ठीक तरह से समझ पाये हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष----उन्होंने तो उत्तर दे दिया।

श्री शिवप्रसाद नागर----श्रीमन्, वह समझ नहीं पाये हैं, उन्होंने अन्टशन्ट उत्तर दे दिया है, वह उनका मकसद नहीं समझ पाये हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या इस बात को देखते हुये कि स्लेट प्राइमरी स्कूलों के बच्चों के पढ़ने के काम में आती है और यहां अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा होने जा रही है, क्या सरकार इन स्लेटों पर से सेल्स टैक्स हटाने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मसिंह---वह माफ तो नहीं किया जा सकता लेकिन माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार कर लिया जायगा ।

*२८-२९---**श्री रामदुलारे मिश्र** (जिला कानपुर)---[चौदहवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*३०---**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)---[हटा दिया गया ।]

*३१-३३---**श्री बंशीधर शुक्ल** (जिला खीरी)---[चौदहवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

भट्ठा न रखने वाले ठेकेदारों को कोयला

*३४---**श्री त्रिलोकीसिंह** (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)---क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ऐसे सरकारी ठेकेदारों को जिनके पास भट्ठे नहीं हैं ईंट फूंकने का कोयला दिया जाता है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल ---जी हां ।

कोयला, उन सरकारी ठेकेदारों को जिनके पास भट्ठे नहीं हैं, इसलिये दिया जाता है कि वह उस कोयले को भट्ठे वालों को देकर ठेके पर दिये गये निर्माण कार्य के लिये आवश्यक ईंटें प्राप्त कर लें ।

*३५---**श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा**---[चौदहवें बुधवार के लिए प्रश्न १५ के अन्तर्गत स्थगित किया गया ।]

*३६-३७---**श्री जगन्नाथ चौधरी** (जिला बलिया)---[चौदहवें बुधवार के लिए प्रश्न १६-१७ के अन्तर्गत स्थगित किये गये ।]

*३८---**श्री जोखई** (जिला इलाहाबाद)---[चौदहवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*३९---**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी** (जिला हमीरपुर)---[पन्द्रहवें बुधवार के लिये प्रश्न ४ के अन्तर्गत स्थगित किया गया ।]

सार्वजनिक निर्माण विभाग पुनस्संगठन समिति की अन्वेषणालय के संबंध में सिफारिशें

*४०---**श्री तेजबहादुर** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के इन्जीनियरों को पोस्ट-ग्रेजुएट भत्ते तथा बाहर प्रार्थना-पत्र देने की सुविधा है और उक्त विभाग के अन्वेषणालय में अन्वेषण कार्य में लगे पोस्ट-ग्रेजुएट को न तो भत्ता ही दिया जाता है और न बाहर प्रार्थना-पत्र भेजने की सुविधा दी गई है ? यदि यह सही है, तो इस तरह के व्यवहार के कारण क्या हैं ?

श्री गिरधारीलाल---निर्माण विभाग में केवल इन्जीनियरों को पोस्ट-ग्रेजुएट वेतन दिये जाने की सुविधा है । बाहर के पदों के लिये कर्मचारियों के आवेदन-पत्र नियुक्ति विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या ४३७९/२ ए ६६१, १९५७ दिनांक १९, नवम्बर, १९५९ के अनुसार अग्रसारित किये जाते हैं । अन्वेषणालय के वैज्ञानिकों के आवेदन-पत्र बाहर के पदों के लिये सार्वजनिक हित में अग्रसारित नहीं किये जाते हैं ।

*४१—श्री तेजबहादुर (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्वेषणालय में उक्त विभाग के इन्जीनियरों के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में अन्वेषण होता है और उक्त अन्वेषण कार्य उक्त विभागीय इन्जीनियरों में से कुछ की देख-रेख में होता है? यदि हां, तो इस व्यवस्था से लाभ क्या है?

श्री गिरधारीलाल—जी हां, निर्माण विभाग के इन्जीनियर निर्माण-कार्य पद्धति से भली प्रकार परिचित होते हैं तथा निर्माण-कार्यों में प्रयोग किये जाने वाले पदार्थों में वैज्ञानिक ही निर्धारित रूप से आवश्यक अन्वेषण कार्य कर सकते हैं इसी अभिप्राय से विभाग के अन्वेषणालय में इन्जीनियरों तथा वैज्ञानिकों के सहयोग से अन्वेषण कार्य किया जाता है।

*४२—श्री तेजबहादुर (अनुपस्थित)—क्या सरकार सूचित करेगी कि अन्वेषण तथा अन्वेषणालय के सम्बन्ध में Reorganisation Committee की सिफारिशें क्या हैं?

श्री गिरधारीलाल—सार्वजनिक निर्माण विभाग पुनस्संगठन समिति ने अपनी रिपोर्ट में विभाग के अन्वेषणालय के सम्बन्ध में जो अभिस्ताव किये थे वे सूची में दिये हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६८७ पर)

बिक्री-कर का बकाया

*४३—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितना सेल्स टैक्स व्यापारियों पर ऐसा शेष है जिसके वसूल होने की अब कोई आशा नहीं है?

श्री धर्मसिंह—सरकार बिक्री-कर की सभी बकाया रकमों को तत्परता से वसूल करने के लिये प्रयत्नशील रहती है और जब तक सभी प्रयत्न निरर्थक नहीं हो जाते तब तक बकाया धन को वसूल न होने वाला नहीं समझा जाता है। इस समय पूर्ण बकाया धन में कितना बिलकुल वसूल नहीं हो सकेगा यह कहना कठिन है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रश्न के सम्बन्ध में उन्होंने सेल्स टैक्स कमिश्नर से कोई पूछताछ की थी? यदि हां, तो उनका क्या उत्तर आया?

श्री धर्मसिंह—जो उत्तर दिया गया है वह उन्हीं से पूछ-ताछ करके दिया गया है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या इससे यह समझा जाय कि सन ५२-५३ में कोई भी सेल्स टैक्स का रुपया बकाया नहीं रहा जिसकी वसूलयाबी न की जा सकती हो?

श्री धर्मसिंह—ऐसा तो मैंने उत्तर नहीं दिया, रुपया तो बकाया है लेकिन जैसा कि अभी कहा गया है वह प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि ऐसी बात नहीं है कि बकाया बिलकुल वसूल नहीं हुआ वह वसूल हुआ है।

*४४—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट, श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री चन्द्रजीत यादव—[चौदहवें बुधवार के लिये नियम १८ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

राज्य कर्मचारियों के छुट्टी के वेतन नियमों को केन्द्र के समान करने की प्रार्थना

*४५—श्री शब्बीर हसन (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार प्रदेशीय सरकारी कर्मचारियों के छुट्टी के वेतन के नियमों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के तत्संबंधी नियमों के समान करने का विचार कर रही है?

वित्त मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—जी नहीं।

आंकड़ा विभाग के कार्यालय

*४६--श्री लक्ष्मणराव कदम (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ के अलावा उसने प्रदेश में किस-किस जिले में आंकड़ा विभाग के कार्यालय खोल रखे हैं और मार्च, १९६१ में उनमें कितना-कितना स्टाफ था तथा उन पर वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में कितना व्यय हुआ ?

श्री अलगूराय शास्त्री--†विवरण संलग्न सूची में दिया हुआ है।

बरेली जिले में सड़कों का निर्माण

*४७--श्री नत्थूसिंह (जिला बरेली) तथा श्री बाबूराम (जिला बरेली)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश की पहली व दूसरी योजना में कुल कितने मील सड़कें कच्ची व पक्की बरेली में बनीं और कौन-कौन सी ?

श्री धर्मसिंह--यह सूचना संलग्न सूची में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६८८ पर)

श्री नत्थूसिंह--क्या मन्त्री जी कृपा कर बतायेंगे कि मुझे जो जवाब दिया गया है वह विभाग के कार्यालय से दिया गया है या जिले से मंगाया गया है ?

श्री धर्मसिंह--यहां से चीफ इन्जीनियर से रिपोर्ट मांगी जाती है उनके यहां सूचना होती है तो वह देते हैं, विभाग से भी आती है तो वह चीफ इन्जीनियर के द्वारा ही आती है और उसी के आधार पर उत्तर दिया गया है।

श्री नत्थूसिंह--क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसमें बरेली से लीभित जो ५ मील सड़क है वह ५० साल पुरानी बनी हुई है या अभी बनी है ?

श्री धर्मसिंह--इसके लिये तो देखना पड़ेगा कि कौन-सी सड़क है और ५० साल का जो वह जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में मेरे पास सूचना नहीं है।

सीतापुर जिले में पी० डब्ल्यु० डी० की सड़कें तथा लहरपुर-लालपुर सड़क का निर्माण

*४८--श्री प्रतापभानप्रकाश सिंह (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि किन कारणों से लहरपुर-लालपुर (सीतापुर) सड़क पर जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बननी थी उस योजना-काल में कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका ?

श्री गिरधारीलाल--इस सड़क का आगणन २ मार्च, सन १९६० में स्वीकृत हुआ था तथा कार्य भी तुरन्त आरम्भ कर दिया गया था। कार्य की प्रगति निम्न प्रकार है:--

मिट्टी का कार्य	पुल व पुलिया का वर्क	सोलिंग कुटाई	व्यय मार्च ६१ तक
४ १/२ मील	३ मील ५ फ०	३ मील	४७,२७० रुपये

†विवरण छापा नहीं गया।

*४९--श्री प्रतापभानप्रकाश सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि सीतापुर जिले के देहाती क्षेत्रों में (क्षेत्रवार) P. W. D. की कितनी मील लम्बी सड़कें द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक थीं ?

श्री गिरधारीलाल--इस जिले में कुल २९३ मील पक्की सड़कों का अनुमान है। इस समय क्षेत्रवार सूचना उपलब्ध नहीं है।

*५०--श्री प्रतापभानप्रकाश सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में किन-किन आधारों पर देहाती क्षेत्रों में P. W. D. की सड़कों का नव-निर्माण निश्चय किया गया है ?

श्री गिरधारीलाल--स्टार एन्ड ग्रिड फार्मूला के आधार पर जिन जिलों में पक्की सड़कों की कमी है उन जिलों में अन्तरिम जिला परिषद् द्वारा प्रस्तावित प्राथमिकता के आधार पर।

शाहजहांपुर-बीसलपुर सड़क पक्की करने की योजना

*५१--श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उसने शाहजहांपुर से बीसलपुर जिला पीलीभीत जाने वाली सड़क पुख्ता करने की कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसे वह कब तक कार्यान्वित करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मसिंह--प्रथम भाग--जी हां।

द्वितीय भाग--कार्य प्रगति में है।

तृतीय भाग--प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री बालकराम--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने योजना कब बनाई थी ?

श्री धर्मसिंह--जहां तक जिला शाहजहांपुर में शाहजहांपुर-निगोही, जिले की सीमा तक की सड़क, का सम्बन्ध है जिसकी लम्बाई बीस सही एक बटे चार मील है सन् १९५८ में इसका आगणन बनाया गया था।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--माननीय मन्त्री जी ने उत्तर में कहा कि कार्य प्रगति में है, तो क्या वह बताने की कृपा करेंगे कि बीसलपुर और शाहजहांपुर के बीच में कितने मील सड़क बन चुकी है और कितने मील अभी बननी बाकी है ?

श्री धर्मसिंह--यह तो मेरे पास सूचना नहीं है लेकिन कार्य में प्रगति का मतलब यह है कि मिट्टी का कार्य थोड़ा बहुत हो चुका है। जहां तक बीस सही एक बटे चार मील सड़क का सम्बन्ध है शाहजहांपुर निगोही का जो मैंने जिक्र किया है उसमें पुल, पुलियों में थोड़ा काम हुआ है, सोलिंग, कोटिंग इत्यादि हो गया है, इस तरह से थोड़ा बहुत कार्य हो गया है।

श्री देवनारायण भारतीय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन ठेकेदारों को इस सड़क को पूरा करने का ठेका दिया गया है उनको कब तक की अवधि इस सड़क को पूरा कर देने के लिये दी गई है ?

श्री धर्मसिंह--यह तो अलग-अलग काम से सम्बन्धित है लेकिन जहां तक पूरी सड़क के समाप्त होने का सम्बन्ध है, यह आशा की जाती है कि दिसम्बर, ६२ तक यह काम समाप्त हो जाना चाहिये।

श्री बालकराम--क्या सरकार को पता है कि सड़क पर सिवाय मिट्टी पड़ने के और कोई काम नहीं हुआ है ?

श्री धर्मसिंह--ऐसी बात नहीं है। मान्यवर, कुछ गलतफहमी है। इस सड़क के दो हिस्से हैं, नाम एक ही है। एक सड़क जिला शाहजहांपुर में शाहजहांपुर-निगोही, जिले की सीमा तक है जिसकी लम्बाई २० १/४ मील है, और दूसरी जिला पीलीभीत में जिले की सीमा से बीसलपुर तक है जिसकी लम्बाई ७ मील है। यह हो सकता है कि ७ मील में कार्य की बहुत प्रगति न हो लेकिन उसमें जो कुछ कार्य हुआ है मैंने उसका संकेत कर दिया है।

श्री प्रतापसिंह--श्रीमन्, सार्वजनिक निर्माण विभाग की यह पालिसी है कि जो इन्टर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हों, उनको प्राथमिकता दी जाय, तो सन् ५८ में जिसकी योजना बनी हो आज तक उस सड़क के पूरा न होने का क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह--सरकार की तरफ से तो पूरी कोशिश की जाती है कि दो जिलों को जो सड़क जोड़ती है उसे जल्दी पूरा किया जाय। इसमें कोशिश की गई है और कुछ कार्य हुआ भी है।

देवरिया जिले में सड़कों की निर्माण योजना

*५२--**श्री ब्रजनारायण तिवारी**--क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला देवरिया में तृतीय पंचवर्षीय योजना में किन-किन सड़कों का निर्माण करने का निश्चय किया गया है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किन-किन सड़कों का निर्माण-कार्य शेष रह गया है ?

श्री धर्मसिंह--सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--क्या मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि यह सूचना कब तक एकत्रित हो सकेगी ?

श्री धर्मसिंह--कोशिश तो सरकार की तरफ से की जा रही कि जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाय।

(तारांकित प्रश्न ५३-५४ का स्थगन)

(प्रश्न संख्या ५३-५४ का उत्तर देने हेतु श्री अध्यक्ष द्वारा सार्वजनिक निर्माण मंत्री को पुकारे जाने पर)

कुंवर श्रीपालसिंह--श्रीमन्, यह जो उत्तर मिला है वह इस प्रकार छापा गया है कि एक हर्फ भी नहीं पढ़ा जा सकता और बगैर पढ़े सप्लीमेंट्री कैसे किये जायं ? यह तो बड़ा अन्याय होगा, इसलिये मेरा निवेदन है कि किसी दूसरे दिन के लिये रख दिया जाय और साफ छपा हुआ उत्तर हमें दिया जाय। इसको अगर आप देखें तो एक हर्फ भी इसमें नहीं पढ़ा जा सकता है।

श्री अध्यक्ष--आपको कोई एतराज है अगर इसको कल या परसों ले लें ?

श्री धर्मसिंह--मुझे एतराज नहीं है, लेकिन जो सूची भेजी गई है वह तो साफ है।

श्री अध्यक्ष—मेरे पास तो साफ है, लेकिन उनके पास नहीं है।

कुंवर श्रीपालसिंह—श्रीमन्, यह सूची आपके पास भेज रहा हूं और उसको देख कर अगर आप उचित समझें तो ले लें।

श्री अध्यक्ष—अभी भिजवा सकते हैं तो भिजवा दें।

श्री गिरधारीलाल—मैं चाहता था इसे आपके पास भेज दूं और देख लें।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं परसों आप एक सवाल का जवाब देने वाले हैं उसी के साथ इसको भी रख दिया जाय।

[तारांकित प्रश्न ५३–५४—१९ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

रिहन्द की डूब के विस्थापितों को भूमि

*५५—**श्री राजनारायण** (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९५९ व १९६० में रिहन्द डूब के कितने भूमिहीन एवं भूमिवान परिवार विस्थापित हुए?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

	भूमिहीन	भूमिवान	योग
१९५९	..	..	..
१९६०	८८२	४,९९७	५,८७९

*५६—**श्री राजनारायण** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उपर्युक्त भूमिवान और भूमिहीन परिवारों को पुनर्वास में कितनी भूमि सरकार ने दी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

	एकड़
भूमिवान	७,०५६.४७
भूमिहीन	११८.२८
योग ..	७,१७४.७५

गोंडा जिला फारेस्ट अफसर के कार्यालय में परीक्षा

*५७—**श्री राजाराम शर्मा** (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या दिनांक १ दिसम्बर, १९६० को डी० एफ० ओ० (जिला फारेस्ट अफसर), गोंडा के दफ्तर में अथवा उनकी देखरेख में वन विभाग से सम्बन्धित कोई परीक्षा हुई थी? यदि हां, तो उसका परीक्षाफल घोषित हुआ या नहीं? अगर नहीं, तो उसका क्या कारण है?

श्री धर्मसिंह--जी हां, कथित परीक्षा १ दिसम्बर, १९६० को हुई थी जिसका परीक्षाफल ३ मई, १९६१ को घोषित हो चुका है।

*५८--**श्री राजाराम शर्मा**--उस परीक्षा में कितने परीक्षार्थी वन विभाग के कर्मचारी थे और कितने बाहर के परीक्षार्थी थे तथा उसमें कितने हरिजन थे?

श्री धर्मसिंह--उक्त परीक्षा में १० विभागीय परीक्षार्थी तथा ४३ बाहर के परीक्षार्थी थे। बाहर के परीक्षार्थियों में केवल दो परीक्षार्थी हरिजन थे।

श्री राजाराम शर्मा--मंत्री जी बतायेंगे कि जो परीक्षाफल घोषित हुआ है उसमें कितने लोग पास हुए और कितने फेल हुए और कितने विभागीय पास हुए और कितने फेल?

श्री धर्मसिंह--इसके लिये नोटिस चाहिये। लेकिन अभी तो दूसरा टेस्ट होगा तब पूरे तरीके से पता चल सकेगा।

श्री राजाराम शर्मा--जो परीक्षाफल घोषित हुआ यह प्रश्न के बाद हुआ या पहले?

श्री धर्मसिंह--इसके लिये भी नोटिस चाहिये।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--एक बार सदन में मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि डिस्ट्रिक्ट फारेस्ट अफसर के लिये पारिभाषिक हिन्दी शब्द की खोज की जायगी कि कौन-सा हिन्दी का शब्द इसके लिये उचित है। क्या सरकार उस शब्द को अब तक प्राप्त कर सकी है, अथवा नहीं? अगर किया गया है तो कौन-सा शब्द है क्योंकि इसको लेकर उस समय बड़ी हंसी हुई थी, शायद वनाधीश या वनपति कहा गया था?

श्री धर्मसिंह--इसके बारे में नहीं कह सकता, देखना पड़ेगा। फिलहाल मेरे पास इसकी सूचना नहीं है।

बदौसा पुल पर टैक्स माफ करने की प्रार्थना

*५९--**श्री जगपतिसिंह** (जिला बांदा)--क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बागे नदी के बदौसा पुल में जब से टैक्स लगाया गया है हर वर्ष अलग-अलग कितना रुपया वसूल हुआ, कितने मुलाजिम पुल पर काम करते हैं और उनका वेतन क्या है? उक्त पुल बनाने में क्या खर्च पड़ा है?

श्री धर्मसिंह--यह सूचना संलग्न विवरण में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६८९ पर)

श्री जगपतिसिंह--क्या सरकार विशेष ज्यादा टैक्स होने की वजह से इसमें कमी करने की बात सोच रही है?

श्री धर्मसिंह--जी नहीं।

श्री जगपतिसिंह--मंत्री जी बतायेंगे कि टैक्स पूरा वसूल हो जाने के बाद माफी होगी?

श्री धर्मसिंह---इस पुल की पूरी लागत वसूल हो जाने पर टैक्स माफ कर दिया जायगा।

रजिस्ट्रेशन विभाग में अस्थायी तौर पर कनफर्म किये गये क्लर्क

*६०---**श्री गौरीराम गुप्त** (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित) तथा **श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश में कुछ रजिस्ट्रेशन क्लर्क candidates गत तीन वर्षों में अस्थायी तौर पर कनफर्म (Provisionally confirmed) किये गये हैं? यदि हां, तो कितने?

श्री धर्मसिंह---गत तीन वर्षों में सात रजिस्ट्रेशन क्लर्क अस्थायी तौर पर कनफर्म (provisionally cofirm) किये गये हैं।

*६१---**श्री गौरीराम गुप्त** तथा **श्री ताराचन्द माहेश्वरी**---क्या सरकार इसकी जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री धर्मसिंह---अस्थायी तौर पर कनफर्म किये गये (provisionally confirmed) रजिस्ट्रेशन क्लर्कों की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'च' और पृष्ठ ६९० पर)

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---मंत्री जी बतायेंगे कि जिन्हें अस्थायी तौर पर कनफर्म किया गया है उनकी सर्विसेज कितने दिनों की हो गई थीं?

श्री धर्मसिंह---जो मेरे पास सूची है उसमें यह नहीं है कि कितने-कितने साल की सर्विस हो गयी है लेकिन यदि माननीय सदस्य किसी विशेष व्यक्ति का जिक्र करेंगे तो उसका पता लगा कर मैं बता सकूंगा।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि यह अस्थायी तौर पर कनफर्मेशन की जो क्रिया चली है उससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है इसलिये भविष्य में इसे रोकने की कृपा करेंगे?

श्री धर्मसिंह---फिलहाल जो कनफर्मेशन किये गये हैं, जब तक माननीय सदस्य किसी खास व्यक्ति का जिक्र न करें कि ज्यादती हुई है, नियमों के अनुसार ही हुए हैं। लेकिन फिर भी जैसा कि माननीय सदस्य कहते हैं, उस पर सरकार विचार करेगी।

ज्योति-औछा सड़क का निर्माण बन्द होना

*६२---**श्री गनेशचन्द्र काछी**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या मैनपुरी जिले में ज्योति से औछा के लिये जो पी० डब्ल्यू० डी० की सड़क बनाई जा रही है उस पर करीब चार मील मिट्टी पड़ने के बाद अब काम बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो इसके कौन-कौन से कारण हैं?

श्री धर्मसिंह---प्रथम भाग---ज्योति-औछा सड़क पी० डब्ल्यू० डी० के अधीन नहीं है और न उस विभाग द्वारा यह सड़क बनाई जा रही है।

द्वितीय भाग---प्रश्न नहीं उठता।

निर्माण कार्यों का सर्वेक्षण

*६३--**स्वामी विश्वेश्वरानन्द** (जिला आगरा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वित्तीय वर्ष १९५६-५७ में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत बेरोजगारी दूर करने के लिये सहायता सम्बन्धी योजनाओं के निमित्त निर्माण-कार्यों के ब्योरेवार तखमीने तैयार करने के लिये सर्वेक्षण कराया गया था जिसके खर्चे के लिये एक लाख सत्तानवे हजार रुपये की व्यवस्था की गई थी? यदि हां, तो क्या उस सर्वेक्षण की रिपोर्ट सदन की मेज पर रक्खी जायगी और यह बताया जायगा कि उक्त धनराशि में से किस-किस कार्य में कितना-कितना धन खर्च किया गया?

श्री धर्मसिंह--प्रथम भाग--जी हां। १,९७,४०० रुपये का आगणन जुलाई, १९५४ में इन सड़कों के सर्वेक्षण तथा विस्तृत आगणन तैयार करने के लिये स्वीकृत किया गया था। १९५६-५७ के बजट में इस कार्य के लिये केवल ५,००० रुपये का प्राविधान किया गया था।

द्वितीय भाग--सर्वेक्षण की कोई रिपोर्ट अलग से नहीं तैयार की जाती है। सर्वेक्षण के आधार पर तो विस्तृत आगणन ही तैयार किये जाते हैं, अतः सदन की मेज पर सर्वेक्षण की रिपोर्ट रखने का प्रश्न नहीं उठता है।

तृतीय भाग--अल्मोड़ा, गढ़वाल तथा टेहरी-गढ़वाल की सड़कों के सर्वेक्षण और विस्तृत आगणन बनाने में ८४,८९१ रुपये व्यय हुए और पूरी धनराशि अंत में भारत सरकार से वसूल हो गयी।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द--क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अल्मोड़ा, गढ़वाल और टेहरी-गढ़वाल, इन तीन सड़कों की लम्बाई क्या है और इनके अलग-अलग एस्टीमेट्स क्या हैं?

श्री गिरधारीलाल--लम्बाई का इस वक्त बताना तो बहुत कठिन है लेकिन वहां की सड़कों का जो सर्वे किया जाता है उसमें काफी कठिनाइयां होती हैं और बहुत दूर इधर-उधर आना-जाना पड़ता है।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द--जब सर्वेक्षण हो चुका है तो लम्बाई बताने में क्या कठिनाई है?

श्री अध्यक्ष--उनको मालूम नहीं है, वे सूचना चाहते हैं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस योजना के अन्तर्गत जो काम सरकार की तरफ से किया गया है उससे बेरोजगारी दूर हुई है तो उससे सरकार क्या इस नतीजे पर पहुंची है कि इस प्रकार का काम बराबर प्रदेश में जारी रहे?

श्री धर्मसिंह--यों तो प्रदेश में थोड़ा-बहुत कार्य जारी ही रहता है जहां तक सर्वेक्षण इत्यादि का सम्बन्ध है।

भारतीय नृत्य केन्द्र, नैनीताल को सहायता के लिये प्रार्थना

*६४--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या सरकार के पास भारतीय नृत्य केन्द्र नैनीताल की कोई मांग सांस्कृतिक कार्यों के संचालन हेतु कुछ सहायता दिये जाने के लिये आई है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है?

सूचना उपमंत्री (श्री रऊफ जाफरी)--जी हां, प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था किन्तु धनाभाव के कारण गत वित्तीय वर्ष में कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जा सकी।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि भारतीय नृत्य केन्द्र कुमायूं में बहुत अच्छा काम कर रहा है और पिछले वर्ष जो रामलीला बले वहां किया वह बहुत ही सफल रहा, इस वर्ष उसके लिये बजट में कुछ अनुदान देने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--बजट में तो खैर अनुदान क्या रखा जायगा, लेकिन जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स वगैरह हैं उनमें इस विषय के ऊपर सहानुभूति पूर्वक सरकार विचार कर लेगी।

अतारांकित प्रश्न

१--श्री गोविन्दसिंह बिष्ट तथा श्री राजेन्द्रसिंह--[हटा दिया गया।]

श्री अहमद अली खां अलवी के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को इस बात को सूचित करते हुए दुख होता है कि इस सदन का एक माननीय सदस्य जो आजकल सदस्य नहीं था, जो इस सदन का वर्षों सदस्य रहा है, वह हमारे बीच से उठ गया। मेरा तात्पर्य माननीय अहमद अली खां अलवी, जो राजा साहब सलेमपुर कहलाते थे, उनसे है। कल उनका निधन हो गया। वह सन् १९३४ से १९३६ तक बराबर लेजिस्लेटिव कौंसिल के सदस्य रहे और १९३७ में जब इंटरिम मंत्रिमंडल बना, उसमें उन्होंने शिक्षा मंत्री का कार्य किया। वह इस नगरी के और इस प्रदेश के एक प्रमुख व्यक्ति थे और शियाओं के अग्रणी नेता थे। उन्होंने अपने जीवनकाल में कई सार्वजनिक संस्थाओं के निर्मित होने में सहायता प्रदान की जैसे शिया कालेज तथा कालविन कालेज के संचालन में अगुआ का कार्य करते रहे। लखनऊ नगर के वह ऐसे व्यक्ति थे जो सारे समाज में अपना एक स्थान रखते थे और जिन्हें यदि कहा जाय कि यह एक सोशल एक्टीविटीज के सेंटर थे तो अत्युक्ति न होगी।

थोड़े जमाने से वह सार्वजनिक कार्यों से अवश्य अलहदा हो गये थे परन्तु अपने इस छुट्टी के कार्यकाल में वह अपना समय लिखने पढ़ने में व्यतीत करते थे, ईश्वर की आराधना में व्यतीत करते थे। उनके निधन से लखनऊ तथा अवध का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने अवध के जिलों के विभिन्न प्रश्नों का अध्ययन कर रखा था और उनके सुलझाने में जब तक वे जीवित रहे, हमेशा समय देते रहे।

मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस सदन की श्रद्धा और प्रेम उनके प्रति उनके घर वालों तक पहुंचा दीजिये। जो क्षति इस प्रदेश को उनके निधन से हुई है, उस क्षति के सिलसिले में यह सदन अपनी हार्दिक समवेदना उनके घर वालों से प्रदर्शित करता है और इस समवेदना को भी कृपा करके उनके घर वालों तक पहुंचा दीजिये।

***श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)--मान्यवर, जो प्रस्ताव मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया और जिन भावनाओं को उन्होंने प्रगट किया उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। माननीय अहमद अली खां अलवी की मृत्यु से जो क्षति पहुंची है, मैं समझता हूं कि उससे किसी भी समझदार आदमी को तकलीफ हो सकती है। मुख्य मंत्री जी ने खास तौर से यह जिक्र किया कि एक इतनी एक्टीविटीज का आदमी जो समाज सेवा करने में लगा हो, उसने अपने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को उनसे अलग कर लिया था और एक सन्यास का जीवन चलाना पसन्द किया था। यह बात जब मैं सुनता हूं कि इस प्रकार का कोई क्रियात्मक आदमी हो और उससे अपने को निकालकर बिलकुल दुनियावी झगड़ों से अपने को दूर रखे तो अनुकरणीय बात है और इसको सुनकर मेरे मन को संतोष होता है और मैं समझता हूं कि और लोग उनका अनुकरण कर सकें तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं ऐसा समझता हूं कि उनके परिवार की ही नहीं बल्कि राज्य की भी क्षति हुई है और हम उनके प्रति अपनी समवेदना प्रगट करते हैं और प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप हमारी भावनाओं को उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अहमद अली खां अलवी क निधन से निश्चय ही राजनीतिक जगत से एक अच्छे कार्यकर्त्ता के जाने से क्षति हुई है और जो उन्होंने व्यावहारिकता और आध्यात्मिकता का परिचय अपने जीवन में दिया, यह एक सराहनीय बात है। निश्चय ही ऐसे आदमी के उठ जाने से हमारे राज्य की क्षति हुई है और इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरी और मेरे दल की ओर से उनके दुखी और संतप्त परिवार के प्रति समवेदना भेजने का कष्ट करें।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता सदन और विरोधी दल के नेताओं की बातों से अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हुआ आपसे प्रार्थना करता हूं कि संतप्त परिवार के लोगों तक मेरी और मेरे दल की समवेदना भेजने की कृपा करें।

***श्री हिम्मतसिंह** (जिला बुलन्दशहर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नेता सदन और अन्य नेताओं ने भावनायें यहां पर व्यक्त की हैं, उनसे मैं अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे निवेदन करूंगा कि उनके संतप्त परिवार को हमारी इन वेदनाओं को पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय अहमद अली खां जिस बहुमुखी प्रतिभा और सक्रियता के व्यक्ति थे उसको देखते हुए उनके निधन से हमारे प्रदेश को एक अपूर्णीय क्षति हुई है। वह एक समाजसेवी थे। शिक्षा के क्षेत्र में संस्थाओं की स्थापना में भी उनकी देन थी। आखिर में जब सन्यास भी ग्रहण किया, तब भी कुछ न कुछ लिखते पढ़ते रहे और एक सक्रिय जीवन ही व्यतीत करते रहे। एक राष्ट्रसेवी व्यक्ति थे। शिया कान्फ्रेन्स से भी उनका सम्बन्ध था और शिया कान्फ्रेंस ने आम तौर पर उन जमानों में हमारी राष्ट्रीय धारा के साथ अपने को जोड़कर हमेशा रखा। ऐसे व्यक्ति के मरने से जो हानि हुई है वह बहुत बड़ी है और मैं माननीय नेता सदन की भावनाओं से अपने को सम्बद्ध करता हूं तथा आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी और हमारे दल की इन समवेदनाओं और सहानुभूति की भावनाओं को उनके संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--राजा सैयद अहमद अली खां अलवी जी के निधन पर नेता सदन तथा अन्य दलों के नेताओं ने जो भावनायें और खेद व्यक्त किया है उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। मेरा उनका सम्पर्क अधिक तो नहीं रहा लेकिन मुझे यह मालूम था और मालूम रहा है कि वह एक सत्पुरुष थे, सज्जन पुरुष थे राजनीतिक क्षेत्र में, और जिस वक्त राष्ट्रीय आन्दोलन चल रहा था, उस वक्त भी वह सहानुभूतिपूर्ण तरीके से आन्दोलन को देखते थे और जो कुछ सहायता एक सलाह देने की दृष्टि से दे सकते थे, देते थे। दूसरे शिक्षा क्षेत्र में भी उनके बड़े कार्य रहे हैं। सामाजिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, जहां कहीं उनकी मदद चाही जाती थी, बड़े खुले दिल से दिया करते थे। तो ऐसे सत्पुरुष के निधन पर सभी को दुख होना एक स्वाभाविक बात है। इसलिए मैं भी सदन की भावनाओं के साथ अपने को सम्बद्ध करता हूं और परमात्मा से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शान्ति दे। साथ ही जो भावनायें यहां व्यक्त की गई हैं, उनके संतप्त परिवार के पास मैं उन्हें भेज दूंगा। अब हम लोग उठकर उनकी आत्मा की शान्ति के लिए दो मिनट प्रार्थना करें।

(सब सदस्य दो मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

जिला जालौन के 'बुंदेला' तथा 'हलचल' समाचार-पत्रों के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न

श्री अध्यक्ष--माननीय गेंदासिंह जी क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--श्रीमन्, मैं आपका अमूल्य समय एक अपील के लिये लेना चाहता हूं और वह यह है कि इधर मैंने देखा है कि जालौन के कुछ स्थानीय पत्रों में कुछ इस प्रकार के समाचार छप रहे हैं कि जिनको लेकर के हमारे इस माननीय सदन का बहुत समय लगा और बड़ी तीव्र भावनायें उत्पन्न हुईं। मैंने यह सुना है और जैसा कल आपने यहां कहा भी था कि २ विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न इस वक्त भी आपके विचाराधीन हैं और उनपर कोई न कोई निर्णय आपको देना होगा। तो मैं आपके द्वारा माननीय रामस्वरूप जी जो एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने वाले हैं और दूसरे जो हैं गौरीशंकर राय जी, इन दोनों सज्जनों से अपील करता हूं कि उन्होंने इस सदन की प्रतिष्ठा के लिये जितनी चिन्ता की है वह सराहनीय काम है कि उनका ध्यान इस तरफ गया और यह उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन मैं उनसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि ये स्थानीय पत्र हैं और अगर इसी प्रकार सदन का समय स्थानीय पत्रों की नोकझोंक में लगेगा तो हम समझते हैं कि फिर हम यहां बहुत सेवा नहीं कर पायेंगे। मैं इस सिलसिले में आपसे यह निवेदन अवश्य कर देना चाहता हूं कि आपके लिये यह सम्भव नहीं है कि स्थानीय पत्रों पर रोज आपकी निगाह जाय परन्तु यदि कोई माननीय सदस्य आपकी निगाह को भी उस तरफ डलवाने की चेष्टा करें तो आप जरूर देखेंगे कि सदन की प्रतिष्ठा को ठेस न लगने पावे और इस तरह के स्थानीय पत्रों को यह सुझावेंगे कि वह ऐसी हरकत न करें। यह बात कह कर मैं उन दोनों सज्जनों से पुनः अपील करना चाहता हूं कि वे यदि अपने प्रश्नों को वापस ले लें तो सदन की बड़ी सेवा होगी और वे हम लोगों की बड़ी मदद करेंगे।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--मान्यवर, इसके अतिरिक्त कि इस सदन के सम्मान की रक्षा हो, उसके विशेषाधिकारों की रक्षा हो, और कोई उद्देश्य मेरे विशेषाधिकारों के सवाल के पीछे नहीं था। मैं समझता हूं कि अगर आप समझते हैं या सदन के माननीय सदस्य समझते हैं कि उस प्रश्न को वापस लेकर सदन के सम्मान की रक्षा हो सकती है तो मुझे कोई एतराज नहीं है और मैं उसे वापस लेता हूं।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि इधर कुछ दिनों से एक ऐसी समस्या उठ गयी थी इन दोनों अखबारों को लेकर के 'बुंदेला' और 'हलचल' को, जिसके कारण इस सदन में कुछ गड़बड़ी भी थी। मैंने जो अपना विशेषाधिकार का प्रश्न रखा था वह इस दृष्टि से रखा था कि सदन के अध्यक्ष का सम्मान सदन का सम्मान है और यदि अध्यक्ष के विरुद्ध कोई बात आती है तो सदन के सम्मान की सुरक्षा नहीं हो सकती है। यह भी सही है कि दूसरे माने में कि अध्यक्ष सदन के सदस्यों के सम्मान के संरक्षक हैं और सदन के सम्मान की मर्यादा उनके द्वारा रक्षित होती है। यह परस्पर का जो सम्बन्ध है उसको कायम रखना चाहिये। इस दृष्टि से मैंने यह सोचा था कि अगर इस तरह

बात चलेगी कि एक समाचार-पत्र में इस तरह की बात आये तो उससे सदन के सम्मान को ठेस लगेगी, सदन के अध्यक्ष के सम्मान को ठेस लगेगी और प्रतिष्ठा कायम नहीं रहेगी और इसी भावना से प्रेरित होकर मैंने यह प्रश्न दिया था। अब चूंकि यहां पर यह बात उपस्थित है और मैं समझता हूं कि शायद आपकी भी इस किस्म की राय हो कि इससे सदन में शान्ति रहेगी और सम्मान बढ़ेगा ही तो मैं ऐसी स्थिति में जोर तो नहीं देना चाहता लेकिन मैं इतना जरूर आपसे निवेदन करूंगा कि अगर इस प्रकार भविष्य में कोई गड़बड़ी हो और कोई किसी माननीय सदस्य पर आक्षेप करे और अगर किसी माननीय सदन की प्रतिष्ठा को ठेस लगे या अगर अध्यक्ष की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे तो उसको आप भली प्रकार रक्षित करेंगे और उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही करेंगे।

(श्री देवकीनन्दन विभव के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि दोनों के अवमान के प्रश्नों के वापस लेने के बाद तो अब भाषण करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वातावरण को अच्छा करने के लिये उन्होंने कहा है। मैं सिर्फ इतना कह देना चाहता हूं कि जिन भावनाओं से यह वापस लिया गया है और गेंदासिंह जी ने अपील की है मैं आशा करता हूं कि यह सदन हमेशा इस सदन की प्रतिष्ठा के लिये सबके साथ मिलकर एक साथ प्रयत्नशील रहेगा। मेरा तो यह कर्त्तव्य है ही कि मैं यह देखूं कि सदन के किसी एक सदस्य की भी प्रतिष्ठा न जाने पाये और इसके लिये प्रयत्न करता भी रहता हूं और करूंगा भी।

मैं इतना और कहना चाहता हूं कि जैसा गेंदा सिंह जी ने कहा कि इस प्रदेश में करीब ५४ जिले हैं और ३, ४ और ५ स्थानीय पत्र हर जिले में निकलते हैं। सब के प्रतिनिधि यहां पर मौजूद नहीं रहते हैं। किसने क्या छापा और किसने क्या नहीं छापा इसको देखने का तो मेरे पास समय नहीं है कि उनकी जानकारी करूं और किस-किस का प्रतिवाद करूं। मैं इतनी आशा जरूर करता हूं कि जहां कहीं भी ऐसी चीज आवे तो मेरे पास यहां पर प्रश्न उठाने के पहले, विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने के पहले सदन के सदस्य यह अपना भी कर्त्तव्य समझ लें कि वह अपनी तरफ से उसका प्रतिवाद भेज दें क्योंकि उनको पूरी जानकारी रहती है कि यहां पर क्या बात हुई। यदि प्रतिवाद भेजने के बाद इस प्रकार से मेरा ध्यान आकर्षित करेंगे तब तो यह चीज एक प्रकार से सीमित हो जायगी। इस प्रकार के प्रश्न जब सदन में उठाए गए हैं तो जो लोग यहां पर पत्रों के प्रतिनिधि हैं, यहां पर मौजूद हैं, उनके खिलाफ जब कभी ऐसे प्रश्न उठाये गये हैं तो मैंने यही उचित समझा कि प्रतिवाद की बात की तरफ संकेत कर दूं। परसों मैं और बातें आपके सामने रखूंगा, इस विषय के बारे में थोड़ा सा साफ कर दूंगा लेकिन वातावरण अच्छा बनाने का आरम्भ सदस्यगण आज से ही कर दें। सब यह सोचकर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं "Let us forget and forgive," यह भावना रखकर नये सिरे से हृदय से परस्पर प्रेम और सद्भावना उत्पन्न करने का प्रयत्न करें तो दो एक रोज में जो और बाकी प्रश्न रह गये हैं उनको इसी तरह से निपटाने का प्रयत्न हम सब कर सकते हैं जिससे कि इस विषय में कोई गरमागरमी न हो। इन शब्दों के साथ मैं फिर गेंदासिंह जी की भावना के बारे में यह कह सकता हूं कि वह बहुत उच्च कोटि की है और अगर उनकी अपील दोनों सदस्यों ने स्वीकार कर ली है तो यह भी एक आध्यात्मिक बल का प्रतीक है। उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं।

माताटीला व शारदा सागर में गबन की जांच स्थगित करने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव श्री रामस्वरूप वर्मा ने मेरे पास भेजा है। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि यह किस तरह से अरजेण्ट और निश्चित है, इस विषय में मुझे

[श्री अध्यक्ष]

वह जानकारी करायें। फिर बाद को मैं संबंधित मंत्री जी से पूछूंगा कि उनको कोई आपत्ति है या नहीं।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---जो कागजों को प्रस्ताव मैंने अध्यक्ष महोदय की सेवा में दिया है वह इस प्रकार है कि "मेरे द्वारा, माताटीला व शारदा सागर में क्रमशः एक करोड़ व पचास लाख के गबन का, उद्घाटन सदन में करने व इस संबंध में पत्र लिखने के बाद माननीय सिंचाई मंत्री ने डिप्टी चीफ इंजीनियर व उनके सहायकों को उनकी जांच का कार्य सौंपा था जिसमें प्रारम्भिक कुछ कागजों की जांच से ही दस लाख से अधिक का गबन केवल माताटीला में मिला था किन्तु मुझे कल ज्ञात हुआ है कि उक्त जांच स्थगित कर दी गई है। इस प्रकार से डेढ़ करोड़ से अधिक की जांच ठप करके सरकार ने जो जन-धन के अपव्यय का मार्ग खोल दिया है उससे प्रदेश का वातावरण क्षुब्ध हो उठा है और एक विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। अतः यह सदन इस अविलम्बनीय सार्वजनिक हित के इस लोकमहत्व के विषय पर विचार करने के लिये आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

श्रीमन्, मैंने २, ३ वर्ष पहले इसी सदन में यह कहा था कि एक करोड़ रुपये से कम गबन माताटीला में नहीं है। इस स्थिति को साफ करने के लिये मैंने मांग की थी कि इसकी जानकारी कराई जाय....

श्री अध्यक्ष---आप यह बतलाइये कि यह गबन किस तरह से है?

श्री रामस्वरूप वर्मा---तो इस पर जांच बैठी डिप्टी चीफ इंजीनियर की। वह लोग रिटायर हो गये। जो नये काम करने वाले एक्जिक्यूटिव इंजीनियर आये उन्होंने इसकी जांच की। जांच-पड़ताल करने के बाद मुझे निश्चित रूप से मालूम हुआ है कि १० लाख रुपये का गबन सिर्फ माताटीला के फाउन्डेशन में था। उन्होंने लिखा था और रिपोर्ट दी थी सरकार को। कल ही मैंने पूछा था कि माताटीला की जांच की कोई रिपोर्ट आयी थी तो उन्होंने कहा कि डिप्टी चीफ इंजीनियर तो रिटायर हो गये, थोड़े दिन जो जांच हुई थी उसमें १० लाख रुपये का गबन पता चला था। उसके बाद जांच बन्द कर दी गयी और अब जांच नहीं हो रही है। हमारे सामने कठिनाई यह है कि यह बात मुझे कल ही मालूम पड़ी और दो दिन बाद सदन उठने वाला है, तो अगर शुरू की जांच में १० लाख का गबन पता चला तो डेढ़ करोड़ का गबन होगा पूरी जांच करने पर, इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता। सदन के उठने के बाद बरसात आ जायगी और उसमें बांध का निरीक्षण नहीं किया जा सकता। पूरी जांच न हो सके इसलिये सरकार ने उसे ठप कर दिया है। अगर जांच होती तो पता चल जाता। जांच बन्द होने से जनता में क्षोभ है और इसलिये मंत्री जी इसको निश्चित रूप से स्वीकार करेंगे, यह मैं आशा करता हूं।

श्री अध्यक्ष---सिंचाई मंत्री जी इसको स्वीकार करते हैं या इसका विरोध करते हैं।

सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)---अध्यक्ष महोदय मेरी नोटिस में इस किस्म की कोई चीज नहीं है और मुझे अफसोस है कि सदन इतने दिनों से बैठा हुआ है और वर्मा जी इसे इतने दिनों से जानते हैं लेकिन इसके पहले न वह मेरी नोटिस में और न आपकी नोटिस में यह बात लाये। अगर पहले यह बात नोटिस में आती तो कुछ छानबीन की जाती, लेकिन आज यह कहना कि दो दिन बाकी हैं सदन बन्द होने के और इसलिये वह चाहते हैं कि जांच करा कर कुछ जवाब दिया जा सके, यह मुमकिन नहीं है।

श्री अध्यक्ष---आप इसको निश्चित समझते हैं और जरूरी समझते हैं या नहीं।

श्री राममूर्ति---यह निश्चित भी नहीं है और इसकी जरूरत भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष--दस लाख का कोई नुकसान या गबन नहीं हुआ ?

श्री राममूर्ति--मेरे नोटिस में इस तरह की कोई चीज नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--मैं कामरोको प्रस्ताव के लिये अनिश्चितता के आधार पर स्वीकृति नहीं देता, लेकिन मंत्री जी इस पर परसों तक जानकारी हासिल करके नियम ५२ के अनुसार जैसा वक्तव्य देते हैं, वह जानकारी सदन को दे दें, क्योंकि सदन बन्द होने वाला है इसलिये इस संबंध में गलतफहमी फैलनी नहीं चाहिये । अगर असत्य हो तो आप बतला दें, सत्य हो तो उसको स्वीकार करके जो आगे कार्यवाही हो रही हो और सरकार करना चाहती हो, वह बतला दें ।

श्री राममूर्ति--परसों के बजाय आप कल रखिये । जो कुछ पता लग सकेगा बतला दूंगा ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--माननीय मंत्री जी की जानकारी के लिये एक बात और निवेदन कर दूं । मातांटोला की पिचिंग जब टूट गयी थी तो चौधरी साहब ने कहा था कि उसमें पानी है इसलिये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कितने का नुकसान हुआ है। तो नुकसान के बारे में पुरानी फाइल से सब पता चल जायगा ।

श्री अध्यक्ष--नुकसान की बात दूसरी है। यह गबन की बात है।

श्री रामस्वरूप वर्मा--जो जांच कमेटी बैठी थी वह ठप हो गयी है, यह मैंने कहा था। मंत्री जी कहते हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं हुई है । तो कम से कम वह कमेटी के बारे में तो बतलावें ।

श्री अध्यक्ष--इस समय उनको याद नहीं है, वह कल बतला देंगे ।

नियम ५२ के अन्तर्गत बिजली कम्पनी, मैनपुरी के इंजीनियर द्वारा बिजली का कनेक्शन काटने से पानी के अभाव के संबंध में वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष--अब मैं नियम ५२ के प्रस्तावों को लेता हूं । जितने प्रस्ताव इस नियम के अन्तर्गत आये हैं उनमें मैंने एक श्री गनेशचन्द्र काछी जी का स्वीकार किया है वह इस प्रकार है--"मैं आपका ध्यान बिजली कम्पनी, जिला मैनपुरी के इंजीनियर के उस अवैधानिक कार्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसके कारण १४ मई, १९६१ से मैनपुरी में पानी के अभाव के कारण इस गर्मी के दिनों में जनता में त्राहि-त्राहि मची है । उपर्युक्त इंजीनियर ने १४-५-६१ को प्रातः काल साढ़े ४ बजे ट्यूबवेल नं० १ का बिजली का कनेक्शन काट दिया और इसी ट्यूबवेल से जनता को पानी मिल रहा था । इस प्रकार जनता को प्यासों मारना कुत्सित और अमानुषिक कार्य उपर्युक्त इंजीनियर द्वारा किया गया है । कहा जाता है कि चुंगी के कर्जे की वसूली के वमनस्य से तथा मैनेजिंग डाइरेक्टर के आफिस के अनियमित पानी का कनेक्शन काट दिये जाने का आदेश देने के कारण शरारतन बिजली का कनेक्शन काटा गया है । नगरपालिका तथा बिजली कम्पनी को आपसी झगड़ा जो कुछ भी रहा हो परन्तु उसके कारण जनता को इस प्रकार पानी का कष्ट देना अनधिकार चेष्टा है। जनता को प्यासा मरते देखना पैशाचिक है। अतः मैं नियम ५२ के अन्तर्गत इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आपके द्वारा संबंधित मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जिससे कि जनता का पानी का कष्ट तुरन्त दूर किया जा सके ।"

[श्री अध्यक्ष]

इसी प्रस्ताव के साथ उन्होंने अध्यक्ष, नगरपालिका, मैनपुरी की एक सूचना भी नत्थी की है जिसमें लिखा है कि "सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आज सुबह ४॥ बजे स्थानीय बिजली कम्पनी के रेजीडेन्ट इंजीनियर के आदेशानुसार रूप में बिना किसी सूचना के ट्यूबवेल नं० १ का बिजली का कनेक्शन काट दिया है और ट्यूबवेल नं० ३ की लाइन में खराबी होने का कारण बिजली नहीं आ रही है। इसलिये नगरपालिका जनता को बिजली न मिलने के समय तक जल वितरण करने में असमर्थ है।"

इस संबंध में माननीय मंत्री जी कब वक्तव्य देंगे ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)--मैं इस संबंध में परसों १९ तारीख को वक्तव्य दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष--ठीक है, आप परसों वक्तव्य दे दें।

नियम ५२ के अन्तर्गत अभिसूचित प्रस्तावों के संबंध में जानकारी

श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)--अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले एक नियम ५२ का प्रस्ताव दिया था, उस समय आपने यह कहा था कि मैं उस संबंध में अल्पसूचित प्रश्न पूछ लूं। आज मुझे आपके विभाग से सूचना मिली है कि उन प्रश्नों को १३वें मंगलवार के लिये रखा गया है। विधान सभा की बैठक १९ को उठ रही है। इसलिये आपकी ओर से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि उनको सदन उठने के पहले ही लिया जा सके।

श्री अध्यक्ष--मैंने मंत्री जी को लिख दिया है कि वे परसों इसका जवाब दे दें। परसों के लिये वह रख दिया गया है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक महत्वपूर्ण विषय पर नियम ५२ का प्रस्ताव दिया था....

श्री अध्यक्ष--आज तो मैंने एक दूसरा ले लिया है, आप अपना प्रस्ताव कल फिर पेश कर दें।

श्री भजनलाल (जिला इटावा)--अध्यक्ष महोदय, एक प्रस्ताव नियम ५२ का मैंने भी दिया था.....

श्री अध्यक्ष--आप कृपया बैठें। एक दिन में एक ही प्रस्ताव लिया जा सकता है।

श्री भजनलाल--श्रीमन्, जनता मर जायेगी....

श्री अध्यक्ष--आप प्रश्न पूछ लें।

बलिया जिले में छोड़हरा ग्राम में भयंकर आग लगने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--अब बलिया जिले की बाबत माननीय न्याय मंत्री अपना वक्तव्य देंगे।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--अध्यक्ष महोदय, जो इत्तिला मेरे पास है उसके अनुसार ग्राम छोड़हरा में पहली मई, १९६१ को आग लगी थी। लगभग ७४ मकान जल गये, ४ बकरियां जल गयीं और नुकसान करीब ६७,७०० रुपये का हुआ। तहसीलदार, नायब तहसीलदार मौके पर गये और उन्होंने मौके को देखा। नगवां ग्राम में २२ मार्च, ६१ को प्रचण्ड हवा होने के कारण आग लगी थी। वहां भी १९ मकान जले थे और एक बछड़ा जल गया।

नुकसान का तखमीना १६,६१७ रुपया है। कलेक्टर, तहसीलदार और नायब तहसीलदार मौके पर जा चुके हैं और तकावी वगैरह हो चुकी, सहायता वगैरह बांटी जा रही है और मैंने डायरेक्शन भी दे दिये हैं, कलेक्टर को, कि जितनी मुनासिब सहायता दी जा सके वह देने की चेष्टा करें।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---जो मकान जल गया है, उसमें उनका गल्ला भी जल गया होगा, तो रबी की जो मालगुजारी है, क्या उसमें छूट देने के लिए या उनको तकावी के अलावा कुछ अनुदान या सहायता देने के लिए भी लिख दिया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---वह तो कलेक्टर जो प्रोपोजल मुनासिब समझेगा वह दे देगा। गंगा हरिद्वार से बनारस को बहती है, बनारस से हरिद्वार को नहीं बहती।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---क्या मंत्री जी को मालूम है कि नैचुरल कैलेमिटीज फंड में जो हर जिले के लिए रुपया होता है वह बहुत कम होता है जिसके कारण हजारों घर जल जाने से पिछले साल कुछ मदद नहीं की जा सकी, तो क्या बलिया जिले को विशेष तौर से नैचुरल कैलेमिटीज फंड में कुछ और रुपया देने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अप्रैल में ५०० रुपया भेज दिया था और १ हजार मैंने परसों भेज दिया।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---इस बात को देखते हुए कि इन दिनों में अक्सर मकान बहुत जलते हैं और १०-५ रुपया जो मंत्री जी देते हैं उनसे मकान बन नहीं पाता तो क्या ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो घर जलें, कम से कम उनकी जगह फूस के मकान बना सकें, उतनी सहायता जले हुए घर वालों को दी जा सकेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---पूरे तौर से कंपेंसेट करना सरकार के इमकान के बाहर है। हम सहायता देते हैं ताकि सहारा लेकर वह अपने पैरों पर खड़े हो जायं।

श्री रामलक्षण तिवारी (जिला बलिया)---नगवां ग्राम में क्या केवल दो ही बार आग लगने की घटना की सूचना सरकार को प्राप्त हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी हां।

श्री रामलक्षण तिवारी---जो इत्तला प्राप्त हुई है मुझे, उसके अनुसार तीन बार आग लगी है और तीनों तरीखें मेरे पास मौजूद हैं और छपी भी हैं, तो क्या कलेक्टर से मालूम करेंगे कि गलत रिपोर्ट क्यों आयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कलेक्टर ने रिपोर्ट की है कि १९ और २७ मार्च को आग लगी।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या सरकार ने इस प्रकार की कोई व्यवस्था की है कि आग लगने के बाद तुरन्त कलेक्टर को मुकामी अफसर सूचना दे दें पूरी तफसील के साथ और कलेक्टर सरकार को पूरी तफसील के साथ सूचना दे दें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह तो है ही।

श्री गेंदासिंह---क्या यह शिकायत सही है कि हिदायत तो है, लेकिन इसका पालन नहीं होता है और सरकार को सूचना मंगाने की जरूरत पड़ती है सचिवालय से तो कलेक्टरों से पूछा जाता है ? अगर यह बात सही है तो उस हिदायत का पालन कलेक्टर क्यों नहीं कर रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--कर रहे हैं। आज मौके पर तसाहुली हो जाती है तो हम मांग भी लेते हैं।

श्री गौरीशंकर राय--क्या सरकार को मालूम है कि नगवां गांव गंगा के किनारे है और जो झोपड़े जले हैं उनमें थोड़े ऐसे थे जो जमीन पर छाये गये थे, ऐसे ही जमीन पर रख दिये गये थे और उनके रखने और छाने के लिए जमीन की भी व्यवस्था नहीं थी? ऐसी हालत में जब कि नया इन्तजाम होगा तो क्या सरकार व्यवस्था करेगी कि उन लोगों के बसने भर के लिए पूरी जमीन की व्यवस्था हो सके?

श्री हुकुमसिंह विसेन--यह तो मुझे इत्तला है नहीं कि कैसे बसे हैं वहां, लेकिन यह विचार किया जा सकता है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार को पता है कि ऐसे जिलों में जो आग की दुर्घटनाएं हुई हैं उससे हजारों घर जल गये हैं और उनके लिए हजार पांच सौ की सहायता की गयी है जो कि कम है। तो १०-१०, ५-५ रुपये के बजाय पहले की तरह से कम से कम एक झोंपड़ी बनाने पर २५ रुपये की सहायता देने की आज्ञा जिलाधीश को देंगे ताकि यह रुपया लकड़ी और छप्पर भर के प्रबन्ध के लिए लोगों को मिल सके?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जब जिलाधीश देख करके जरूरत समझता है तो सरकार को मंजूरी के लिये भेजता है और सरकार मंजूर करती है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि जो सहायता दी जाती है, अहेतुक सहायता, वह किसी सिद्धान्त के आधार पर दी जाती है जैसे किसी का घर जल गया तो उसकी कितनी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके या वह किस प्रकार से मकान में रह सके, इन बातों का कोई ध्यान रखा जाता है या स्वेच्छापूर्वक दे दिया जाता है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--मैंने पहले कह दिया कि हम कम्पेन्सेट नहीं कर सकते, कुछ सहायता ही दे सकते हैं।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)--मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि अनेक वर्षों से आग लगती हुई चली आ रही है, लखीमपुर जिला भी इसका शिकार हुआ, वहां पर हर रोज दस-बीस गांव जलते हैं तो लखीमपुर में पिछले साल कितने गांवों में आग लगी और सरकार ने कितनी सहायता दी, यह सरकार बताएगी?

श्री अध्यक्ष--बलिया से लखीमपुर बहुत दूर है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--मुझे बहुत अफसोस हुआ जब मंत्री जी ने यह जवाब दिया कि डी० एम० को अधिकार है, वह जैसा समझता है सरकार के पास सिफारिश करता है और सरकार उसको मंजूर करती है; तो मैं आपके द्वारा सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की कोई निश्चित पालिसी है कि आग लग जाने के बाद जिनके घर जल गये, मवेशी जल गये, अन्न और वस्त्र जल गया और उनके पास कोई सहारा नहीं रहा उस सूरत में सरकार कोई निश्चित राय कायम करने जा रही है कि किस प्रकार और कितनी सहायता दी जाय?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इसी गरज से अहेतुक सहायता दी जाती है।

नियम ५२ के अन्तर्गत मिल मालिकों की ओर से गन्ना पेरने में ढिलाई के संबंध में वक्तव्य (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष--अब प्रदेश की चीनी मिलों में गन्ने की पेराई में ढिलाई होने के सम्बन्ध में सर्वश्री गेंदासिंह तथा ब्रजनारायण तिवारी द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत, दिनांक १० मई, १९६१ को दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य, यह लिया जायगा।

उस रोज उन्होंने कहा था कि इसको छपवाकर बटवा देंगे। वह छपवाकर बटवा दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ६९१-६९२ पर)

अब इस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि उस दिन मैंने आनन्दनगर मिल, गोरखपुर के सम्बन्ध में दफा ५२ के अन्तर्गत प्रश्न दिया था और वह सूचना सरकार के पास आपके दफ्तर के द्वारा चली भी गई लेकिन इस वक्तव्य में उसके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है।

श्री अध्यक्ष--जितनी सूचना उन्होंने दी है उसके बारे में आप पूछें।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, उस दिन मैंने कुछ जबानी सूचना भी दी थी लेकिन आज जो सरकार की ओर से वक्तव्य के द्वारा सूचना मिली है वह उस रोज से भी कम है। मसलन उस दिन एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने बताया था कि ३६ करोड़ और कुछ लाख मन गन्ना पेरा जा चुका है और कीमत जो बाकी है उसके सम्बन्ध में बताया था कि चार करोड़ और कुछ लाख रुपया यानी ११ परसेन्ट बाकी है लेकिन मैंने जब दाम जोड़े एक रुपया १० आने के हिसाब से तो ५९ करोड़ रुपया किसान का बाकी होना चाहिये। तो इसमें जो फीगर्स दी गई हैं उसके बारे में भी मंत्री जी स्पष्ट कर देने की कृपा करेंगे....

श्री अध्यक्ष--आप प्रश्न पूछिये। उस रोज जो प्रश्न किये गये, उनके जवाब दिये गये वह इसमें नहीं आये।

श्री मदन पांडेय--९ अप्रैल को श्री डी० डी० पुरी ने वक्तव्य दिया था कि हमारी मिलें दाम देना बन्द कर देंगी। १५-४-६१ तक की फीगर्स के हिसाब से अब तक १५ करोड़ दिया गया है लेकिन उसमें चार करोड़ ही दिखलाया जा रहा है तो इसमें क्या प्रगति है इस पर भी मंत्री जी प्रकाश डाल दें।

सूचना उप-मंत्री (श्री रऊफ जाफरी)--यह सवाल जो उठाया गया है वह १२ तारीख को पूछा गया था और उस वक्त मैंने यह अर्ज किया था कि दाम के मुताल्लिक जो फीगर्स दिखलाई गई हैं वह दो फीगर्स हैं, एक तो मार्च के खत्म होने तक की और दूसरी १५-४-६१ तक की। १५-४-६० के बाद से अब तक जो होता रहा है और २६ करोड़ मन की बात बाकी तक की है, उसका दाम उसके अन्दर शामिल नहीं है, इस फर्क की वजह जो थी उसका जवाब मैंने दे दिया था।

यह जो इनफारमेशन आप लोगों को बांटी गयी है उसमें आप यह सही कर लें--एक तो यह आनन्द नगर और सिसवा बाजार की मिलें १२ तारीख को बन्द हो गयी हैं। उसमें यह लिखा

---

† १२ मई, १९६१ की कार्यवाही से।

[श्री रऊफ जाफरी]

हुआ है कि वे मई के दूसरे सप्ताह में बन्द हो जायंगी। इन दोनों मिलों के बारे में मैं उस दिन भी बतलाना चाहता था लेकिन बतला नहीं सका।

आनन्दनगर मिल के मालिक की तरफ से यह कहा गया कि उनका कान्ट्रेक्ट साढ़े पांच लाख मन का था जिसमें से उन्होंने पांच लाख दस हजार मन गन्ना क्रश कर दिया। उस लिहाज से ४० हजार मन बाकी है लेकिन वे कहते हैं कि असल में गन्ना बाकी नहीं है। अकेली बरौनी ही चलती रही। बहरहाल, हमने उनकी इस बात को सही नहीं मान लिया है। इसलिये जो बचा हुआ ४० हजार मन गन्ना है उसको पेरवाने का इन्तजाम किया जा रहा है।

सिसवा बाजार बन्द हो गयी है। माननीय मदन पांडेय जी का पत्र भी मुझे मिला जिसमें उन्होंने लिखा था कि आनन्द नगर, सिसवा बाजार और सिवरोही मिलें बन्द हो गयी हैं। शिब्बन लाल जी का भी तार आया था और अब्दुल रऊफ लारी साहब के भी उस पर दस्तखत थे, जिसमें लिखा था कि बहुत सा गन्ना पड़ा हुआ है। हमने इस बारे में दरियाफ्त कराया तो मालूम हुआ कि गन्ने का कान्ट्रेक्ट बाकी नहीं है लेकिन फिर भी डिप्टी केन कमिश्नर को इस बात के लिये भेजा जा रहा है कि वह खुद जाकर इस बात को देखें कि क्या वहां गन्ना बाकी है। सिवरही के बारे में माननीय सदस्य जो सवाल करेंगे उनका जवाब मैं दूंगा। सिवरही के बारे में इतना अवश्य कह देना चाहता हूं कि १३ तारीख को उन्होंने गन्ना नहीं खरीदा। उससे पहले वे अपने फार्म का गन्ना ले रहे थे। कुछ लोगों ने उसमें रुकावट डाली और उसके बाद उन्होंने १३ तारीख को खरीद नहीं की। १४ तारीख को उनके मैनेजर को यहां बुलाया गया। उसका नतीजा बाद में बतलाऊंगा। १४ तारीख को इतवार का दिन था। उनका कहना था कि आठवें दिन वे क्लीनिंग करते हैं, इसलिये इतवार को बन्द रही। सोमवार से वह मिल चालू हो गयी है। जहां तक उनके फार्म से गन्ना लिये जाने का ताल्लुक है, तो पहले वे ४ हजार मन गन्ना रोज अपने फार्म का ले रहे थे। लेकिन अब तय यह हुआ है कि २ हजार मन गन्ना वे अपने फार्म का लेंगे और बाकी किसानों का लेंगे। बेहतर तो यह होता कि वे अपना गन्ना बिल्कुल ही न लेते, लेकिन अब यह तय कर दिया है। माननीय सदस्यों को मालूम है और मैंने पहले बताया भी था कि उनके यहां एक ब्वायलर खराब हो गया था जो अब ठीक हो गया है। यहां से इन्सपेक्टर गया हुआ है, अगर उसकी रिपोर्ट होगी, उम्मीद है कि वह हो जायगी तो जितना कम गन्ना पिरा है वह पेरा जायगा। अगर २७–२८ हजार मन गन्ना रोज पेरा तो उम्मीद है कि....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप संक्षेप में ही कहें, आप ही सारा समय ले लेंगे तो फिर प्रश्न कैसे वह कर सकेंगे?

श्री रऊफ जाफरी—कोई वक्त मुकर्रर है क्या इसके लिये?

श्री अध्यक्ष—उनको प्रश्न करने का मौका होना चाहिये, आप संक्षेप में ही कहें।

श्री रऊफ जाफरी—मैं समाप्त किये देता हूं। वह प्रश्न करें।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—श्रीमन्, आपने भी यह स्टेटमेंट देखा होगा, मैं यह जानना चाहता हूं कि केवल देवरिया में ही ४ फैक्टरियां बन्द हो गईं, वहां एक तो भटनी की आधी अप्रैल से ही बन्द हो गई और एक के जून में अधिक सप्ताह तक चलने की सम्भावना है। तो एक गांव का गन्ना जो इस जून तक चलने वाली फैक्टरी के इलाके का है वह जून तक खड़ा रहेगा और उसके पास के ही दूसरे गांव का गन्ना भटनी मिल ने आधी अप्रैल से पहले ही पेर डाला और वहां के किसानों ने अब खरीफ की तैयारी के लिये खेत भी तैयार कर लिये। जब गन्ने की बिक्री और उसकी कीमत की सारी जिम्मेदारी सरकार की है तो ऐसा अनियोजित काम सरकार ने क्यों कराया?

श्री रऊफ जाफरी--जो उनका अन्देशा है वह सही नहीं है। पिछले जमाने में जिस सूरत से काम हुआ है हमने बराबर केन को डाइवर्ट किया है। हमने सेवरही फैक्टरी का दस हजार मन गन्ना दूसरी जगह भेजा है। एक बन्द हो जाय और दूसरी देर तक चलती रहे इसकी कोशिश रही है कि ऐसा न होने पाये। मुझे इत्तला मिली है कि लक्ष्मीगंज और रामकोला में.....

श्री अध्यक्ष--उन्होंने भटनी के बारे में कहा है।

श्री उग्रसेन--श्रीमन्, एक लाख ३४ हजार मन अभी बाकी है।

श्री रऊफ जाफरी--उसके बारे में यह था, कि जैसा मैंने बताया, डिप्टी केन कमिश्नर को वहां भेजा जा रहा है और यहां भी बात हो रही है कि वह २० तारीख को बन्द न हो बल्कि कप्तानगंज का गन्ना दूसरी मिल को भेजा जाय, वह भी चलता रहे और इस माह के आखिर तक या करीब-करीब खत्म तक यह दोनों मिल चलें। सिवा एक दो मिल के जून में ज्यादा चलने की उम्मीद नहीं है अगर कोई टूट-फूट नहीं होती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि ननीताल जिले में इस वर्ष किछा फैक्टरी न बनने के कारण जो करोड़ों मन गन्ना तराई क्षेत्र में पेरने का इन्तजाम नहीं हुआ उसके पेरने के इन्तजाम हेतु बाजपुर, काशीपुर फैक्टरियां मई तक चलने पर भी वहां वह लाखों मन गन्ना नहीं पेरा जा सका तो रामपुर और मुरादाबाद की फैक्टरियों को पहले ही बन्द करने का आदेश सरकार ने क्यों दिया?

श्री रऊफ जाफरी--जहां तक मेरी सूचना है वह यह है कि वहां ऐसा इन्तजाम हुआ है कि वह सब पेर लिया जायगा; वह बहुत-सी फैक्टरियों को बांटा गया है और जो गन्ना है वह सब पिर जायगा। आपने जो कहा कि फैक्टरियां बन्द हो रही हैं, उसके बारे में मैंने अर्ज किया कि कोशिश है कि फैक्टरियां जल्द बन्द न हों। यह जरूर है कि हम उनको ज्यादा मजबूर नहीं कर सकते लेकिन हमारी कोशिश यह जरूर है कि आस-पास की फैक्टरियां करीब-करीब एक ही वक्त में बन्द हों।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--श्रीमन्, कुछ फैक्टरियों की तिथि निश्चित कर दी गई है कि फलां तारीख तक बन्द हों और उस इलाके में गन्ना पड़ा हुआ है जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं और मैं खुद कल-परसों देख कर आया हूं, तो क्या मंत्री जी इस प्रकार का आदेश सभी फैक्टरियों को देने की कृपा करेंगे कि जब तक उनके इलाके का सभी गन्ना नहीं पिर जाता तब तक वह बन्द न हों?

श्री रऊफ जाफरी--जी हां, ऐसा ही किया जा रहा है कि जब तक जो गन्ना उनके मिल म पेरे जाने को था उसको पेर नहीं लेते तब तक बन्द नहीं करेंगे और अगर कोई फैक्टरी बन्द करती है अपना गन्ना छोड़ कर तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--जैसा कि माननीय गेंदासिंह जी ने कहा कि भटनी की फैक्टरी और तीन और फैक्टरियां बन्द हो गईं और जैसा कि मंत्री जी कहते हैं कि और फैक्टरियां चल रही हैं और चलेंगी तो ये जो चार फैक्टरियां बन्द हो गईं, इनको क्यों बन्द होने दिया गया और जो गन्ना इनकी टेरेटरी के पास पड़ा हुआ था वह क्यों नहीं पेरने के लिये कहा गया और क्यों नहीं यह कहा गया कि इस गन्ने को पेर कर बन्द हो और बन्द हुईं तो उनके खिलाफ कोई कार्यवाही सरकार करने जा रही है या नहीं?

श्री रऊफ जाफरी--मैंने यह तो पहले ही कह दिया कि जो उनके कंट्रेक्ट का गन्ना है अगर उसको बगैर पेरे हुए फैक्टरी बन्द हो जाती है और वहां गन्ना रह जाता है तो उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। यह जो कहा गया कि फैक्टरी बन्द हो गई, जैसे भटनी के बारे में कहा, जो

[श्री रऊफ जाफरी]

उसका जो गन्ना था उसको पेरकर वह बन्द हुई, इसके लिये उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा सकती। जहां यह होगा कि जो गन्ना उनको पेरना था उसे छोड़ कर बन्द की जाएगी, जैसा कि आनन्दनगर के मुताल्लिक इस वक्त इत्तिला है, तो हम देखेंगे और जरूर कार्यवाही करेंगे।

श्री उग्रसेन---मंत्री जी ने जैसा कि सदन में फर्माया, भटनी मिल का १ लाख ३४ हजार मन गन्ना बाकी है और आनन्दनगर का ४० हजार मन बाकी है---हालांकि वह ९० हजार मन छोड़ कर बन्द हुई है---इसके अलावा प्रतापपुर का करीब पौने दो लाख मन है और देवरिया का करीब डेढ़ लाख मन है, तो जो ये तमाम सट्टा किया हुआ गन्ना छोड़ कर फैक्टरियां बन्द हो गईं उनके खिलाफ अब तक किसी कार्यवाही के आदेश मंत्री जी ने दिये हैं ?

श्री रऊफ जाफरी---जो मैंने पहले कहा वह फिर दोहराता हूं कि जो फैक्टरियां ऐसे बन्द होंगी उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। जो बन्द होने जा रही हैं उनके लिए यह कोशिश की जा रही है कि बन्द न हों, जैसे तुलसीपुर के मुताल्लिक हमें आशा है कि हम पिरवा देंगे . . . .

श्री उग्रसेन---कार्यवाही क्या हुई ?

श्री रऊफ जाफरी---मैंने कहा कि जो बन्द हो रही हैं उनको देखा जा रहा है और मैंने यह भी कहा कि डिप्टी केन कमिश्नर को वहां देखने के लिये भेजा जा रहा है।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---२ लाख मन गन्ना बढ़नी में आनन्दनगर फक्टरी बन्द होने के कारण पड़ा हुआ है, उसे तुलसीपुर फैक्टरी द्वारा पिरवाने की व्यवस्था सरकार करेगी ?

श्री रऊफ जाफरी---मैंने जो अर्ज किया। तुलसीपुर वाले शायद ४ लाख ४५ हजार मन, ५ लाख मन में से पेर चुके हैं, तो करीब १ लाख मन तो वह और ४० हजार मन यह पेरकर बन्द हो, यह कोशिश की जा रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब नेवली शुगर फैक्टरी के ऊपर साढ़े ५ लाख रुपया हल्द्वानी केन सोसायटी का बाकी है और वह अदा नहीं कर रहे हैं तो फिर उसी फैक्टरी को इसका गन्ना क्यों एलाट किया गया जबकि दूसरी फैक्टरी नकद दाम दे रही थी और वह पहले ही बन्द हो गई थी ?

श्री रऊफ जाफरी---इसके मुताल्लिक पूरी वाकफियत मुझे है नहीं अगर वह चाहेंगे तो मैं कल पूछ कर बतला सकूंगा। जहां तक यह सवाल है कि नेवली को क्यों एलाट किया गया तो उसकी वजह यह है कि, क्योंकि गन्ना ज्यादा था, जो फैक्टरी भी लेने के लिये तैयार थी उसको दिया गया, लेकिन जैसा मैंने कहा, कल मैं बता दूंगा।

श्री गेंदासिंह---आज शाम को इंडियन शुगर मिल्स ऐसोसियेशन की यू० पी० ब्रांच की मीटिंग है और हमारा जहां तक खयाल है उप-मंत्री जी तथा मुख्य मंत्री जी भी उसमें उपस्थित होंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं क्या अपने गुड आफिसरों को और अपने अख्तियारात को इन सब चीजों को ध्यान में रख कर किसान की मदद के लिये कोई प्रबन्ध करेंगे कि जितना भी गन्ना उइस वक्त प्रदेश में खड़ा है और जो फैक्ट्रीज इस समय चल रही हैं वह तब तक चलती रहें जब तक सारा गन्ना पेरा न जाय और उनको कीमत भी दिलाने के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था करेंगे ताकि जल्दी मिल सके। इन दोनों बातों के लिए मंत्री जी व्यवस्था करायेंगे ?

श्री रऊफ जाफरी—जहां तक यह सवाल किया गया है, सरकार पूरी कोशिश बराबर कर रही है कि सब गन्ना पिरवा दे। आज सुबह मेरी आनन्दनगर मिल वालों से बात हुई थी तथा और जो लोग यहां मौजूद हैं उनसे भी, तथा शाम को भी कोशिश की जायगी। उसके मुताल्लिक कोई शुबह की वजह नहीं है, सरकार भरसक कोशिश करेगी।

श्री रामकुमार वैद्य (जिला मुरादाबाद)—क्या मुख्य मंत्री जी को ज्ञात है कि जब उन्होंने पिछली बार श्री अब्दुल रऊफ लारी जी के प्रश्न के उत्तर में संक्षिप्त वक्तव्य दिया था तो उसमें उन्होंने अमरोहा शुगर मिल का १० लाख मन गन्ना बाकी बताया था। आज जो तालिका मिली है, वह पिछले दिनों की है, यानी १५-४-६१ की, जिसके अनुसार २० लाख ८० हजार मन गन्ना बाकी दिखाया गया है। लेकिन मैं सूचना देना चाहता हूं कि इस समय १४ लाख मन गन्ना अमरोहा शुगर मिल के रिजर्व एरिया के अन्दर बाकी है जिसमें से १० लाख मन गन्ना बान्डेड है और शेष ३, ४ लाख मन के बारे में सोसायटी की ओर से डेढ़ महीना हुए आफर दिया जा चुका है जिसके बारे में अभी तक फैक्ट्री ने हां या न नहीं किया है। तो मैं चाहूंगा मंत्री जी कृपा कर ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जब तक यह सारा १४ लाख मन गन्ना न पेरा जाय तब तक यह मिल चले?

श्री रऊफ जाफरी—मैं बराबर कह चुका हूं, हमें उम्मीद है कि जो तालिका मिली है उसमें जो लिखा हुआ है हर मिल के सामने उतनी उम्मीद है सब पेरा जायगा, अगर कोई खास बात नहीं हुई, कोई टूट-फूट नहीं हुई, वरना यकीन है कि फैक्ट्रीज चलेंगी।

एक सवाल यह हुआ था कि कोई निश्चित तिथि दी हुई है। यह अन्दाज है कि इन तारीखों के आस-पास में फैक्ट्रीज बन्द होंगी। कोई मुकर्रर तारीख नहीं है। जो गन्ना बाकी है उसको देखते हुए अन्दाज किया गया है कि इन तारीखों तक बन्द होंगी।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं मंत्री जी से कि आज जो मिलों को पेरने की कैपेसिटी है उसमें और जितना गन्ना आज सिंचाई की सुविधाओं के बाद एकरेज में ज्यादा बोया जा रहा है, इन दोनों में आज सामन्जस्य नहीं रह गया है। तो क्या सरकार स्थायी रूप से व्यवस्था करेगी कि इन मिलों की कैपेसिटी बढ़ायी जाय और यह हर साल जितने दिन मिलें चलती हैं उनके चलने के दिनों में भी कुछ अधिकता हो ताकि जो आज गन्ना अधिक बोया जा रहा है वह खप जाय और हर साल का झंझट समाप्त हो जाय? ऐसी व्यवस्था सरकार करेगी?

श्री रऊफ जाफरी—यह जो सुझाव आपने दिया कि फैक्ट्रीज की कैपेसिटी बढ़ायी जाय और गन्ने की खेती तथा उस के पेरने में संतुलन रहे, उस सिलसिले में वाकई हमको कुछ करना ही पड़ेगा और कुछ न कुछ इसका इंतजाम होना चाहिये। इसमें माननीय सदस्यों का भी सहयोग हमें चाहिये।

श्री अयोध्याप्रसाद (जिला देवरिया)—मंत्री जी बतायेंगे कि देवरिया जनपद में बैतालपुर और भटनी चीनी मिलें जो बन्द हो गई हैं और खेतों में गन्ना पड़ा हुआ है उसकी खपत के लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है?

श्री अध्यक्ष—इस का जवाब एक, दो बार दिया जा चुका है। अब मैं समझता हूं इस प्रश्न को समाप्त किया जाय।

(बहुत से माननीय सदस्यों के प्रश्न करने के लिये खड़े होने पर और प्रायः सभी के यह कहने पर कि एक प्रश्न कर लन दीजिये)

श्री अध्यक्ष--इस तरह से तो कभी अन्त होगा ही नहीं। नियम ५२ के लिये इतना समय नहीं दिया जाता। माननीय गेंदा सिंह जी ने एक आम सवाल कर लिया जो कि महत्व का था। ऐसे तो करीब-करीब हर जिले में गन्ना मिलें हैं, तो सभी कहेंगे कि हमें एक प्रश्न कर लेने दीजिये।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है कि जो लोग इस प्रस्ताव में शरीक हों कम से कम उनको तो एक बार सप्लीमेंटरी करने का मौका आपको देना ही चाहिये। उसके साथ मेरा भी नाम था, लेकिन आपने मुझे कोई मौका नहीं दिया। तो इस सम्बन्ध में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--यह कोई जरूरी नहीं है कि उन सभी को मौका दिया जाय। असली विषय पूरा आ जाना चाहिये।

(सदन में बहुत से माननीय सदस्यों के खड़े होने पर और सभी के द्वारा प्रश्न पूछने के लिये आज्ञा देने के लिये आग्रह करने पर)

श्री अध्यक्ष--अब मैं सिर्फ माननीय मदन पांडेय जी को एक प्रश्न करने की अनुज्ञा देता हूं।

श्री मदन पांडेय--मैं दो बातें माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं; एक तो यह कि जो मिलें गन्ना रहते हुए भी बन्द हो गयी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करने का जो आश्वासन दिया गया है क्या उसमें यह भी शामिल है कि जो गन्ना बचा हुआ है उसे फिर से पेरने के लिये उन्हें विवश किया जायगा? दूसरे मैंने गन्ने के दाम के सम्बन्ध में शुरू में स्पष्टीकरण पूछा था कि मैं अप-टु-डेट पोजीशन जानना चाहता हूं कि इस वक्त गन्ने का दाम मिलों ने देना प्रारम्भ कर दिया है अथवा नहीं और यदि नहीं तो उसके लिये सरकार क्या करने जा रही है?

श्री रऊफ जाफरी--पहले सवाल के मुताल्लिक तो मैं जवाब दे चुका कि जो गन्ना उनको पेरना चाहिये था उसको पेरे बगैर जो मिलें बन्द हो जायंगी उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायगी। जो दूसरा सवाल है गन्ने की कीमत के सिलसिले में उसमें यह बात जरूर है जैसा कि मैंने पहली दफा भी कहा था कि इस वक्त दिक्कत है गन्ने की कीमतों के सिलसिले में। इस वक्त यह कोशिश जरूर हुई है कि १० परसेंट और बढ़ा दिया जाय और कुछ और भी तरीका अख्तियार किया गया है जिसके जरिये से उम्मीद की जाती है कि पेमेंट की पोजीशन बेहतर हो जायगी। जहां तक यह सवाल है कि तमाम मिलें इस वक्त पेमेंट कर रही हैं या नहीं इसका जवाब तो यह है कि सब मिलें नहीं दे रही हैं।

(इस समय फिर सदन में कई सदस्य एक साथ खड़े हो गये और काफी शोर मचने लगा।)

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--मैं सिर्फ आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इस तालिका में ६ जिलों का नाम दिया गया है। गोरखपुर वालों के भी प्रश्न हो गये, बरेली, मुरादाबाद, देवरिया, सभी के प्रश्न हो गये। लेकिन लखीमपुर-खीरी में जहां सब से अधिक २६ लाख मन गन्ना एक ही स्टेशन पर है वहां के लिये एक भी प्रश्न करने का मौका आपने नहीं दिया। एक प्रश्न कर लेने दीजिये तो स्थिति साफ हो जाय। वहां दो स्टेशन फर्दहन और देवकली जो पहले हरगांव मिल में थे अब उनको वहां से काट कर गोला मिल में शामिल कर दिया है। तो यह क्यों .....

श्री उग्रसेन--बहुत-सी मिलों ने जो कागज दिये हैं उन पर दाम नहीं लिखे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—माननीय मुख्य मंत्री, आपको कुछ कहना है ?

श्री रऊफ जाफरी—शोर इस कदर है कि पूरी तरह से बात तो समझ में आयी नहीं लेकिन जो मैं सुन सका हूं उसका जवाब दे रहा हूं कि जहां तक सिवरही का सवाल है उसके पास पुराना क्षेत्र है और जो उन्होंने कहा तो उनके हिसाब से कोई ६० लाख मन गन्ने की बात आयी थी और यूनियन की तरफ से यह था कि ६३ लाख मन गन्ना है। तो उसमें उन लोगों ने यह कहा कि २६ लाख मन गन्ना नहीं पेर सकते हैं। जैसा कि पहले मैं बता चुका हूं, ९ लाख मन गन्ना दूसरी मिलों को दिया जा चुका है।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—गोला और हरगांव का कृपा करके बता दिया जाय कि कितना बाकी है ?

श्री शिवप्रसाद नागर—श्रीमन्, गोला की सूची में २६ लाख मन गन्ना बाकी बताया गया है और सीतापुर में कोई सरप्लस नहीं दिखाया गया है, तो फिर गोला मिल में फर्दहान और देवकली दो स्थान और क्यों बढ़ा दिये गये जबकि इसको २६ लाख मन गन्ना अधिक पेरना था ?

श्री रऊफ जाफरी—इसलिये कि गोला मिल की कैपेसिटी ज्यादा है और ७ जून तक वह खत्म कर देगी।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)—श्रीमन्, गोला मिल के बारे में अर्ज करना है कि हम लोग जो उत्तरी खीरी की गांजर के बाशिन्दे हैं उन्हें इनका शिकार होना पड़ता है। यह सरकार मिल के मालिकों से मिलकर साजिश, षड़यंत्र या कांसप्रेसी करती है हमारे विरुद्ध। १९५७ से दो-दो आने जमा करके साढ़े सत्रह लाख रुपया जमा हुआ सहकारी मिल हेतु किन्तु वह वापस बंटवाये गये क्योंकि इनके नुमाइंदे हारे। अब आगे यह हो रहा है कि हमारे यहां २६ लाख मन का सरप्लस है महज हमको दबाने को चूंकि हमने इन्हें नेस्तनाबूद किया। दूसरी बात यह है कि हमारे वहां सरप्लस बढ़ाने को अप्रैल के महीने में फर्दहान और देवकली का गन्ना जो हरगांव जाता था गोला डाइवर्ट कर दिया। पलिया क्षेत्र वालों को परेशान करने तथा उनके गन्ने के लेने में और देरी कराने हेतु यह डाइवर्शन की साजिश की गई है।

श्री अध्यक्ष—अब तो आप आक्षेप कर रहे हैं। आप प्रश्न कर लीजिये।

श्री सुरथबहादुरशाह—बहुत अच्छा, श्रीमन्। मैं सवाल पूछूंगा कि क्या सरकार बतायेगी कि फर्दहान और देवकली का गन्ना अप्रैल में गोला मिल को ट्रांसफर करने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो उन्होंने बता दिया कि उसकी कैपेसिटी ज्यादा है।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, हमारा व्यवस्था का प्रश्न ले लें।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न जरूरी है....

श्री अध्यक्ष—जी नहीं।

श्री चन्द्रजीत यादव—अध्यक्ष महोदय, सदन में जो बेचैनी है उसके तीन कारण हैं। पहला तो यह कि माननीय मंत्री जी ने जो सूची दी है वह तथ्यों के प्रतिकूल है और जो माननीय सदस्यों को जानकारी है उसके आधार पर वे कह रहे हैं। दूसरे, श्रीमन्, लाखों मन गन्ना बाकी पड़ा हुआ है और उम्मीद नहीं है कि वह पेरा जायगा।

श्री अध्यक्ष---वह स्वयं मिल नहीं बन सकते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव---श्रीमन्, परसों सदन समाप्त होने जा रहा है और जो माननीय सदस्यों को बेचैनी है वह बनी रहेगी। आज शुगर बोर्ड की मीटिंग होने वाली है और उप मंत्री जी ने बताया कि डिप्टी केन कमिश्नर को जानकारी प्राप्त करने के लिये भेजा गया है। इसलिये मैं चाहता हूं कि आज की मीटिंग के बाद और डिप्टी कमिश्नर के लौटने के बाद और माननीय सदस्यों की भी सूचना लेकर यह परसों जब सदन बन्द हो उसके पहले फिर यह पूरी सूचना वह दे दें ताकि लोगों को सन्तोष हो जाय....

श्री अध्यक्ष---जी हां, आपका सुझाव ठीक है। मैं खुद डाइरेक्ट कर देता हूं। अब आप बैठिए।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन उसी के सिलसिले में सुन लीजिये.... (शोर)

श्री अध्यक्ष---जो चन्द्रजीत यादव जी ने कहा है वह सुझाव ठीक है क्योंकि आज शाम को जब मीटिंग होने वाली है तो आदरणीय सदन के सदस्य यह चाहेंगे कि उसका नतीजा क्या निकला, यह मालूम हो जाय जिससे कि भरोसा किसानों को हो सके....

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, यह वह मीटिंग नहीं है। वह तो मिल मालिकों की मीटिंग का उद्घाटन मुख्य मंत्री जी करने जा रहे हैं, हम तो कहेंगे कि वह उसका उद्घाटन करने न जायं।

श्री अध्यक्ष---वह उन्होंने बुलाया ही इसी लिये है कि उनसे बातचीत करके कोई रास्ता निकाल सकें तो निकालें।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, वह तो मिल मालिकों का जलसा है....

श्री सुरथबहादुरशाह---श्रीमन्, मैं एक जानकारी चाहता था लेकिन आपने आज्ञा नहीं दी, यह मेरे साथ अन्याय है....

श्री ब्रजनारायण तिवारी---श्रीमन्, मेरा निवेदन सुन लिया जाय। गौर करने की बात है कि जो मिल मालिकों ने कांट्रेक्ट लिया है उससे अधिक गन्ना वह पेर चुके। इस साल गन्ने का उत्पादन अधिक है। तो जो गन्ना बाकी बचा है वह न तो उस कांट्रेक्ट में आता है जिसे पेरने के लिये मिल मालिक बाध्य हों या जिसके न पेरने पर उसके लिये हरजाना वह दें और न उसके पेरने का कोई इन्तजाम है। सरकार ने जो उत्तर जवाब दिया है वह यह दिया है कि वह उसी सट्टे वाले गन्ने में से जो गन्ना बाकी रह जायगा उसका हरजाना देंगे। तो वह तो किसी तरह से भी सट्टे में नहीं आता है। तो उस बाकी बचे गन्ने के हरजाने का देनदार सरकार होगी या कौन होगा, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---मैं अब इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, उसी के साथ-साथ एक सवाल यह भी सम्बन्धित कर दें कि मिल मालिकों ने गन्ने की कीमत घटाने के लिये भी, कोई प्रार्थना-पत्र दिया है.....

श्री अध्यक्ष---मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। आप कृपा करके मेरे पास अपने प्रश्न जो आपको पूछने हैं भेज दें और मैं सरकार के पास शाम से पहले उनको भेज दूंगा। जो प्रश्न रह गये हैं वह आप मुझे भेज दें तो मैं समझता हूं कि ज्यादा अच्छा होगा और उसका एक स्टेटमेंट वह तैयार करके आपको दे दें, क्योंकि यहां पर सदन का समय यों ही खर्च नहीं करना चाहिये।

श्री उग्रसेन--यह गन्ना ले लेते हैं और उसका दाम नहीं लिखते हैं....

श्री अध्यक्ष--अब मैं आगे का काम ले रहा हूं।

विभिन्न समितियों के निर्वाचन के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष--सदन को मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि लोक लेखा समिति के लिये २१ सदस्य, प्राक्कलन समिति के लिये २५ सदस्य तथा २५ स्थायी समितियों में प्रत्येक में १६--१६ सदस्यों के निर्वाचन के लिये नामों की वापसी का समय दिनांक १६ मई, १९६१ के सायंकाल ५ बजे तक के लिये नियत था। नियत समय के भीतर केवल हरिजन, शरणार्थी, जेल, पुलिस, और इम्पलायमेंट स्थायी समितियों में अभ्यर्थियों के अतिरिक्त नाम वापस लिये गये हैं और शेष १६--१६ सदस्य विधिवत् निर्वाचित घोषित किये जाते हैं। इन सदस्यों के नाम ये हैं--

हरिजन सम्बन्धी स्थायी समिति

१--श्री रामबली
२--श्री शिवराम
३--श्री रामरतनप्रसाद
४--श्री रघुबीरराम
५--श्री नत्थाराम रावत
६--श्री दुर्योधनप्रसाद
७--श्री गंगाधर जाटव
८--श्री सुन्दरलाल
९--श्री गोकुलप्रसाद
१०--श्रीमती सुखरानी
११--श्री ज्वालाप्रसाद कुरील
१२--श्री शिवराजबलीसिंह
१३--श्री जागेश्वर
१४--श्री रामदास
१५--श्री हरदेवसिंह
१६--श्री गौरीराम गुप्त।

शरणार्थी स्थायी समिति

१--श्री शिवप्रसाद नागर
२--श्री दर्शनसिंह
३--श्री मुल्लाप्रसाद हंस
४--श्री बजरंगविहारी
५--श्री गंगाप्रसाद
६--श्री तेजासिंह
७--श्री रणबहादुरसिंह
८--कुमारी कमलकुमारी गोइंदी
९--श्री विशालसिंह
१०--श्री रमाकान्तसिंह
११--श्री हमीदुल्ला खां
१२--श्री रमेशचन्द्र शर्मा
१३--श्री शोभनाथ
१४--श्री राजकिशोर राव
१५--श्री प्रतापसिंह
१६--श्री सुरयबहादुर शाह।

जेल स्थायी समिति

१--श्री बलदेवसिंह
२--श्री मन्नालाल
३--श्री गंगाप्रसाद
४--श्री लखमीसिंह
५--श्री गयाप्रसाद
६--श्री रामप्रसाद नौटियाल
७--श्री खुशीराम
८--श्री बसन्तलाल
९--श्री सुरेशप्रकाशसिंह
१०--श्री जगदीशनारायण
११--श्री अतीकुल रहमान
१२--श्री केशवराम
१३--श्री विजयशंकरसिंह
१४--श्री रामसनेही भारतीय
१५--श्री रघुनाथसहाय
१६--श्री दुर्योधनप्रसाद।

पुलिस स्थायी समिति

१--श्री महेन्द्ररिपुदमन सिंह
२--श्री मुकुटबिहारीलाल
३--श्री ऊदल
४--श्री मूलचन्द्र
५--श्री यशपालसिंह
६--श्री रामदुलारे मिश्र
७--श्री सुखरामदास
८--श्री सुरेशप्रकाशसिंह
९--श्री दीनदयालु शर्मा
१०--श्री संग्रामसिंह
११--श्री माताप्रसाद
१२--श्री बेचनराम गुप्त
१३--श्री जागेश्वर
१४--श्री कुंवर कृष्ण वर्मा
१५--श्री गौरीशंकर राय
१६--श्री कल्याणचन्द मोहिले।

राष्ट्रीय एम्प्लायमेंट सेवा स्थायी समिति

१--श्री रघुनन्तेजबहादुर सिंह
२--श्री दशरथप्रसाद
३--श्री भीखालाल
४--श्री नत्थाराम रावत
५--श्री गरीबदास
६--श्री जयगोपाल
७--श्रीमती यशोदादेवी
८--श्री इस्तफा हुसैन
९--श्री रघुवीरसिंह
१०--श्री रामसमझावन
११--श्रीमती तारादेवी
१२--श्री रामनाथ पाठक
१३--श्री गनेशप्रसाद पांडेय
१४--श्री अयोध्याप्रसाद आर्य
१५--श्री रामसिंह चौहान
१६--श्री बुद्धीसिंह।

इतने तो निर्विरोध चुने गये। बाकी जो २० स्थायी समितियां हैं तथा लोक लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति आदि, इनके चुनाव अब कल १८ तारीख को १२ बजे से ५ बजे तक होगा विधान वाचनालय में। लोक लेखा समिति में २१ चुने जाने चाहिये लेकिन २६ नामजदगियां अब भी हैं, प्राक्कलन समिति में २५ के लिये, ३० सामान्य प्रशासन स्थायी समिति में १६ के लिये १८, सार्वजनिक निर्माण स्थायी समिति में १६ के लिये २१, सिंचाई स्थायी समिति में १६ के लिये २२, विद्युत् स्थायी समिति में १६ के लिये १८, शिक्षा स्थायी समिति में १६ के लिये १९, श्रम स्थायी समिति में १६ के लिये १७, वन स्थायी समिति में १६ के लिये १९, माल स्थायी समिति में १६ के लिये १८, न्याय तथा विधान सम्बन्धी स्थायी समिति में १६ के लिये १८, कृषि तथा पशुपालन स्थायी समिति में १६ के लिये १७, आबकारी स्थायी समिति में १६ के लिये १९, चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थायी समिति में १६ के लिये १८, स्थानीय स्वशासन सम्बन्धी संस्थायें स्थायी समिति में १६ के लिये १७, सूचना स्थायी समिति में १६ के लिये १७, रसद स्थायी समिति में १६ के लिये १७, यातायात स्थायी समिति में १६ के लिये २०, उद्योग स्थायी समिति में १६ के लिये १८, विकास तथा नियोजन स्थायी समिति में १६ के लिये २०, सहकारी स्थायी समिति में १६ के लिये १९ तथा समाज कल्याण स्थायी समिति में १६ के लिये १७ नामजदगियां अभी हैं। इन समितियों का चुनाव कल होगा।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में एक दरख्वास्त आप से कर देना चाहता था। आपने कल १८ तारीख को चुनाव निश्चित किया है। इस मामले में तो मैं आपका बहुत अनुगृहीत हूं और इस सदन का भी कि आपने हमें बहुत लैटीट्यूड दिया है। जब-जब हमने दरख्वास्त की आपने समय बढ़ा दिया है। लेकिन कल २७ कमेटियां थीं ५ कमेटियों के तो आपने घोषित कर दिये लेकिन अब २२ के चुनाव होने हैं और जो चुनाव की प्रथा है वह प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की है। अब एक-एक मेम्बर के २२ बैलट ईशू होंगे। अब एक-एक मेम्बर अगर एक-एक में दो-दो या तीन-तीन मिनट ले तो एक घंटे से अधिक तो एक मेम्बर को वोट डालने में लगेगा। २२ कमेटियों के चुनाव

होने हैं तो उसमें दिक्कत होगी। यदि आप ११ का चुनाव कल कर दें और ११ का चुनाव परसों हो जाय, इस तरह से दो दिनों में इसको तकसीम कर दें तो ठीक होगा।

श्री अध्यक्ष--इसकी छपाई वगैरह सब हो चुकी है और हमारे यहां सब इन्तजाम हो चुका है। हमारे दफ्तर का कहना है कि वह सब चुनाव हो सकते हैं।

श्री नवलकिशोर--ठीक है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।

श्री अध्यक्ष--सब व्यवस्था हो गई है और वह आसानी से कर सकेंगे।

श्री नवलकिशोर--जो टाइम आपने निश्चित किया उसमें एक कठिनाई पड़ेगी। जितन लोग उस समय के बाद बाकी बच जायं या तो उनको अन्दर कर दिया जाय और वे ७, ८ या ९ बजे तक वोट करते रहें . . . . . .

श्री अध्यक्ष--यदि आप चाहें तो मैं समय १० बजे से कर दूं ?

श्री नवलकिशोर--मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बाद को जो बच जायेंगे उनके लिये यह होना चाहिये कि वे अन्दर रोक लिये जायं और वोट करते रहें।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--अगर आप ऐसी आज्ञा दे दें कि जो लोग आज और कल चुनाव होने के पहले तक नाम वापस लेना चाहें वह ले लें तो उससे आसानी हो जायगी।

श्री अध्यक्ष--अब यह सम्भव नहीं है लेकिन यह हो सकता है कि चुनाव १० से ५ बजे तक हो और जो राय देने वाले सदस्य बाकी रह जायेंगे वे अन्दर कर दिये जायेंगे और घंटे आध घंटे में सब राय दे जायंगे।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--यह चुनाव दस बजे से शुरू होगा और ५ बजे तक चलेगा ?

श्री अध्यक्ष--यह १० बजे से ५ बजे तक होगा और जो सदस्यगण मतदान स्थान पर ५ बजे तक पहुंच जायेंगे उनको अन्दर कर लिया जायगा।

सदन में १ बजे से २ बजे तक कोरम के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री जगन्नाथप्रसाद (जिला आगरा)--मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यहां पर सदन में एक बजे से लेकर २ बजे तक कोरम नहीं रहता है। स्वशासन मन्त्री जी एक महत्वपूर्ण विधेयक इस सदन के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं तो उस पर उनका भाषण भी महत्वपूर्ण होगा। हम लोग सब उनसे सुनने की इच्छा रखते हैं और विवाद करना चाहेंगे। जब सदन में कोरम नहीं होगा तो सभी सदस्य उसके सम्बन्ध में जानकारी नहीं कर सकेंगे, इस लिये कोरम के समय के बाद स्वशासन मन्त्री को आप बोलने का समय दें तो ज्यादा उचित होगा।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं यह बात नहीं है। वह भाषण देंगे तो उस पर अभी राय लेनी नहीं है। जिन लोगों को उसमें दिलचस्पी हो वह यहां पर कृपाकर बैठे रहें। बाकी लंच के लिये जा सकते हैं। यह बात नहीं होती है कि सभी यहां पर बैठे रहें। कोई १२ बजे लंच को जाता है तो कोई १ बजे जाता है।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६०

*स्वायत्त शासन मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६० में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर विचार किया जाय। श्रीमन्, यह क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक इस सदन में पारित हुआ था....

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--मैं आपसे यह व्यवस्था चाहता हूं कि अभी माननीय मन्त्री जी ने विचार करने के लिये प्रस्ताव रखा है। क्या इस प्रश्न पर हम लोग बोल सकेंगे कि विचार किया जाय या नहीं? और जो इस पर संशोधन आयेंगे उन पर अलग-अलग विवाद किया जायगा?

श्री अध्यक्ष--जब इसके ऊपर विचार किया जायगा तो इसके ऊपर सभी बोल सकेंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी--"विचार किया जाय" के प्रस्ताव पर हम बोल सकते हैं?

श्री अध्यक्ष--जी हां, बोल सकते हैं।

श्री कैलाशप्रकाश--श्रीमन्, यह विधेयक माननीय सदन से पारित हुआ था और इस सदन की प्रवर समिति में नहीं गया था। उसकी एक खास मन्शा यह थी कि शीघ्र ही विधेयक पारित हो जाय और इसके अन्तर्गत जो क्षेत्र समिति और जिला परिषद् बनने वाली हैं वह बन जायं। यहां से पारित होने के पश्चात् यह विधान परिषद् में गया। विधान परिषद् ने उसको रोक रखा। कई बार माननीय सदन में इस पर चर्चा हो चुकी है इसलिये उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूं। अन्तरिम जिला परिषद् का संशोधन विधेयक माननीय सदन में जब प्रस्तुत किया गया था तो उसकी अवधि दिसम्बर १९६२ तक बढ़ा दी गई थी जिससे यह स्पष्ट था और उस समय यह निवेदन कर दिया गया था कि यह अन्तरिम जिला परिषद् दिसम्बर, ६२ तक चलेंगी।

(इस समय १ बजकर २४ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री वीरसेन, पीठासीन हुये।)

उसके पूर्व जिला परिषदों में बालिग मताधिकार के आधार पर चुने हुये सदस्य नहीं बन सके। यह सब बातें समक्ष होते हुये भी उस परिषद् में विचार-विमर्श हुआ था। तो परिषद् के बहुत से माननीय सदस्यों ने यह विचार व्यक्त किया कि इस विधेयक में बहुत से संशोधन होने की आवश्यकता है। यदि यह प्रवर समिति चला जाय तो अच्छा हो। श्रीमन्, उन परिस्थितियों को देखते हुये जिनका चर्चा मैं आपसे कर चुका हूं वहां की प्रवर समिति का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। परिषद् की प्रवर समिति ने विधेयक पर चर्चा किया और उसमें कुछ आवश्यक संशोधन किये।

श्रीमन्, धारावार जो संशोधन किये गये हैं वह दो हिस्सों में तकसीम किये जा सकते हैं। एक तो वह जो केवल भाषा से सम्बन्ध रखते हैं और जिनके द्वारा आशय में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। संशोधनों की काफी संख्या ऐसी है। किन्तु कुछ संशोधन ऐसे भी हैं जिनमें आशय का कुछ परिवर्तन हो जाता है। श्रीमन्, कहा यह गया था कि यद्यपि विकेन्द्रीकरण का नाम लिया जाता है, यद्यपि क्षेत्र समिति स्थापित की जाती है किन्तु ऐसे विधेयक में शासकीय अधिकारियों को बहुत अधिकार हैं, उनको हस्तक्षेप करने के भी काफी अधिकार हैं। यह भी एक आलोचना थी। प्रवर समिति में इस पृष्ठभूमि में भी इस विधेयक को देखा गया। मैं माननीय सदस्यों का बहुत समय संशोधनों का विवरण देने के लिये नहीं लूंगा, लेकिन मोटे तरीके से जो परिवर्तन किये गये हैं संक्षेप में उनकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पहले तो क्षेत्र समिति और जिला परिषदों के संगठन का प्रश्न आता है। संशोधनों में माननीय सदस्य देखेंगे कि एक विशेष परिवर्तन यह किया गया है कि सहकारी समितियों के बारे में जो धारायें थीं उनमें परिवर्तन किये गये हैं और यह परिवर्तन इस मंशा से किये गये हैं कि उनका प्रतिनिधित्व उन संगठनों में न हो। यह परिवर्तन इस मंशा से नहीं किये गये कि सहकारी समितियों का महत्व कम समझा गया, किन्तु जिस तरीके से वह धारायें इस समय विधेयक में थीं, उनपर वैधानिक आपत्ति हो सकती थी। क्योंकि जब यह चीज देखी गई कि कोआपरेटिव अधिनियम में उन शब्दों का प्रयोग हुआ है या नहीं कि जो शब्द मूल अधिनियम में रखे गये थे तो यह ज्ञात हुआ कि अधिनियम के द्वारा उन शब्दों की कहीं व्याख्या नहीं है यद्यपि सहकारी आन्दोलन में और सहकारी दुनिया में वह शब्द काफी प्रचिलित है। उदाहरणार्थ साधन समितियां, सर्विस कोआपरेटिव्ज। इसलिये विधान की दृष्टि से इसे मुनासिब समझा गया। कि कोई ऐसा भ्रम, कोई ऐसी शंका की चीज जिससे कि बाद में वाद विवाद उपस्थित हो, जिससे मुकदमेबाजी हो न रह जाय और इसलिये इसमें परिवर्तन कर दिये गये हैं कि कोआपरेटिव सोसाइटीज के प्रतिनिधि ब्लाक कमेटीज और जिला परिषद् में होंगे।

कोआपरेटिव ब्लाक कमेटी में कम से कम दो और अधिक से अधिक संख्या उनकी ५ होगी। जिला परिषद् में कम से कम संख्या ३ और अधिक से अधिक ५ होगी। यह व्यवस्था कर देने से इस बात की सुविधा हो जायगी कि जिस श्रेणी की कोआपरेटिव सोसाइटी को प्रतिनिधित्व देने की मंशा हो उस श्रेणी की कोआपरेटिव सोसाइटी को वर्णित कर दिया जाय और उनकी सूची बना दी जाय, उनका वर्गीकरण कर दिया जाय और इस तरह से कोआपरेटिव सोसाइटियों का अच्छा प्रतिनिधित्व क्षेत्र समितियों में और जिला परिषद् में आ जाय और इस बात का भी काफी ध्यान रहे कि वहां जो प्रधान, गांव सभा से आते हैं उनका भी स्थान रहे। इन्हीं सब बातों के लिये यह संशोधन किये गये हैं।

एक संशोधन यह किया गया है कि पहले विधान सभा के वे सदस्य जो केवल नागरिक क्षेत्र में रहते हैं अर्थात जिनको चुनाव क्षेत्र में ब्लाक कमेटी और ग्रामीण क्षेत्र समिति नहीं आती हैं या विधान परिषद् के वह सदस्य जो किसी ग्रामीण क्षेत्र में नहीं रहते हैं उनको क्षेत्र समिति में रखने के लिये अवसर नहीं था। बात यह कही गई कि यह विकास का काम है और बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। विधान सभा और विधान परिषद् और संसद के सदस्यों को इस बात की व्यक्तिगत जानकारी होनी चाहिये कि किस तरह से यह क्षेत्र समिति कार्य कर रही है। इस बात को सामने रख कर ही यह संशोधन किया गया है कि विधान सभा, विधान परिषद् और संसद के वे सदस्य जो मौजूदा विधेयक के अन्तर्गत किसी एक क्षेत्र समिति में न आते हों, तो वह किसी एक क्षेत्र समिति को चुन लें और उसके सदस्य बन जायं।

श्रीमन्, अब प्रमुख के लिये भी यह व्यवस्था कर दी गई है कि उस क्षेत्र का कोई भी विधान सभा का मतदाता जो क्षेत्र समिति से सम्बन्धित विधान सभा की मतदाता की सूची में अंकित है वह प्रमुख के लिये खड़ा हो सकता है। पाबन्दी यह है कि एक तो वे डिस्क्वालीफिकेशन्स जो पहले नियत कर दी गई हैं, कि कोई विधायक, टाउन एरिया या नोटिफाइड एरिया का चेयरमैन उसके लिये खड़ा नहीं हो सकेगा। इसके अलावा आयु की एक सीमा निर्धारित कर दी गई है कि ३० वर्ष की आयु से कम वाले व्यक्ति प्रमुख के पद के लिये खड़े नहीं हो सकेंगे। यह प्राविधान इस संशोधन में किया गया है और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को यह चीज पसन्द होगी और इससे विधेयक में सुधार ही हुआ है।

छोटे-मोटे कुछ और भी सुधार किये गये हैं। जहां डिस्क्वालीफिकेशन्स में यह बात रखी गई थी कि किसी भी व्यक्ति को जिसे अनैतिक कार्य में सजा हो गई हो वह कभी भी ब्लाक कमेटी के सदस्य आदि के लिये खड़ा नहीं होगा और उसके योग्य नहीं समझा जायगा, अब यह कर दिया गया है कि उसमें एक सीमा निर्धारित कर दी गई है और वह सीमा ५ वर्ष की रख दी गई है। इसका अर्थ यह है कि अगर उसे सजा पाये हुये ५ वर्ष हो चुके हैं तो

[श्री कैलाश प्रकाश]

वह उसकी सदस्यता के लिये खड़ा हो सकेगा। ऐसा ही हमारी और स्थानीय निकायों के अधिनियमों में भी है।

एक खास परिवर्तन यह है कि मूल विधेयक में अविश्वास के प्रस्ताव के सम्बन्ध में २-३ से पारित होना अविश्वास रखा गया था। अब मुनासिब यह समझा गया है कि इसे मेजारिटी से पास होना चाहिये। श्रीमन्, प्रमुख और उप-प्रमुख को हटाने का अधिकार कमिश्नर को दिया गया है। मुनासिब यह समझा गया कि इसके साथ प्रदेशीय सरकार के पास अपील की गुन्जाइश भी रखनी चाहिये जिससे अगर वे उचित तरीके से न हटाये गये हों तो वह अपील कर सकें---यह विशेषकर क्षेत्र समितियों के सम्बन्ध में व्यवस्था है।

जिला परिषद् में कोआपरेटव सोसाइटीज के सम्बन्ध में वही बात रखी गई है। मूल विधेयक में जो व्यवस्था थी, डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन के उसमें प्रतिनिधि थे और अन्य समितियों के थे, इसमें भी जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूं, कुछ वैधानिक कठिनाइयों से परिवर्तन करना आवश्यक समझा गया जिससे नियमों द्वारा इसकी ठीक तरह से व्यवस्था की जा सके। यह देखा गया है कि कम से कम ३ और अधिक से अधिक ५ प्रतिनिधि कोआपरेटिव सोसाइटीज के इन जिला परिषदों में होने चाहिये। जिस तरीके से क्षेत्र समिति में प्रमुख के लिये रखा गया, इसी तरीके से अध्यक्ष के लिये, यदि विधान सभा की किसी भी सूची में वह मतदाता है तो वह खड़ा होने के लिये योग्य है। पाबन्दी यह है कि वह विधायक न हो, संसद का सदस्य न हो, ३० वर्ष से कम न हो। यह तो पहले भी था कि नगरपालिका का चेयरमैन न हो, वह भी है। यहां भी अविश्वास के प्रस्ताव के सम्बन्ध में बजाय दो-तिहाई मैजारिटी के केवल मैजारिटी रखी गई है।

श्रीमन्, इससे पहली बात जो महत्वपूर्ण आती है वह सर्विसेज के बारे में आती है। माननीय सदस्यों को याद होगा कि जिला परिषद् के कुछ पद विधेयक के द्वारा नियत कर दिये थे और उसमें इस किस्म की कोई गुन्जाइश नहीं थी कि जबतक अधिनियम को संशोधित न किया जाय उनमें कोई कमी नहीं की जा सकती थी, जिसकी आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिये थोड़ा-सा संशोधन कर दिया गया है जिससे बिना अधिनियम को संशोधित किये ही यदि जिला परिषद् महसूस करे कि कमी होनी चाहिये तो प्रदेशीय सरकार के आदेश से वह कमी की जा सकती है।

एक व्यवस्था यह थी कि प्रदेशीय सरकार जिला परिषद् को इस बात के लिये लिख सकती है कि वह किसी पद को कायम करे और अगर परिषद् उसको कायम नहीं करती है तो प्रदेशीय सरकार आदेश दे सकती थी कि उसको कायम किया जाय और उसका सब भार परिषद् वहन करे। यह अधिकार प्रदेशीय सरकार को बहुत अधिक समझा गया। इसलिये उसमें एक सीमा बांध दी गई कि इस तरीके के पदों का सृजन केवल विकास और नियोजन के कार्यों के सम्बन्ध में हो सकेगा, अन्य कार्यों के सम्बन्ध में नहीं हो सकेगा।

श्रीमन्, एक विशेष धारा विधेयक में इसलिये रखी गई थी कि अन्तरिम जिला परिषदों या पुरानी परिषदों के जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं उनका आगे क्या होने वाला है, इसके बारे में जो आज की परिषदों के कर्मचारी और अधिकारी हैं उनमें बड़ी एक आशंका थी। वह परेशान थे कि उनका भविष्य क्या होने वाला है। इसमें यह व्यवस्था कर दी गई है कि जिन पदों का चुनाव पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा होता है उनको छोड़कर अन्य पदों की नियुक्ति अध्यक्ष, जो नियम बनाये गये हों, उनके मातहत कर सकता है। पहले मूल विधेयक में यह था कि नियुक्ति करेगा अध्यक्ष प्रदेशीय सरकार के आदेश के अनुसार जो एक विशेष या सामान्य आदेश दे सकती थी। इस बात को मुनासिब नहीं समझा गया। इस पर कुछ आलोचना भी हुई कि प्रदेशीय सरकार का यह अधिकार कुछ अधिक मालूम होता है। इसलिये यह संशोधन कर दिया गया है कि नियमों के अनुसार---और नियम आप जानते

ही हैं कि वह बनते हैं और विधान मन्डल के समक्ष भी आते हैं--अध्यक्ष नियुक्ति करेगा। इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि अध्यक्ष द्वारा की गई नियुक्ति से अगर किसी को सन्तोष न हो तो वह रिप्रेजेन्टेशन भी कर सकता है। मैं आशा करता हूं कि इससे जो मौजूदा लोग सर्विसेज में हैं उनको सन्तोष होगा और कार्य सुचारु रूप से चलेगा।

श्रीमन्, एक बड़ा और जबरदस्त प्रश्न यह था कि जिला परिषद् और पब्लिक कमेटीज के जो मुख्य कार्याधिकारी (एग्जीक्यूटिव आफिसर) होंगे उनकी नियुक्ति सरकार की तरफ से होने वाली थी और परिषद् को काम लेना था। यह बड़ा डेलीकेट प्रश्न है। किस तरीके से परिषद् उनसे सुचारु रूप से कार्य ले सके और किस तरीके से वह अपने उत्तरदायित्व को सम्हाल सकें, यह प्रश्न स्थानीय निकायों के सम्बन्ध में बहुत दिनों से विवादास्पद रहा है और इस माननीय सदन में भी कई बार यह बात आ चुकी है कि यह एग्जीक्यूटिव आफिसर या दूसरे खास-खास जो अधिकारी हैं उनकी सेवाओं का प्रान्तीकरण कर दिया जाय और तबादले की व्यवस्था भी कर दी जाय। मैं उस सारी बात में इस समय नहीं जाना चाहता किन्तु जो संशोधन इस समय सदन के समक्ष उपस्थित किये जा रहे हैं और परिषद् के द्वारा आये हैं उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि जिला परिषदों का इन कर्मचारियों और अधिकारियों के ऊपर नियन्त्रण रहे। इस सम्बन्ध में एक तो यह प्राविजन दिया गया है कि जिला परिषदों का काम भी विभागों में तकसीम होगा। जैसे कि प्रदेशीय सरकार के पृथक-पृथक विभाग होते हैं। उनके विभागीय अध्यक्ष होंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर जिला परिषद् के उत्तरदायी होंगे। पहले यह था कि चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर के बारे में जो चरित्र पुस्तिका में एन्ट्री की जाती है अध्यक्ष भी अपनी एंट्री को लिख कर भेज देगा उस अधिकारी के पास जो सरकारी नियमों के अनुसार कैरेक्टर रोल में एंट्री करने का अख्तियार रखता है। उस चीज को सामने रखते हुये वह कैरेक्टर रोल में एंट्री करेगा। यदि आपस में अन्तर आता हो तो प्रदेशीय सरकार को रेफर करेगा, जिसके आदेशानुसार कार्य होगा। किन्तु अब यह बात कर दी गई है कि करेक्टर रोल की एंट्री, चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर की, अध्यक्ष उस अफसर के पास भेजेगा जिसे इन्ट्री करने का अधिकार है और वह अफसर उसे जैसी की तैसी कैरेक्टर रोल में लिख देगा। इस प्रकार अध्यक्ष को भी इस बात का अधिकार प्राप्त हो जायगा कि उसकी एंट्री रहे और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कैरेक्टर रोल की एंट्री सरकारी कर्मचारियों के अनुशासन और कार्यकुशलता के लिये बहुत बड़ी चीज होती है। इस सम्बन्ध में एक दूसरी धारा में कुछ परिवर्तन किये गये हैं।

श्रीमन्, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एक्सटर्नल कन्ट्रोल, वाह्य अधिकार, वे साधारण परिस्थिति के लिये रखे जाते हैं, जैसा कि अन्य स्थानीय निकायों में है कि अगर कोई स्थानीय निकाय अपना काम ठीक से नहीं करता है तो उसे सुपरसीड किया जा सकता है, मेम्बरों को पृथक किया जा सकता है। इस तरह के अधिकार केवल विधेयक में प्राप्त थे, क्षेत्र समिति के सम्बन्ध में और जिला परिषद् के सम्बन्ध में भी। इन पर जो संशोधन आप देखेंगे उनमें एक नियन्त्रण और सीमा रखी गई है। यह व्यवस्था उस प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की ओर अधिक ले जाती है जिसके बारे में आलोचना की जाती है।

श्रीमन्, एक विशेष बात होती है किसी का बजट। बजट के बारे में भी इसमें संशोधन किये गये हैं और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को वे पसन्द आयेंगे। ब्लाक कमेटीज के सम्बन्ध में संशोधन किये गये हैं। ब्लाक कमेटीज अपना बजट बनाकर जिला परिषद् को भेजेंगी। जिला परिषद् नियोजन समिति को भेजेगी और नियोजन समिति अपनी सिफारिशें ब्लाक कमेटीज के पास भेजेगी। ब्लाक कमेटीज जिस तरीके से चाहे अपने बजट को पारित करेगी और वह अन्तिम चीज होगी। एक प्रकार से अपना बजट बनाने का पूर्ण अधिकार क्षेत्र समिति को प्राप्त हो जाता है। मूल विधेयक में यह था कि जिला परिषद् का बजट कमिश्नर के पास जायगा, अगर आयुक्त यह देखेगा कि जिला परिषद् को

[श्री कैलाशप्रकाश]

जो रुपया विकास और नियोजन के अन्तर्गत किन्हीं शर्तों के अनुसार दिया गया है उन शर्तों और उद्देश्यों की पूर्ति बजट से नहीं होती है तो वह उसमें परिवर्तन कर देगा। दूसरी बात यह थी कि यदि कमिश्नर यह देखें कि बजट में उतना रुपया भी नहीं रखा गया है जितना वहां के कर्मचारियों और अधिकारियों को वेतन देने के लिये चाहिये, तो उसमें वह परिवर्तन कर सकता था और शेष में अपनी सिफारिशें कर सकता था। यहां यह संशोधन कर दिया गया है कि विकास और नियोजन के सम्बन्ध में जिन कंडीशन्स पर और जिन विशेष उद्देश्यों के लिये प्रदेशीय सरकार ने रुपया दिया है उनका ध्यान न रखते हुये यदि उस हिस्से का बजट बनाया गया है तो उसमें कमिश्नर परिवर्तन करदे और शेष में वह केवल सिफारिश कर सकता है जो जिला परिषद् के सामने विचार के लिये आवेंगे।

श्रीमन्, मुझे अधिक नहीं कहना है। अन्तिम रूप में इसमें एक बात यह रख दी गई है है कि अन्तरकालीन के लिये कुछ व्यवस्था रख दी गई है जिसे मैं माननीय सदस्यों के सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं। चाहते हम यह हैं कि यह विधेयक पारित हो जाय जिसके लिये माननीय सदन के सदस्यों को सदन की बैठक की अवधि बढ़ाने की तकलीफ दी गई थी। इस विधेयक के दो हिस्से हैं। एक है क्षेत्र समिति और दूसरा जिला परिषद्। क्षेत्र समिति बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है क्यों कि पंचायत के और जिला स्तर की संस्था के बीच में वह आती है और वह एक ऐसी बाडी है जिसके ऊपर नियोजन और विकास का अधिक उत्तरदायित्व दिया गया है क्योंकि यह समझा जाता है कि वह एक ऐसी समिति होगी जहां पंचायतों का बहुत सम्पर्क रह सकता है और लोगों का बहुत सम्पर्क रह सकता है जिससे ग्राम जनता में प्रोत्साहन पैदा हो सकता है। इसलिये क्षेत्र समिति बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है पंचायती राज्य के अन्तर्गत। मैंने कहीं कहा था कि यद्यपि हमारे प्रदेश में पंचायत राज्य बहुत दिन से है, सबसे पहले स्थापित हुआ है, गांव-गांव में पंचायतें हैं और उन्हें शुरू से ही बहुत अधिकार हैं, किन्तु पंचायत राज्य में और पंचायती राज्य में फर्क है। पंचायत अलग हैं, टाउन एरिया अलग हैं, जिला परिषद् अलग से काम करते हैं और आपस में एक दूसरे का कोई सम्बन्ध नहीं था। वह पंचायत राज्य गांव के लिये था। यह पंचायती राज्य है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास का कार्य हो पंचायतों के प्रधान आवें, ब्लाक कमेटी में एकत्रित हों और ब्लाक कमेटी में वे प्रधान जो क्षेत्र में जाकर पंचायतों का काम करते हैं वे अपना विकास का कार्यक्रम निर्धारित करें और उनका पूरा हाथ हो। श्रीमन्, इसी तरीके से जो जिले की बाडी हो वह स्वतंत्र रूप में काम न करे वह भी क्षेत्र समितियों उसके प्रमुखों या प्रतिनिधियों की सलाह से कार्य करे, यानी वे भी उस जिला स्तर की बाडी में रहें। जिससे उनका भी आपस में संबंध स्थापित रहे। इस प्रकार से जो जिला क्षेत्र और गांव की कड़ी बंधेगी वही पंचायती राज्य होगा।

जिला परिषद् में माननीय सदस्य देखेंगे कि माननीय सदस्यों के अनुरोध पर बालिग मताधिकार की व्यवस्था की गयी है। यद्यपि राजस्थान वगैरा में ऐसी व्यवस्था नहीं है लेकिन मैं उस चीज को इस समय छोड़ता हूं। परन्तु हमें यह महसूस हुआ कि आम चुनाव से पूर्व इनके चुनाव करना, विशेषकर जब कि जनवरी में पंचायतों के चुनाव हो चुके हैं बालिक मताधिकार से मुश्किल होगा। इस प्रकार सन् ६२ के प्रारंभ में जो आम चनाव होने वाले हैं उनसे पहले इसके चुनाव न हो सकेंगे। अब प्रश्न यह आता है कि या तो हम उस चीज को छोड़ दें अथवा पंचायती राज्य की स्थापना को ही छोड़ दें और जिस प्रकार से जिला का प्रशासन चल रहा है उसी प्रकार से चलता रहे। लेकिन हमने सोचा यह कि जिला स्तर पर जिला की बाडीज काम कर ही रही हैं, गांव स्तर पर की पंचायतों का चुनाव अर्भ हो चुका ही है। अब केवल बीच की कड़ी क्षेत्र समिति रह जाती है। इसलिये मंशा यह है कि आपके सहयोग से यह विधेयक पारित हो जाय और इसके अन्तर्गत ऐसे नियम बन जायं जिनसे क्षेत्र समितियों की स्थापना कर दी जाय। इस विधेयक के अन्तर्गत जैसा कि प्रस्तावना में है, सिवाय एक उपधारा के, क्षेत्र समितियां बन जायेंगी और इस अन्तरिम काल के लिये अंतरिम जिला परिषद् जिला परिषदों का कार्य करेंगे।

इस तरह से जो हम इस साल बालिग मताधिकार के आधार पर चुनाव नहीं करा सकते हैं उस दिक्कत को दूर करना चाहते हैं।

विकास क्षेत्र समितियां बनायी जायंगी किन्तु जो जिला परिषद् के सदस्य बालिग मताधिकार के द्वारा चुने हुए आयेंगे और क्षेत्र समितियों के सदस्य भी बनते थे वे नहीं बनेंगे। श्रीमन्, जब ये विकास क्षेत्र समितियां बना दी जायंगी और उनके प्रमुख का चुनाव हो जायगा और अन्तरिम जिला परिषद् के ये सदस्य बनते नहीं हैं आजकल के विधान के अनुसार लेकिन इसके अनुसार हम इन प्रमुखों को भी उसका सदस्य बना रहे हैं क्योंकि इस कड़ी को हमें जोड़ना है, इसलिये इस बात की भी व्यवस्था कर दी है कि इस विधेयक के अन्तर्गत जिला समितियों के सभापति या प्रमुख अन्तरिम जिला परिषद के बाकायदा सदस्य बना दिये जायं।

आगे आप देखेंगे कि कुछ अनुसूची है। उनमें भी कुछ हेरफेर किया गया है। पहले जो अनुसूची दी गयी थी उसमें इस प्रकार का भ्रम हो सकता था कि ये अधिकार क्षेत्र समितियों के हैं या जिला परिषदों के। अब अनुसूचियों का एक वर्गीकरण किया गया है और उसमें क्षेत्र समिति के जो अधिकार हैं, जो उसके कृत्य हैं और जो उसके उत्तरदायित्व हैं उन सबको एक सूची मे दिया गया है, जिला परिषद् को एक जगह किया गया है। जो दोनों काम कर सकते हैं वह भी इस में सम्मिलित हैं। इस तरह से इन शिड्यूल्स को एक अच्छा रूप दे दिया गया है। अन्यत्र भी एक सूची है जिस में कुछ और अधिनियमों में जो परिवर्तन किया गया है जैसे कन्सालिडेशन आफ होल्डिंग्ज ऐक्ट है या जमींदारी विनाश अधिनियम है या पंचायत राज ऐक्ट है इन में जो परिवर्तन किया गया है वह उस में देदिया गया है अब तक अलग से गांव समाज बनते थे, दो चीजें एक साथ चलती थी, गांव समाज रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट के अन्डर में चलता था जो कि लैंड रिफार्म एन्ड जमींदारी अबालिशन ऐक्ट के अनुसार बनते थे और गांव सभा पंचायत राज ऐक्ट के अन्तर्गत लोकल सेल्फ विभाग के अन्डर में चलती थी। इस तरह से अलग-अलग २ बाडी चलती थी। इस सम्बन्ध में चर्चा भी हो चुकी है कि जब दोनों का मूल आधार एक ही है तो दो प्रथक बाडीज क्यों रहें। अब इस विधेयक के पारित होने के बाद लैन्ड मैनेजमेन्ट कमेटी जो है वह एक सब कमेटी बन जायगी और गांव की दोनों चीजें लैंड मैनेजमेंट और रेवेन्यू वर्क सामूहिक और मिला जुला हो जायगा जिसकी कि मांग सदन में कई बार की जा चुकी है।

एक परिवर्तन यह हुआ है कि हमारा प्रदेश गरीब है, काम बहुत करना है और श्रमदान का आन्दोलन भी हमारे यहां काफी चला है लेकिन तजुर्बा यह भी हुआ कि जहां अधिक लोग उत्साह के साथ काम करते थे वहां दो चार आदमी अधिक उत्साह के साथ काम नहीं करते थे। इससे रोड़ा अटकता था और काम में खराबी आती थी। तो इसमें यह बात की गई है कि अगर कोई गांवसभा दो-तिहाई बहुमत से इस तरीके से पास करती है कि हर एक सदस्य से, एक निर्धारित उम्र के सदस्य से, वह श्रमदान का काम ले सकती है और अगर कोई श्रम नहीं कर सकता है तो उतना ही उस से मजदूरी के रूप में धन ले सकती है। इस तरह से जहां पंचायतें टैक्स नहीं लगा सकती है वहां वह इस तरह से श्रम को ले सकती हैं, अन्य प्रदेशों में भी ऐसी चीज चली है।

एक और विशेष संशोधन है और जो बहुत महत्वपूर्ण है। यह इस विधेयक को अधिक विकेन्द्रीकरण या प्रकतांत्रिक रूप में आगे ले जाता है। वह जो चुनी हुई संस्थायें बनेंगी उनमें सरकारी अधिकारियों को या सरकार को जो अधिकार प्राप्त थे जिन की अपील आदि कुछ नहीं थी, उस चीज की अब यह व्यवस्था करता है। इस से हमारे उस उद्देश्य की पूर्ति में जो उद्देश्य इस बिल को लाने का था सहायता मिलेगा। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस का स्वागत करेंगे और जो संशोधन परिषद् के द्वारा भेजे गये हैं उन को स्वीकार कर के इसे पारित करने की कृपा करेंगे।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—अधिष्ठाता महोदय, मैं जरा सा स्पष्टीकरण चाहता हूं। इस बिल के मुताबिक क्षेत्र समितियां बनाई जांयगी। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी

[श्री प्रतापसिंह]

जरा साफ कर दें कि जो क्षेत्र समितियां बनाई जायंगी तो उनमें जिला अन्तरिम परिषद् के सदस्य कैसे सदस्य बन सकेंगे। यह मौजूदा चुनाव क्यों कराये जा रहे हैं क्षेत्र समितयां बनेंगी जिला अन्तरिम परिषद् के मुताबिक और जिला अन्तरिम परिषद् जिला अन्तरिम परिषद् विधेयक के अनुसार होंगी, तो किस प्रकार से क्षेत्र समिति के सदस्य उसके सदस्य हो जाएंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश--मैं समझ नहीं पाया।

श्री प्रतापसिंह--अभी माननीय मंत्री जी ने यह कहा जैसा कि हमने समझा, कि क्षेत्र समितियां अभी इस विधेयक के मुताबिक बन जाएंगी तो इस समय जो चुनाव हो रहा है। क्षेत्र समिति का उसका क्या स्वरूप होगा। इस विधेयक के पास होने के बाद और दूसरे इस विधेयक के मुताबिक जो क्षेत्र समिति बनेंगी उनके प्रतिनिधि किस प्रकार जिला अन्तरिम परिषद् द्वारा स्थापित जिला अन्तरिम परिषद् के सदस्य होंगे इन वार्ता का स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री कैलाशप्रकाश--श्रीमन्, यद्यपि कई बार इस बात की चर्चा हो चुकी है लेकिन यह नाम क्षेत्र जब आता है तो इससे कुछ भ्रम पैदा हो जाता है। अब जो चुनाव हो रहा है, क्षेत्र समिति से उसका कोई संबंध नहीं है। क्षेत्र समिति बिलकुल एक अलग चीज है जो विकास विभाग के शासकीय आदेशों के अनुसार बनती है। अन्तरिम जिला परिषद् के अधिनियम में यह प्राविधान है कि हर एक क्षेत्र के जो प्रधान होंगे पंचायतों के उन प्रधानों के द्वारा चुना हुआ एक प्रधान अन्तरिम जिला परिषद् का सदस्य होगा। अब क्यों कि पंचायतों के नये चुनाव हो चुके हैं नये प्रधान बन चुके हैं इसलिये अन्तरिम जिला परिषद् के सदस्यों का चुनाव हो रहा है। उसके मतदाता केवल प्रधान होंगे और उम्मीदवार भी प्रधान में से हो सकेगा। ब्लाक कमेटी का विधान संगठन चाहे जो कुछ हो ब्लाक कमेटी में कौन से सदस्य है कौन नहीं है इससे कोई मतलब नहीं। आज ब्लाक कमेटी चाहे जिस किस्म की बनी हो लेकिन जहां तक अन्तरिम जिला परिषद् में सदस्य बनने का संबंध है वह प्रधानों के द्वारा चुना गया है और प्रधान चुना जाता है। हां, दोनों में केवल इतना संबंध है कि वह भी क्षेत्र है और वह भी उसी क्षेत्र के हैं सीमा का संबंध दोनों का एक-सा है।

मैं बता चुका हूं पहले भी कि जो क्षेत्र समितियां अब बनी हैं ब्लाक डेवलपमेन्ट कमेटीज जिनका नाम अंग्रेजी में है वह प्लानिंग डिपार्टमेन्ट के गवर्नमेन्ट आर्डर्स के मुताबिक बनती हैं। उन आर्डर्स के मुताबिक जिनको सदस्य बनाना चाहते हैं उनको बनाते हैं। जब यह विधेयक पारित हो जाएगा अधिनियम बन जायगा और इसके अन्तर्गत जो आवश्यक नियम हैं वह भी बन जाएंगे तब इस विधेयक के अनुसार क्षेत्र समितियां बनेंगी और वह क्षेत्र समितियां पंचायती राज का एक अंग होंगी। उन क्षेत्र समितियों का संगठन चुनाव इस विधेयक की व्यवस्था के अनुसार होगा। इतना परिवर्तन अन्तरिम काल के लिये अवश्य कर दिया गया है कि जब ये क्षेत्र समितियां इस विधेयक की व्यवस्था के अनुसार बन जाय तो जो प्रमुख चुने जाएंगे, क्योंकि आज वह प्रमुख अन्तरिम जिला परिषद् के सदस्य नहीं बनते हैं, तो इस विधेयक के द्वारा अन्तरिम जिला परिषद् में इतना संशोधन हो जायगा कि यह ब्लाक कमेटीज के प्रमुख जो कि इस विधेयक के अनुसार इलेक्टेड होंगे वह भी अन्तरिम जिला परिषद् के सदस्य बन जायंगे।

श्री रघुवीरसिंह (जिला एटा)--मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अब प्रश्न न करें वरन् अपने भाषणों में उन बातों को कह दें और फिर मंत्री जी उनका उत्तर दे देंगे।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। एक शब्द का हेरफेर है.....

श्री अधिष्ठाता--जो शंका आप उठाना चाहें अपने भाषण में उठा दें।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री अधिष्ठाता--मैं प्रश्न करने की इजाजत नहीं देता...

श्री शिवप्रसाद नागर--एक शब्द की बात है...

श्री अधिष्ठाता--आर्डर आर्डर, आप कृपा करके बैठें। मैं प्रश्न करने की इजाजत, नहीं दूंगा। जो प्रश्न आप उठाना चाहें अपने भाषण में उठायें और बाद में मंत्री जी अपना उत्तर भाषण में दें देंगे।

*श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमन्, मैं मंत्री जी के इस प्रस्ताव का कि इस पर विचार किया जाय विरोध करता हूं। आज हमारे सामने इस सदन के द्वारा पारित विधेयक को दूसरे रूप में करीब ८ महीने बाद या ७ महीने बाद लाया गया है। श्रीमन्, इस सदन के सदस्यों को एक बहुत बड़ी यह शिकायत है कि जब अन्तरिम जिला परिषद् विधेयक सदन द्वारा पारित किया गया, उस समय हमारे सामने यह प्रश्न था कि जितनी जल्दी यह पारित हो जाय उतनी ही जल्दी प्रदेश में चुनाव कराने में सुविधा हो जायगी और इसके पारित होने में--आपको ध्यान होगा--कुछ सीमा, एक सप्ताह की, हमें दी गई और हम इस विधेयक का केवल पांचवां हिस्सा ४०-४२ धाराओं का ही नियमित रूप से विवाद के बाद पारित कर पाये। बाकी धारायें निर्विवाद रूप में ही पारित समझी गईं और वह विधेयक इस आशा से भी यहां से आगे बढ़ा कि शीघ्र ही परिषद् में पारित हो कर नियमित ऐक्ट के रूप में लागू हो करके प्रदेश में आ जायगा।

अब जिस रूप में यह आया है और जिस कहानी के साथ आया है, वह भी बड़ी रोचक है। जिस समय यह पारित किया गया उसके बाद ही सरकार में उलट फेर हो गया और उसके साथ-साथ जो नया मंत्रि मंडल बना उसने इस विधेयक को कुछ अपने तरीके से देखने की कोशिश की और आशा बंधायी गई कि इसमें कुछ मौलिक परिवर्तन किये जायंगे, और उसी आशा से विधान परिषद् में एक प्रवर समिति का निर्माण हुआ और उस प्रवर समिति में यह आशा की गई है कि सरकार की वह आशाएं संशोधन के रूप में हमारे सामने आवेंगी जो नई सरकार सोच कर निकाल रही है। आज हमारे सामने जो मंत्री जी द्वारा विधेयक लाया गया है, जो नये परिवर्तन बताये गये, उनको बड़ी निराशा के साथ मैंने सुना। हमने यह सोचा था कि नई सरकार कुछ क्रान्तिकारी या कुछ मौलिक परिवर्तन करके लायेगी जिससे इस प्रदेश के उन नागरिकों का लाभ होगा जो ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं।

आप देखें, समाजवादी पार्टी की तरफ से जब उस जिला परिषद् विधेयक को नये ढंग से पारित करने की सरकार ने बात उठायी और यह बात करीब पिछले ४सालों से उठ चुकी है, आपको मालूम है कि जिला परिषद् विधेयक कई दफा आया और कई रूप में आया। एक दफा आया तो सरकार ने इसको वापस ले लिया। दूसरी दफा सरकार ने जिला परिषदों के गठन करने की बात कही, फिर अवधि बढ़ाने की बात कही। इस तरह से जिला परिषद् के निर्माण के बारे में तीन रूप में हमारे सामने विधेयक आ चुका है। इन पिछले सालों में या प्रवर समिति में समाजवादी दल की तरफ से बारबार आग्रह किया गया कि सरकार इन हिस्सों में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं इनमें अगर स्वायत्त अधिकार देना चाहती है तो कुछ मौलिक अधिकार दे और मौलिक परिवर्तन करे। और उस आधार पर ही सरकार से यह आशा की गयी थी कि वह कम से कम इस बात को तो स्वीकार करने में कुछ भी आगा पीछा नहीं करेगी कि जनता के प्रतिनिधि प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जायं। इस बात को कहते-कहते हम आज भी थके नहीं हैं कि इस बढ़े हुये जनतंत्र के जमाने में प्रयत्क्ष चुनाव का कम मूल्यांकन सरकार न करे। लेकिन सरकार से जो गलती

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

प्रारम्भ में हुई और जिसके लिये हम आशा करते थे कि यह नया मंत्रिमंडल उस भूल को सुधारेगा, लेकिन इस नये मंत्रिमंडल के द्वारा जो परिवर्तित हिस्सा हमारे सामने आया है, उसको जब हम देखते हैं तो उसमें न केवल उस भूल को सुधारा ही नहीं गया बल्कि और भूलें भी कर दी गयी हैं। सब से बड़ी बात तो यह है कि सारे परिवर्तनों में सरकार ने कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि जिला परिषद् का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा हो। जब हम प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा यहां आये हैं तो क्या वजह है कि जिला स्तर पर बनी हुई हमारी स्वायत्त शासन संस्थाओं में ऐसे लोगों का बहुमत हो जो प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा न आये हों? इसमें है कि प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने हुये सदस्य कम से कम २० होंगे। लेकिन जिला परिषदों में जहां पूरी संख्या कहीं-कहीं १०० से अधिक है वह केवल २० या २० से कुछ कमो बेश प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा आयें तो यह सीधे चुनाव का कितना निरादर होगा?

दूसरी बात जो हमने प्रारम्भ से ही आशा की थी वह यह कि इन स्वायत शासन संस्थाओं पर सरकारी नियन्त्रण कम से कम हो। सरकारी नियन्त्रण कम करने की बात अभी कुछ मंत्री जी के द्वारा सुनायी गयी लेकिन यह उसी प्रकार है जैसे कोई तमाम घंटे चक्की पीसे और निकले उसमें से चोकर ही। ठीक इसी प्रकार कोई मूल्यवान चीज उनके भाषण से निकली नहीं और सरकारी नियन्त्रण में जो मंत्री जी ने कुछ दिखाना चाहा कि हमने कम कर दिया है, अगर मैं कह सकूं तो वह कमी नहीं है बल्कि उसमें और बढ़ोतरी ही है।

जो तीसरा मूलभूत परिवर्तन हम सोच रहे थे वह यह कि इनमें हमें पूरा अधिकार होगा कि किस तरह से हम अपनी व्यवस्था गांव स्तर पर जिला स्तर पर और क्षेत्र-स्तर पर कर सकें, लेकिन यह पूरा अधिकार हमारे हाथ में नहीं है बल्कि जगह-जगह पर आयुक्तों के द्वारा, जिला अधिकारियों के द्वारा जो नियन्त्रण रखे गये हैं वह उसी प्रकार से सख्त और मजबूत हैं जैसे पहले थे, उसमें जरा भी कमी नहीं की गयी है।

इन मौलिक बातों की ओर केवल ध्यान दिलाना चाहूंगा क्योंकि सरकार ने इन बातों को बिलकुल भुला दिया है और आज हमारे सामने जो संशोधन लाकर रख दिये गये हैं उनमें इनकी कहीं गन्ध भी नहीं पायी जाती है और जहां पर सरकार मौजूद थी उसी जगह पर हिलती डुलती दिखायी देती है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं कि यह जो ६-७ महीने व्यतीत हुए, सरकार ने सचमुच ही यह समय व्यर्थ कर दिया। ५ महीने तो इस रूप में गये कि वह विधान परिषद् द्वारा प्रवर समिति में भेजा गया और उसके बाद उसकी सिफारिश आयी और अब विधान सभा में दो, तीन दिन का ही मौका सरकार दे रही है और कहती है कि थोड़े हेरफेर के साथ इसको आप पारित कर दें। मैं जानना चाहता हूं कि यह जो समय हमारा बरबाद किया गया और अब जो यह कहा जाता है कि अगर चुनाव के साथ हम यह चुनाव नहीं कर सकेंगे, इसमें दोष किसका है? ये पांच साल हमारे सामने बीत गये और ये जिला परिषदें पिछले दस साल से बिना निर्वाचित मौजूद हैं। इन पांच साल में इनको जैसे का तैसा बनाये रखा गया है और सन् ६२ के चुनावों के भी आगे इनको फेंक दिया गया है। श्रीमन्, कौन जाने, १९६२ के चुनाव के बाद सरकार इस रूप में होगी या नहीं। इतनी तो मानी हुई बात है कि सरकार परिवर्तित रूप में होगी और जो कैबिनेट का रूप होगा वह इसको कभी पसन्द नहीं करेगा कि इस प्रकार के उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक को स्वीकार कर ले और फिर यह भी संभावना है कि वह स्वयं भी एक मौका ले। पांच साल तक तो यह सरकार सोचती रही और अन्त तक नहीं सोच पाई और दूसरी सरकार को.....

श्री प्रतापसिंह—श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि इस परिवर्तित रूप में जो सरकार हमारे सामने विधेयक लाई है उसमें आज मंत्री जी द्वारा कुछ उल्लेखनीय बातें बताई गईं। उनको मैं एक-एक करके आपके सामने रखूंगा। हमारे मंत्री जी द्वारा यह बताया गया कि क्षेत्र समितियों में उन्होंने अच्छे ढंग के परिवर्तन किये हैं। उनके संबंध में मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। लेकिन मुझे खेद है कि वह मौजूद नहीं हैं और दूसरे की बात वह सुनने के लिये भी तैयार नहीं हैं। उन्होंने यह बताया कि इसमें जो प्रमुख होगा उन ग्राम सभापतियों में से चुना जायगा। बाकी टाउन एरिया वगैरह के आदमी अर्ह के रूप में लिये जा सकेंगे। सहकारी समितियों द्वारा चुने हुए आदमियों की व्यवस्था ठीक ढंग से कर दी गई है और उन्होंने बताया है कि जिलों के एम० एल० एज० को भी उनमें बैठने का मौका मिलेगा। मैं उनके शब्दों में ही बताऊंगा कि उन्होंने इस तरह से बताया है कि बजाय क्षेत्र समितियां उन्नतशील होतीं प्रतिक्रियावादी बन जायंगी। पहले इन जिला समितियों में केवल विधान सभा के उन प्रतिनिधियों को आने का मौका मिलता था जो ग्रामीण क्षेत्र के होते थे, लेकिन अब इसको बढ़ाकर जिला कर दिया गया है। इसका परिणाम यह होगा कि क्षेत्र समितियों में शहरी क्षेत्र के लोग अनिवार्य रूप में सदस्य हो सकेंगे। यद्यपि उन्हें यह कहा गया है कि वह किसी एक क्षेत्र समिति को चुन लें लेकिन वह किसी एक क्षेत्र समिति को इस तरह से चुन सकते हैं कि जहां वह अपना अल्पमत देखेंगे वहां अपना बहुमत बनाने के लिये सब ही पहुंच सकते हैं।

अन्तरिम जिला परिषदों का विधेयक श्रीमन्, पास हो चुका है और उसका निर्माण करने की बात भी सरकार ने सोच ली है और यह भी आदेश हो गया है कि उनका चुनाव भी सन् ६२ के पहले सरकार करायेगी। यह सरकार जो कांग्रेस सरकार है उसका यह मंशा प्रतीत होता है कि किसी न किसी प्रकार से (येनकेन प्रकारेण) कांग्रेस का बहुमत वहां बना ही रहे। उसे इन चुनावों में भाग लेने के लिए कांग्रेस पार्लियामेन्ट्री बोर्ड की तरफ से आदेश निकल चुके हैं कि भाग इनमें लिया जाय और चेयरमैन के लिये आदमी खड़े किये जायं। इन स्वायत्त शासन संस्थाओं में पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ से चुनाव में भाग लेने की तैयारी हो चुकी है। वह चाहते हैं कि सन् ६२ के चुनाव के पहले किसी न किसी तरह से जिला परिषदों में इनका बहुमत बना रहे और उसी के लिये इतने विधेयक यहां पारित हुए हैं। चाहे इसको देखें, चाहे अन्तरिम जिला परिषद् को देखें सब उसी के लिये बने हैं। सबका मंशा यही है कि हमारा कब्जा सन् ६२ तक इन संस्थाओं में ढीला न पड़ने पाये।

मैं इस बात को प्रमाणित करके बताऊंगा, क्षेत्र समिति, सरकार कहती है कि हम बनायेंगे। माननीय मंत्री जी ने इस बात को जाहिर किया कि अन्तरिम जिला परिषदें बनें चाहे न बनें लेकिन क्षेत्र समितियों का निर्माण हम कर देंगे। तो उन्हीं को पहले हम नमूने के रूप में जांचना चाहते हैं। मैं यह कह सकता हूं कि बैकडोर का तरीका उन्होंने खुलेआम इसमें बता दिया है कि किस तरह से हम बैकडोर से उसमें घुसेंगे। क्षेत्र समिति में सरकार यह कहती है कि कोई भी शहरी क्षेत्र का आदमी किसी एक क्षेत्र समिति में उसका सदस्य होकर बैठ सकता है। तो ऐसा क्यों? आज अन्तरिम जिला परिषदों में शहरी क्षेत्र के सभी विधायक बैठते हैं, हम देखते हैं कि वह गेहूं और जौ के पौधे को पहचान नहीं पाते हैं, गेहूं को जौ और जौ को गेहूं कहा करते हैं। तो ऐसे लोग वहां बहुमत बनाने के लिये बैठाले जाते हैं और आज श्रीमन्, उधर के लोगों को बहुमत प्राप्त है, उसका जो दुरुपयोग जिला परिषदों में किया जा रहा है वही दुरुपयोग यहां पर भी करने का प्रयास किया जा रहा है।

हमें यह बताया गया कि क्षेत्र समिति को बजट पास करने के लिये हम यह सुविधा देंगे कि एक दफा वह बजट पास करें, नियोजन के पास वह भेजा जाय और लौटकर वह आवे तो उसको वह फिर पास कर लें। तो यह हेरफेर और घुमाना क्यों? क्षेत्र समिति को कहां यह अधिकार दिया गया है कि वह अपना बजट पास करले और अन्तिम रूप से उसका फैसला बना रहे? अभी जो हमारी क्षेत्र समितियां बनी हुई हैं वह नियोजन विभाग की तरफ से बनी

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

हुई हैं। अब जो बनेंगी वह इस जिला परिषद् और क्षेत्र समिति विधेयक के आधार पर बनेंगी। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि आज की जो बनी हुई समितियां हैं उनके जो मेम्बर बैठते हैं, वह भी उसी जिला परिषद् में बैठे हुए पाये जायेंगे और इस विधेयक के बाद जो समितियां बनेंगी उसके बाद भी वही सदस्य वहां बैठे हुए पाये जायेंगे, इस तरह सन् ६२ के चुनाव तक वही बने रहेंगे। और ६२ के बाद कौन सी सरकार होगी? वह किस तरह की व्यवस्था पसन्द करेगी, यह कहा नहीं जा सकता। इस समय यही देखाई पड़ता है कि आज जो जिला परिषदें बनेंगी वही बनी रहेंगी और नयी जिला परिषदों का निर्माण हो ही नहीं पायेगा। यह मैंने थोड़ा-सा इन क्षेत्र समितियों के बारे में कहा जिनके बारे में सरकार ने बड़ा ढिंढोरा पीटा है।

हमारी सरकार की ओर से यह कहा गया है कि हमने कंट्रोल को ढीला किया है। कहां किया है? अभी तक उनका कहना था कि जो कार्याधिकारी होते थे उन पर कोई नियंत्रण नहीं था। अब उन पर यह कंट्रोल कर दिया है कि अध्यक्ष उनके कैरेक्टर रोल में लिखकर प्राधिकारी को भेज देंगे और वह उसी रूप में लिख देगा। मैं पूछूंगा कि यह अधिकार अध्यक्ष को क्यों नहीं दिये जा रहे हैं कि वह सीधे लिख सकें और प्राधिकारी को बीच में क्यों लाया जा रहा है? यह तो अध्यक्ष पर अविश्वास किया जा रहा है।

इसी प्रकार से यह भी कहा गया कि अब जिला परिषदों के सभी विभागों को अलग-अलग विभागाध्यक्षों के अन्डर में बांट देंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार जिले को भी सेक्रेटेरियट बनाना चाहती है और अगर बनाना चाहती है तो सेक्रेटेरियट का सारा रूप ले जाकर क्या वहां फाइलों का अम्बार इकट्ठा करके वही दुश्वारियां रखना चाहती है जो कि यहां सेक्रेटेरियट में हैं और जैसे कि यहां पर मामूली नागरिक को दफ्तरों में राहत नहीं हो पाती? क्या आप चाहते हैं कि ठीक वही हालत वहां भी हो और विभागाध्यक्ष वहां भी अपनी-अपनी चिकें, अपने अपने चपरासी रखे हुए बैठेंगे तो कोई भी किसान उनके कमरों में घुसकर अपना काम कैसे करा पायेगा और क्या यह विभागाध्यक्ष फिर 'किंग्ज आफ देअर ओन डिपार्टमेंट्स' नहीं हो जायेंगे और क्या उनके पास भी वैसे ही अधिकार नहीं पहुंच जायेंगे? और क्या वे किसानों की बातों को टालते नहीं रहेंगे?

श्रीमन्, एक बात की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कहा यह जाता है कि सरकार पद सृजन कर सकेगी और उनमें अधिकार केवल कुछ जगहों के लिये कर रखे हैं जो नियोजन और विकास के संबंध में हैं। इससे साफ जाहिर है कि सरकार नियोजन और विकास विभाग को किसी प्रकार से भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों या अध्यक्षों के हाथ में नहीं रखना चाहती और इसको अपने अधिकार में रखकर देखा यह जायगा कि नियोजन जिला परिषदों द्वारा न हो कर सरकार के द्वारा बनाये हुए उसी के डिपार्टमेन्ट में और परिषदों की छाती पर बैठे हुए काम करते हुए दिखाई दे, यानी एक ओर तो दिखाने के लिये परिषद् के अन्डर में हो लेकिन काम हो सरकार के द्वारा बनाये गये अधिकारी और अधिकारों द्वारा, यह डुअल सिस्टम यानी कुछ अधिकारी सरकार के इशारे पर काम करें और कुछ अधिकारी हों जिन पर परिषद् का हाफ कंट्रोल हो और कुछ ऐसे हों जिन पर परिषद का पूरा कंट्रोल हो, ऐसी खिचड़ी यह सरकार पकाना चाहती है जो जिला परिषदों में पके।

कई मौकों पर ऐसी कोशिश की गयी है कि पंचायतों को अधिकार दिया जाय फोर्स्ड लेबर यानी जबरदस्ती श्रम लेने के लिये और इसमें उसकी कोशिश की गई है कि प्राविधान किया जाय। लेकिन मैं आपका ध्यान खींचूं कि हाई कोर्ट ने इस बात की रूलिंग दी है कि कम्पलसरी लेबर की बात अगर सरकार सोचेगी तो वह फोर्स्ड लेबर माना जायगा और वह किसी प्रकार से भी वैलिड नहीं होगा। लेकिन अब अन्तिम रूप में जो बात इस विधेयक में रखी गयी है उसके शब्द मैं पढ़ देना चाहता हूं। उसमें कहा गया है कि अगर फोर्स्ड लेबर करते समय कोई व्यक्ति इन्कार करेगा तो उससे वह कंट्रीब्यूशन उसी रूप में वसूल किया जायगा जैसे एरियर्स

आफ रेंट एंड रेवेन्यू वसूल किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह फोर्स्ड लेबर एरियर्स आफ रेंट और रेवेन्यू की तरह से क्यों वसूल किया जायगा ? क्या वे चाहते हैं कि देहातों में हम आतंक का जमाना फैलावें ? देहातों में हम ऐसा वातावरण पैदा कर दें कि लोगों को भयभीत किया जा सके ? लोगों को श्रमदान के नाम पर आतंकित किया जा सके ? श्रमदान का अर्थ तो यही हुआ करता है कि स्वेच्छा के साथ श्रमदान का दिया जाना। आज सोचना चाहिये कि श्रम प्रेम से मांगे जाने पर ही दिया जा सकेगा। अगर प्रेम की कमी होगी तो स्वेच्छा से कोई भी सहायता देने के लिये तैयार नहीं रहा करता है। ऐसी हालत में जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि गांव पंचायत उस आदमी से, जिसने श्रम नहीं किया और श्रम की अवधि में उतना धन नहीं दिया है तो उससे वह रुपया इसी प्रकार से वह वसूल कर लेगी जिस तरह से बकाया लैन्ड रेवेन्यू वसूल किया जाता है। यह धारा इसमें नई जोड़ी गई है। यह नया आविष्कार सरकार हमारे सामने रख रही है। इस बेगारी दान के रुपये को मांगने की धारा हमारे सामने रखी गई है। बेगारी धन और बेगारी श्रम यह दोनों ही बातें इस विधेयक के अन्दर हैं। एक गांव सभा ऐसा धन देने के लिये किसी भी व्यक्ति को बाध्य कर सकती है जो कि उस गांव सभा से संबंध रखता हो, यदि वह श्रमदान न करे। गांव सभा बेगारी धन के लिये और बेगारी श्रमदान के लिये बाध्य कर सकती है। यह इसके अन्तर्गत नियम के द्वारा सरकार ग्रामीण जन-समुदाय के लिये लाना चाहती है—

श्री प्रतापसिंह—इस समय सदन में कोरम नहीं है।

(गणपूर्ति के लिये घंटी बजायी गई)

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, एक व्यवस्था आप ें। इस महत्वपूर्ण विधेयक की अगर यह गति हो कि माननीय उपमन्त्री के प्रयत्न के बावजूद भी और शासक पार्टी के सचेतक के प्रयत्न के बावजूद भी अगर सदन में कोरम न हो तो ऐसी अवस्था में सदन का कार्य-क्रम कैसे चलेगा ?

श्री अधिष्ठाता—इसके बारे में पहले रूलिंग हो चुकी है। अगर यह समझा जायगा कि सदन का कार्य नहीं चल सकता है तो सदन स्थगित किया जा सकता है, लेकिन जब तक यह न समझा जाय तो सदन का कार्य चलता रहेगा।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—माननीय अवस्थी जी जो बोल रहे हैं उनकी कुछ भी बात समझ में नहीं आ रही है। उनसे कहा जाय कि वह ऐसी भाषा में बोलें जो हम लोग समझ सकें।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं अपनी भरसक कोशिश करता हूं कि साफ बोलूं लेकिन इस मशीनरी (माइक) में अगर कोई नुक्स हो तो मैं नहीं कह सकता। श्रीमन्, मैं आपका ध्यान उन धाराओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो एक परिवर्तन के रूप में हमारे सामने आई हैं और जिनके लिये सरकार ने कहा है कि हमने पूर्णरूप से उन धाराओं को लाकर रखा है।

एक विशेषता सरकार की तरफ से बताई गई और यह कहा गया कि अब जो जिला परिषदों के अधिकारी होंगे उन अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति में कुछ थोड़ा-सा हाथ अध्यक्ष का रहेगा। और यह भी कहा गया कि अधिकारियों को यदि किसी प्रकार का एतराज होगा तो वे अपील कर सकेंगे। इसमें दिया है कि वह ३० दिन के भीतर अपील कर सकता है और उस पर मंडल के आयुक्त का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा।

श्री अधिष्ठाता—आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य कृपा कर शान्त रहें। पीछे बहुत व्यवधान हो रहा है।

श्री मोतीलाल अवस्थी--जो अपील करने का अधिकार दिया गया है वह इस विचार से दिया गया है कि जो वर्तमान अधिकारी होंगे, नये पदों का उन्हीं में बंटवारा हो जायगा और कुछ नये और पद होंगे जिन पर नियुक्तियां पब्लिक सर्विस कमीशन की राय से अथवा मुख्याधिकारी द्वारा होंगी। उनके लिये भी कोई अपील कर सकता है। लेकिन इस मूल विधेयक में एक मौलिक नुक्स था और वह आज भी मौजूद है। आप देखें कि जो अधिकारी हैं जिनका वेतन दो सौ रुपये से ज्यादा है उनकी नियुक्तियों में हाथ किस का होगा। इनमें मुख्याधिकारी, वित्त अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, कार्याधिकारी अभियन्ता, कार्याधिकारी शिक्षा अधीक्षक, पंचायत अधीक्षक आदि हैं। इनमें काफी ऐसे हैं कि जो पहले काम करते थे वही अब भी काम करेंगे और साथ साथ यह भी कह दिया गया है कि यदि जिला परिषद् समझे तो उन्हें अपनी सेवा में रख ले। तो जब विभागाध्यक्ष बनाये जायंगे उनमें यह बहुत से अधिकारी ही आ जायंगे और इसीलिये सरकार ने यह व्यवस्था की है कि बड़ी नियुक्तियां लोक सेवा आयोग की राय से या मुख्याधिकारी द्वारा की जायं, और इन अधिकारियों पर सरकार का अंकुश मुख्याधिकारी द्वारा होगा। केवल इंट्रीज की एक नयी बात इस विधेयक में रखी गयी है, लेकिन इसमें मुख्याधिकारी द्वारा लिखने की बात विशेष तौर पर रखी गयी है। वह उसे उस अधिकारी द्वारा करायेगा कि जो एप्वाइंटिंग अथारिटी होगा। मूल बात इसमें हमें यह देखना है कि जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि वहां जायंगे उनका कोई नियंत्रण अपने अधिकारियों पर होगा या नहीं। अगर नियंत्रण न होगा तो एक ऐसी गाड़ी बनेगी कि जिसका घोड़ा हांकने वाले की मर्जी के खिलाफ उस गाड़ी को ले चलेगा। इन नगर महापालिकाओं को चलते हुए करीब दूसरा साल है। इनमें इनके अधिकारी लोगों का जो व्यवहार जनता के प्रतिनिधियों के साथ रहता है उसके खिलाफ कई जगह प्रस्ताव भी पास हुए हैं कि उनका व्यवहार अच्छा नहीं रहता। मैं अपने कानपुर की ही बात आपके सामने बता रहा हूं कि वहां की नगर महापालिका ने वहां के एक असिस्टेन्ट हेल्थ आफिसर्स के बारे में एक प्रस्ताव पास किया कि उनका व्यवहार ठीक नहीं है, किन्तु उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। उनका व्यवहार उन प्रतिनिधियों के साथ बड़ा अशिष्ट प्रकार का रहता है। वे अधिकारी तो यह समझते हैं कि हमारा यह लोग कुछ कर ही नहीं सकते। जब ऐसी बात है तो जनता के प्रतिनिधि कैसे उनसे काम करा सकते हैं और कैसे भ्रष्टाचार दूर हो सकता है? वे तो उन लोगों से यहां तक कह देते हैं कि आप खुद भी तो भ्रष्टाचारी हैं।

अब आप देखें कि खन्ड ५२ में यह लिखा गया है कि "(क्षेत्र समिति का) प्रमुख का खन्ड विकास अधिकारी पर सामान्य नियंत्रण रहेगा।" इसमें आप देखें कि पहले क्षेत्र समिति एक बाडी के सुपुर्द थी और अब केवल एक अध्यक्ष के नियंत्रण में रख दी गयी है। इस प्रकार से जितने भी प्रजातंत्र के तरीके हैं उनका हनन किया गया है।

इन चीजों को देख कर मैं तो यह कहूंगा कि यह प्रगतिहीनता है, पीछे की तरफ लौटना है। फिर दूसरी बात यह है कि क्या यह सरकार यह समझती है कि यह क्षेत्र समिति नासमझ हैं, उनको कोई अक्ल नहीं है? यह तो उसी प्रकार है जैसे कि पहले अंग्रेजों की नीति थी कि वह कहा करते थे कि तुम अभी इस योग्य नहीं हो कि तुम्हें स्वराज्य दिया जा सके, इसी तरह यह सरकार भी कहती है कि अभी वे इस योग्य नहीं हैं कि उनको कोई अधिकार दिया जा सके। आज विधान सभा द्वारा जो अधिकार उनको दिये जाते हैं वह अधिकार भी सरकार उनको नहीं देना चाहती। यह सरकार यही कहती है कि अभी वे इस योग्य नहीं हैं कि उनको कोई अधिकार दिये जा सकें। यह सरकार कहती जरूर है कि हम सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर रहे हैं, मगर वास्तव में ऐसा है नहीं। आज जो अधिकार हम विधान सभा में उनको देते हैं वही हमसे यहां पर छीन लिये जाते हैं।

इसी विधान सभा में एक प्रस्ताव पास किया गया कि क्षेत्र समितियां अपने विकास अधिकारी पर नियंत्रण रखें। आज कहते हैं कि जो अधिकार दिया है उसको हम वापस लेते हैं और उसका अध्यक्ष ही उसका नियंत्रण कर सकेगा। सरकार समझती है कि वह अपना बहुमत

अंतरिम जिला परिषदों में चला ले जायगी और उससे कारोलरी यह निकलती है कि कांग्रेस-मैन ही अध्यक्ष होगा, उसके हाथ की कठपुतली क्षेत्र समिति बनी रहेगी । एक अध्यक्ष का कान खींचना काफी होगा । उसको निकालने के अधिकार जो कमिश्नर को दिये गये हैं वह बहुत विस्तृत हैं और वह बी० डी० ओ० की बात को नहीं मानता है तो वह निकाल दिया जायगा । यह एक कांसपिरेसी है, षड्यंत्र है । सरकार चाहती है कि क्षेत्र समितियों पर अपना कंट्रोल रखे । १९६२ के बाद जब तक जिला परिषदें न बन जायं, यह प्रयास है, क्योंकि तब तक तो बनायेंगे ही नहीं । इन परिवर्तनों में एक छिपा रहस्य है । नयी दफा जो जोड़ी गई है, फिलहाल जब तक कि जिला परिषदें न बन जायं तब तक अंतरिम जिला परिषद् के अध्यक्ष को सभी अधिकार हो जायेंगे जो इस विधेयक के पारित होने के बाद उस अध्यक्ष को हो सकते हैं । जब तक नई नहीं बनेगी तब तक जो अध्यक्ष होगा वह पूर्ण रूप से अपने हाथ में क्षेत्र समिति को रख सकेगा । यह दुरंगी बात क्यों ? क्षेत्र समितियां तो आज बनेंगी ग्राम के पठानों के द्वारा जो कि नये जमाने में नई रोशनी के साथ और नई उमंग के साथ आये हुये हैं । श्रीमन्, आपने अखबारों में देखा होगा कि ग्राम पंचायतों के चुनावों में ऐसे लोग ज्यादातर चुनकर आये जो राजनीतिक पार्टियों से सम्बद्ध नहीं थे । हमारी ग्रामीण जनता में यह भावना अब जागृत हो गई है कि यदि स्वायत्त शासन की इकाइयों को भी राजनीति के पचड़े में डाला जायगा तो उनका सुधार नहीं हो सकेगा ।

श्रीमन्, यह कहा जाता है कि शांतिमय तरीके से ग्राम सभाओं के चुनाव हुये । शांतिमय तरीके से चुनाव हुये हों लेकिन उसमें एक क्रान्तिकारी परिवर्तन भी हुआ है, लोगों में एक नई विचार-धारा भी पैदा हुई है । वह लोग अपने नये विचारों के द्वारा क्षेत्र समितियों और जिला स्तर पर भी काम करना चाहते हैं । सरकार प्रत्यक्ष चुनावों को होने नहीं देना चाहती, अप्रत्यक्ष चुनावों के द्वारा ही अपनी सत्ता को कायम रखना चाहती है । प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनावों में यही फर्क है । यदि अप्रत्यक्ष चुनाव ही अच्छे होते तो राजनीति जानने वाला कोई भी व्यक्ति इसकी मुखालिफत क्यों करता ? गांव पंचायतों का चुनाव तो प्रत्यक्ष लेकिन जिला परिषद् का चुनाव अप्रत्यक्ष । अब जिला परिषद् का अध्यक्ष क्षेत्र समितियों के अध्यक्ष पर नियंत्रण करे जिसमें कि नये विचार के आये हुये लोग हैं तो यह कैसे चल पावेगा ? मालूम होता है कि सरकार का एक ही लक्ष्य है और वह यह कि नये विचार के आये हुये लोगों की भावनाओं को कुचला जाय और नियंत्रण की धाराओं के अन्तर्गत कान खींच कर उनको निकाला जाय । मैं सरकार की इस नीयत को चैलेंज करता हूं, इसके प्रमाण भी मौजूद हैं ।

अब श्रीमन्, सरकार जो तमाम संशोधन लाई है, उनको लाने की क्या जरूरत थी । मंत्री जी ने कहा कि बहुत से संशोधन मौलिक हैं । इसमें कार्य अधिकारी की जगह पर कार्याधिकारी हो गया,इसमें ही सरकार ने कई महीने लगा दिये और समय बर्बाद किया,यह बात शोभनीय नहीं है । अब सरकार ने जो मुख्य मुख्य परिवर्तन किये हैं उनको जब मैं अच्छी तरह से देखता हूं कि आया उनमें कोई तत्व भी है या नहीं तो मालूम होता है कि उनमें कोई तत्व नहीं है बल्कि वह उल्टे ही जाने वाले हैं । हां, सरकार ने कुछ कदम आगे जरूर बढ़ाये हैं जिनके सम्बन्ध में पिछली सरकार ने सुनना भी पसन्द नहीं किया था ।

श्रीमन्, एक बात यह कही गई कि जिला परिषद् या क्षेत्र समिति का अध्यक्ष तब हट सकेगा जब कि दो तिहाई लोग चाहें । किसी भी प्रजातांत्रिक संस्था में ऐसा नहीं होता । इस सदन में भी ऐसा नहीं है । यहां का अध्यक्ष बहुमत के बल पर चुना जाता है और उसी प्रकार से बहुमत में एक सदस्य कम होने पर वह हट सकता है । लेकिन ठीक उसके विरुद्ध जिला परिषदों का निर्माण हो रहा है । पहले अपने अध्यक्ष को हटाने के लिये दो-तिहाई रखे थे लेकिन उस गलती को आपने समझा और अब उसको आधा कर दिया । लेकिन इसके साथ ही साथ आप क्यों नहीं कहते हैं कि अपनी गलती को महसूस किया, भूल को सुधारा है, हम से भूल हो गई थी ? जिस चीज को आपने ठीक किया उस चीज के साथ आप माफीनामा क्यों नहीं लगाते ? अब आप कहते हैं कि आधे से हटेंगे । लेकिन इसके साथ ही साथ आपने प्रार्थनापत्र-प्रस्तुत करने का

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

जहां जिक्र किया है वहां लिखा है कि उसमें आधे आदमियों के दस्तखत हों। यह कौन सी काबलियत है ? जब अविश्वास का प्रस्ताव आधे से पास होना है तो आपने यह शर्त क्यों लगाई ? ऐसी शर्त आपने इसलिये लगाई कि आप नाक के आगे सोच ही नहीं पाते हैं। पहले वाली धाराओं को सरकार पढ़ने का कष्ट ही नहीं करती। इसके लिये उसने ७ महीने प्रवर समिति में लगा दिये।

सरकार ने कहा कि बड़े अच्छे संशोधन किये हैं। मैं उन्हीं संशोधनों की जांच करना चाहता हूं कि सचमुच उनमें कोई ऐसी बात है या नहीं जिनके द्वारा हम लोगों को प्रजातांत्रिक तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं या नहीं, विकेन्द्रीयकरण में हम आगे बढ़े हैं या नहीं, जनता को अधिकार देने में और ग्रामीण क्षेत्रों की स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने में हम आगे बढ़े हैं या नहीं। जब मैं इस कसौटी पर इसको कसता हूं तो कभी भी मैं सरकार को मुबारकबाद नहीं दे सकता। सरकार अपने मद में चूर है, अपनी गलतियों को वह देख नहीं पाती, केवल एक आधी चीज कहीं देख पाती है। आप देखेंगे कि दो-तीन बातों में ही सुधार किया गया है।

जहां सरकार यह कहती है कि उसने कुछ अच्छे सुधार उसमें करने का प्रयत्न किया है वहां ऐसा जहर भी उसमें भर दिया है जिसको किसी भी हालत में यह सदन स्वीकार नहीं कर सकता। जबरदस्ती बेगार और जबरदस्ती दान की बात यह सदन कभी स्वीकार नहीं कर सकता। खास तौर से सदन में इस ओर के बैठने वाले इस चीज के लिये सजग हैं।

आज एक तरफ तो केन्द्रीय परिषद् से हमें यह रायदी गई है कि स्वायत्त शासन की संस्थाओं में जैसे क्षेत्रीय परिषदें और जिला परिषदें हैं, उनमें विधायकों का हाथ नहीं होना चाहिये या बहुत कम हो और इस सदन में कई बार यह बात रखी गई कि स्वायत्त शासन संस्थाओं में विधायकों का पचड़ा न रहे लेकिन सरकार ने अपनी हठवादिता से इस बात को न माना और उसके बावजूद भी यह सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है। अड़ी रहे तो अड़ी रहे लेकिन उसमें भी इसने एक कोढ़ में खाज यह पैदा की है कि उसने कहा है कि जिला परिषद् विधेयक जिले के लिये हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के लिये पंचायतें हैं, नगरपालिका शहरों के लिये होती हैं उसी प्रकार से गांवों में स्वायत्त शासन का कार्य क्षेत्र समितियां करेंगी, लेकिन फिर भी इसमें कब्जा दिखाया जाता है शहरी एम० एल० एज० का। इन संस्थाओं में विधायकों का बहुमत बनाने की हर जगह चेष्टा की गई है और इसके लिये उन्होंने परिभाषा ही बदल डाली है। यह हमारे सामने एक नई समस्या है। सरकार यह समझती है कि आज हम जो अपना बहुमत बनाये बैठे हैं वह इन्हीं शहरी लोगों की वजह से है। अभी शहरों के जो हमारे धनी मानी लोग हैं वे इस सरकार के दृष्टिकोण को नहीं बदल पाये हैं और पूंजीवादी लोग अपनी पूंजी के लालच को नहीं छोड़ पाये हैं जब कि ग्रामीण क्षेत्र में एक नई आग लगी हुई है। लेकिन यह सरकार अपने बहुमत को येन केन प्रकारेण ग्रामीण क्षेत्रों में बनाये रखना चाहती है। नहीं तो इस परिभाषा को बदलने का कारण और क्या हो सकता है ? इन क्षेत्र समितियों में और जिला परिषदों में इन्हीं विधायकों को बैठाने का प्रयत्न किया जा रहा है जो ग्रामीण क्षेत्रों का हाल भी नहीं जानते हैं। लेकिन वह अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि है, अपने क्षेत्र की बात जान सकता है, अपने क्षेत्र के बाहर की बात सुनी हुई कह सकता है, जानी हुई नहीं। इसलिये हमारा सब से ज्यादा सरकार से तीव्र विरोध यह है कि आज सरकार नई बात पैदा कर रही है। जिला परिषदों के निर्माण में विधायकों को घुसेड़ना और क्षेत्र समितियों के काम में विधायकों को घुसेड़ना और शहरी क्षेत्र के लोगों को भी साथ ले जाना बिलकुल अनुचित है, यह किसी तरह से भी न्यायोचित नहीं है। इन तमाम मौलिक बातों पर सरकार ने ध्यान इसलिये नहीं दिया है क्योंकि आज उसे अपने कब्जे को बनाये रखना है जिस तरह से भी वह बना रहे। सारा परिवर्तन लाने में सरकार ने यही ध्येय रखा है कि हमारा कब्जा और मजबूत कैसे हो। यही सरकार का सोचने का मूल आधार है।

इस के अलावा एक चीज की भी चर्चा इस में नहीं है कि आगे चलकर जिला परिषदें प्रकट चुनाव द्वारा आयेंगी। क्षेत्र समितियों में वह हिस्सा जो प्रकृत चुनाव के द्वारा आता उसका तो

जन्म ही नहीं होने पा रहा है इन संस्थाओं में। यह कहा जाता है कि सीधे निर्वाचन कराये बिना ही हम बनी हुई क्षेत्र समितियों से ही उस वक्त तक काम चलायेंगे जब तक कि सन् १९६२ के चुनाव के बाद नई जिला परिषदें न बन जायं। वह तिथि पता नहीं कि सन् १९६२ में, ६३,६४ में, ६५ में, या ६६ में न जाने कब आयेगी। मैं कह सकता हूं कि इसके आधार पर आज सरकार क्षेत्र समितियों के निर्माण के विषय में एक टालू नीति बना रही है और बात को टाल कर अपने को किसी रूप में भी बांधना नहीं चाहती। वह हमें उन अधिकारों से वंचित रखना चाहती है जिन को लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिये इन प्रस्तावित संशोधनों पर विचार किया जाय, मैं इनका विरोध करता हूं। ये विचारणीय नहीं हैं, इनको अस्वीकार करना चाहिये। ये संशोधन अप्रगतिशील तथा प्रक्रियावादी हैं और कहीं भी इनमें कोई गंध नहीं है कि पहले के अधिकारों से हम कुछ आगे बढ़ पाये हों बल्कि इस विधेयक में हम और पीछे ही हटे हैं। इस समय मैं केवल उपसंहार के रूप में इतना ही इस का विरोध कर रहा हूं और संशोधनों के समय विशेष रूप से इस पर प्रकाश डालूंगा कि उनको क्यों स्वीकार न किया जाय।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—अधिष्ठाता महोदय, मैं आप का बहुत आभारी हूं कि आप ने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर दिया। जिला अन्तरिम परिषद् के विधेयक पर जिस तरह के संशोधनों की आवश्यकता थी और अपर हाउस से विचार कर संशोधन लाने की आशा की जाती थी वह आशा बहुत दर्जे तक पूरी हुई है। मैं इसके वास्ते माननीय स्वायत्त शासन मंत्री को बधाई देता हूं। सच बात तो यह है कि यह विधेयक इस से पहले भी सदन में आया था और जिस जल्दबाजी में और जिस तरह से उस वक्त यह यहां से पारित हुआ था वह सचमुच एक बड़े असन्तोष का कारण था। और वह जल्दबाजी यहां तक हुई कि ऐसे आवश्यक और व्यापक विधेयक को उस समय के मंत्री महोदय ने उसे प्रवर समिति को भी नहीं भेजा। नतीजा यह हुआ कि जो संशोधन उस विधेयक में अनिवार्य रूप से होने चाहिये थे वह नहीं हो सके थे। एक गुजरी हुई कहानी हो गई वह। अब ये जो संशोधन विधान परिषद् से आये हैं उनमें बहुत से उन संशोधनों का समावेश है जिसके ऊपर इस सदन में चर्चा हुई थी कि उस विधेयक में उनका समावेश हो जाय। सचमुच अच्छा होता कि यह विधेयक संयुक्त प्रवर समिति के सिपुर्द हुआ होता लेकिन जो भी संशोधन विधान परिषद् से आये हैं उनके बारे में मेरी राय यह है कि बहुत कुछ उन मांगों को इनके द्वारा पूरा किया गया है जो पिछली बार जब विधेयक इस सदन में आया था तब वे मांगें रखी गई थीं। इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि जो अपने यहां सहकारिता की समितियां हर जिले में होंगी उनके प्रतिनिधि इसमें रह सकेंगे और ग्रामसभाओं को भी एक तरह से सक्रिय बनाने के लिये जो ग्रामसभाओं की भूमि प्रबन्धक समितियां थीं उसका भी समावेश इसमें कर दिया गया है और इस तरह से ग्राम पंचायतों का, क्षेत्र समितियों का और फिर जिला परिषदों का एक तारतम्य बनाया गया है जिससे यह आशा की जाती है कि जो अधिकार विकेन्द्रित होने वाले हैं उनका समावेश इस विधेयक में किया गया है और ग्राम समितियां अपनी जिम्मेदारी का अनुभव करेंगी और उन्हें जो अधिकार मिले हैं इन संशोधनों के द्वारा उनका प्रयोग करके ग्रामों की रूप रेखा ठीक तरह से बनायेंगी।

क्षेत्र समितियों के संबंध में जो संशोधन हुआ है वह भी स्वागत के योग्य है। जब सबसे पहले यह विधेयक आया था, जिसको कि सरकार ने कुछ दिन बाद वापस ले लिया था, उसमें तो इन क्षेत्र समितियों का जिक्र ही नहीं था। लेकिन पिछली बार के विधेयक में इन क्षेत्र समितियों का जिक्र आया किन्तु उनको कोई विशेष अधिकार नहीं दिये गये थे। अब जिस प्रकार यह क्षेत्र समितियां बनेंगी उनमें जनता के चुने हुये प्रतिनिधि आवेंगे और उसके कार्य को सम्हालेंगे। इस प्रकार से जो शक्ति विकेन्द्रित होगी उसका इन क्षेत्र समितियों में उपयोग होगा और आशा की जाती है कि जनोपयोगी कार्यों में ठीक तरीके से उनका उपयोग किया जायगा। इस तरह से इन संशोधनों का भी स्वागत किया जा सकता है।

इन क्षेत्र समितियों में और जिला परिषदों में विधान मंडल के सदस्य भी रह सकेंगे। मैं समझता हूं कि यह एक ठीक कदम है। मेरे मित्र मोतीलाल जी अवस्थी को समें यह शंका हुई कि

[श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा]

उन्हें इसलिये रखा गया है ताकि सरकार का बहुमत बना रहे । वह भूल जाते हैं कि हमारे देश और प्रदेश में नियोजन के कामों के लिये पंचवर्षीय योजनायें चल रही हैं और जो नियोजन के कार्य हैं उनमें प्रत्येक व्यक्ति दिलचस्पी ले रहा है और जो जनता के प्रतिनिधि हैं उन्हें विशेष रूप से दिलचस्पी लेनी चाहिये और इसी बात को ध्यान में रखकर यह व्यवस्था रखी गई है कि जनता के प्रतिनिधि जो विधान मंडल में भी आते हैं, वह भी क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों में रह सकें और अपने विचार व्यक्त कर सकें और जो नियोजन के कार्य हैं उनमें दिलचस्पी ले सकें। इसमें माननीय मोतीलाल जी अवस्थी को इस तरह का शक नहीं करना चाहिये। यों तो हर बात में शक किया जा सकता है, लेकिन शक कोई बड़ी अच्छी चीज नहीं है।

पिछली बार जो विधेयक जब इस विधान सभा से पास होकर गया था तो प्रमुख के चुनाव के सिलसिले में जिस तरह की चीज पास हुई थी वह मुनासिब नहीं थी । उसके अनुसार बहुत थोड़े लोग प्रमुख के लिये खड़े हो सकते थे । अब जो संशोधन आया है उसके द्वारा आपने एक बड़े दायरे में उन तमाम लोगों को जो विधान सभा के वोटर हो सकते हैं उनको क्षेत्र समिति का सभापति बनने के लिये और जिला परिषद् का भी सभापति बनने के लिये अवसर दिया है कि वह उसके उम्मीदवार हो सकें, यह संशोधन भी सराहनीय है ।

आपने जो यह प्रतिबन्ध रखा है कि उनकी आयु ३० साल की हो मुनासिब है क्योंकि इस तरह की जिम्मेदारी लेने के लिये वयस्क व्यक्ति ही होना चाहिये जिसे शिक्षा के साथ अनुभव भी हो।

अध्यक्ष के हटाने के लिये जो पिछली बार व्यवस्था थी वह यह थी कि दो तिहाई बहुमत से, उसे हटाया जायगा । अब जो संशोधन किया गया है वह बिलकुल जन तांत्रिक तरीके का है अर्थात् किसी अध्यक्ष को हटाने के लिये यह आवश्यक है कि बहुमत उसके खिलाफ हो । साधारण बहुमत भी उचित मान लिया गया है । इस संशोधन के द्वारा किसी भी अध्यक्ष पर अविश्वास हो जाने के बाद उसको हटाने के लिये साधारण बहुमत से कार्यवाही की जा सकती है, यह संशोधन भी स्वागत योग्य है।

पिछली बार जो अध्यक्ष के लिये आपने सहायक दिया था केवल एक ही उप-प्रमुख रखा था। इस बार जो संशोधन आया है उसमें सीनियर और जूनियर दो उप-प्रमुख रखे हैं। यह भी उस समय एक मांग थी वह पूरी हुई है और इसमें विशेषता यह रखी गयी है कि प्रमुख यदि चाहे तो अपने अधिकारों को इन उप-प्रमुखों को हस्तांतरित कर सकता है। मैं समझता हूं इसकी जरूरत थी और इसको संशोधन में स्वीकार कर लिया गया है। श्री मोतीलाल जी को कम से कम इस तरह के संशोधनों का स्वागत करना चाहिये था और इसके लिये आभार प्रकट करना चाहिये था। उन्होंने बहुत से एतराज किये लेकिन किसी एक भी अच्छी बात की सराहना नहीं की। बल्कि यों कहा कि आपने जो प्रायश्चित किया उसके लिये माफी नहीं मांगी। यह संकुचित हृदय की बात है। मैं तो उनसे विशाल हृदय की बात की आशा करता था क्योंकि वह अध्यापक हैं। इसलिये जब भी वह बोलें तो जरा उदार हृदय से इन बातों पर बिचार करके अपने बिचार व्यक्त करें।

पिछले विधेयक में जिला परिषद् के कार्यकर्ताओं या मुख्य कार्याधिकारी के सम्बन्ध में जिस तरह का प्राविधान किया गया था उसमें भी लोगों ने संशोधन मांगा था। अब जो संशोधन हुआ है उसमें यह है कि जो मुख्य कार्याधिकारी रखा जायगा उसपर नियंत्रण अध्यक्ष का रहेगा। अगर वह ठीक काम नहीं करता है तो उसके सम्बन्ध में जो टीका टिप्पणी की जायगी, जो टीका टिप्पणी अध्यक्ष उसके सिलसिले में करेगा वह वैसी की वैसी ही उसके सर्विस बुक में नोट कर दी जायगी । यह मांग भी स्वीकार कर ली गई है। यह भी ठीक संशोधन है जिसका स्वागत किया जा सकता है। नियुक्तियों के सिलसिले में जिस तरह के प्रतिबन्ध लगाये गये थे वह भी हटा लिये गये हैं और अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया है कि जिले के कार्यकर्त्ताओं के सम्बन्ध में जो नियुक्ति वह करना चाहेगा, कर सकेगा । और इस तरह से एक

जन-प्रतिनिधि को जो अधिकार मिलने चाहिये थे तथा विकेन्द्रीकरण के साथ-साथ उसके हाथ में जो सत्ता आनी चाहिये थी वह इन संशोधनों के द्वारा दी गई है, इसका भी मैं स्वागत करता हूं।

एक कमी मुझे इसमें यह दिखायी पड़ती है कि पिछले विधेयक में यह था कि ग्राम सभाओं की आमदनी का एक हिस्सा जिला परिषदों को दिलाने की बात थी। तजवीज यह थी कि सरकारी रेवेन्यू में से या जिले की आमदनी में से गांव सभाओं को भी एक हिस्सा दिया जाय ताकि अपने काम को चला सकें। मैं इस तरह के संशोधन को इसमें नहीं पाता हूं। मैं आशा करता हूं कि वह मेरी नजरों में नहीं आया और उसकी व्यवस्था इसमें होगी और अगर नहीं है तो मैं समझता हूं कि अगर इस तरह के संशोधन सदन में आयेंगे तो सरकार उसे स्वीकार करेगी।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)---श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा---अधिष्ठाता महोदय, मैं कह रहा था कि क्षेत्र समितियों का जो बजट होगा उसके सिलसिले में जो सुधार किये गये हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। जिला परिषद् के बजट में कमिश्नर को जो अधिकार दिया गया है वह मुनासिब ही है कि नियोजन विभाग के बजट को छोड़ कर बाकी बजट में वह कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकेंगे जो अन्तरिम जिला परिषद् के लोगों की इच्छाओं के खिलाफ हो। नियोजन के सिलसिले में हो सकता है कि पार्टीबाजी की वजह से किसी किसी जिले में गलत चीजें हों। इसलिये जो अधिकार कमिश्नर को दिया गया है, मैं समझता हूं वह कोई विशेष आपत्ति की बात नहीं है। एक जिम्मेदार अफसर कोई ऐसी बात नहीं करेगा जो जिले के हित के खिलाफ हो। मैं समझता हूं कि यह संशोधन भी ऐसा है जिसका स्वागत करना चाहिये।

इसके अलावा अभी केवल ग्राम सभाओं के सभापतियों का प्रतिनिधि जो होगा वह जिला परिषद् में जायगा और आगे चल कर जो ब्लाक समितियां हैं वह अपना एक सभापति भी चुनेंगी और वह सभापति भी फिर जिला परिषद् का सदस्य हो जायगा, यह आगे की व्यवस्था है। तो अन्तरिम कालीन जो व्यवस्था की गयी है जिसकी नामजदगी १ जून को होगी और चुनाव ८ जून को होगा, इस तरह से अन्तरिम जिला परिषद् बन जायगा। मैं समझता हूं यह व्यवस्था भी मुनासिब है और सन् ६२ तक जो अन्तरिम जिला परिषदों की आयु बढ़ा दी गयी है, यह आशा की जाती है कि सन् ६२ का खात्मा होते-होते जिला परिषद् बन जायंगे और जो अधिनियम यहां से पास होकर जायगा उसके अनुसार काम होने लगेगा।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूं और मंत्री जी को उसके लिये बधाई देता हूं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत विधेयक के सिलसिले में जो संशोधन आये हैं और जो भाषण हुये हैं, उन्हीं के सिलसिले में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। यह सही है कि यह विधेयक शासन की दो इकाइयों से सम्बन्ध रखता है। एक तो गांव सभाओं का संगठन जो आज विकास खंड के नाम पर है उसका नाम क्षेत्र समिति रखा गया है और दूसरे उसकी बड़ी इकाई जिला परिषद् है, जो पुराना डिस्ट्रक्ट बोर्ड था। जिस ढंग से यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है और जिस उद्देश्य से यह प्रस्तुत है मुझे सन्देह है कि उस उद्देश्य का पालन इस विधेयक के द्वारा होगा नहीं। आज से १२ साल पहले जिला बोर्डों का चुनाव हुआ था और उसके बाद आज तक डायरेक्ट चुनाव उनका नहीं हो सका, इनडायरेक्ट चुनाव ही होता रहा। आज भी जो मंत्री जी ने इस सदन को सचेत किया उसमें यह कहा कि इसके आधे हिस्से का चुनाव होगा और आधे का नहीं होगा। इसलिये नहीं होगा कि अभी पिछली जनवरी में ग्राम सभाओं का चुनाव हुआ है और १९६२ की फरवरी के

[श्री ब्रजनारायण तिवारी]

अन्त तक विधान सभा और लोक सभाओं के चुनाव होने वाले हैं। इस बीच में बालिग मताधिकार के आधार पर जो विधेयक में प्राविजन है जिला बोर्डों के चुनाव सरकार कराने नहीं जा रही है, इसीलिये अन्तरिम जिला परिषद् विधेयक में कुछ परिवर्तन कर दिये गये हैं और उसके आधार पर नये चुनाव होने जा रहे हैं।

अधिष्ठाता महोदय, पहली आपत्ति तो मेरी यह है कि विकास खंडों का परिसीमन इतना गलत है कि एक कोने का आदमी विकास खंड तक पहुंच नहीं पाता है। यदि सरकार १२ साल तक जिला बोर्डों का चुनाव नहीं करा सकी और आज भी तैयार नहीं है कि विधिवत जिला बोर्डों की स्थापना हो तो कोई कारण नहीं है कि एक बार फिर इस पर सदन के सदस्य विचार करें कि जो विकास समितियां बनी हैं जिनसे हम आशा रखते हैं और हमें विकास के लिये मार्ग दर्शन मिलता है, सहायता मिलती है आया उसके क्षेत्र ठीक बने हैं या नहीं। विकास खंड जो बने हैं वह गलत बने हैं। उनका कोई कंसोलिडेटेड एरिया नहीं है बल्कि अस्त व्यस्त हैं। मालूम नहीं कैसे बने हैं और सरकार आज तक संशोधन नहीं कर सकी।

श्रीमन्, मेरा सुझाव है कि सरकार जिस तरह से इसको टालना चाहती है इसको टाले नहीं बल्कि इसमें जो खामियां हैं, कमियां हैं उनके लिये एक समिति के सुपुर्द करे। इसमें जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। जब १२ साल तक डेमोक्रेसी को कोई खतरा नहीं हुआ तो अब कोई बात नहीं है। साल भर में सारा नक्शा सामने आ जाय। इसके क्षेत्र ऐसे बनें कि इसके सेंटर से प्रत्येक गांव की दूरी समान हो और विकास खंड ऐसे स्थान पर हों जहां सब लोग आसानी से पहुंच सकें।

श्रीमन्, मैं अपने जिले देवरिया की बात कहना चाहता हूं और हमारा क्षेत्र बिहार बोर्डर से लगा हुआ है। यहां विकास खंड गलत बने हुये हैं। इसके सेंटर से आस पास के गांव दूसरे ब्लाकों में हैं और कुछ गांवों की दूरी १५–२० मील तक पड़ती है। मेरा गांव तमकुही में है और हमारे यहां से ब्लाक का सेंटर १५ मील दूर पड़ता है। अगर साइकिल से जायं तो १८ मील तय करना पड़ेगा और चार-चार विकास खंडों को पार करना पड़ेगा। इधर सरकार का ध्यान नहीं है। मेरा निश्चित विश्वास है कि अगर इनका परिसीमन ठीक नहीं किया गया तो सरकार की योजना कारगर नहीं होगी।

श्रीमन्, पहले जो गलती सरकार की ओर से की गई वह यह थी कि यह किसी प्रवर समिति को सुपुर्द नहीं किया गया था। नतीजा यह हुआ कि यहां से यह कौंसिल में गया और विधान परिषद् ने सारे संशोधन करके विधान सभा में वापस कर दिया और मंत्री जी का यह कहना है कि यह बड़ा क्रान्तिकारी संशोधन है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इसको क्रान्तिकारी नहीं मानता। मैं इशारे के तौर पर निवेदन करूं। इसमें उन्होंने यह कहा कि अब वोटर भी विकास खंडों के प्रमुख पद के लिए खड़े हो सकते हैं जिनका नाम असेम्बली के निर्वाचन नामावली में हो। यह सही है कि अगर इसको आप प्रगतिशील समझते हैं तो फिर जिला बोर्ड में क्यों नहीं यह प्राविजन करते हैं कि गांव का कोई भी बालिग आदमी जिले के चेयरमैन के लिए खड़ा हो सके। मेरा यह निश्चित मत है कि जब सरकार ने इस धारा में संशोधन किया तो उसमें क्यों नहीं किया। मैं आपकी इजाजत से उसे पढ़ देना चाहता हूं। उसमें यह भी लिखा गया है कि जो प्रमुख पद पर होगा, गांव सभा का प्रधान है और वह विकास खंड का सभापति हो जाय तो वह गांव सभा का सभापति नहीं रहेगा। लेकिन अगर कोई विकास खंड का प्रमुख संयोग से जिला परिषद् का चेयरमैन हो जाय तो उसके लिए यह नियम लागू नहीं होता है। वह जिला परिषद् का चेयरमैन भी रहेगा और विकास खंड का प्रमुख भी रहेगा। लेकिन जो एक छोटे से गांव का प्रधान होता है, मुश्किल से डेढ़ या दो हजार की जन-संख्या का, उसके लिए यह प्राविजन कर दिया गया है कि अगर वह विकास खंड का प्रमुख चुन लिया गया तो वह गांव सभा का सभापति नहीं रहेगा। सरकार का राज्य छिन जायगा उसमें। लेकिन विकास खंड का प्रमुख जिला परिषद् का चेयरमैन हो तो बना रह सकता है। अगर सरकार को यह करना है कि एक आदमी एक ही पद पाये, दो पद न पाये तो कानून में एक समानता होनी चाहिए,

एकरूपता होनी चाहिए और उसी के आधार पर इसमें भी समानता होनी चाहिए। लेकिन सरकार न इस पर ध्यान नहीं दिया और जो यह सारा काम जल्दबाजी में होता है उसी का नतीजा यह है कि इसमें कई त्रुटियां हैं। मैं अब आपकी इजाजत से जो विकास खंड समिति होगी उसका निर्माण कैसे होगा, वह पढ़ना चाहता हूं—

क्षेत्र समिति की रचना—क्षेत्र समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(१) संघटक गांव सभाओं के समस्त प्रधान।

(२) खंड के भीतर आने वाली प्रत्येक टाउन एरिया कमेटी का चेयरमैन तथा प्रत्येक नोटीफाइड एरिया कमेटी का प्रेसीडेंट।

(३) ऐसी सहकारी समितियां जिनके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय खंड के भीतर होंगे और जो उन अपेक्षाओं की पूर्ति करती हों जो राज्य सरकार आज्ञा द्वारा निर्धारित करे अथवा उक्त समितियों के समूहों के इतने प्रतिनिधि जितने राज्य सरकार गजट में विज्ञापित करके निर्धारित करे, पर जो दो से कम तथा पांच से अधिक न होंगे और जो नियत रीति से चुने जायेंगे।

इसमें और भी है लेकिन बालिग आदमी को तो अधिकार है इसके सदस्य होने का और प्रमुख पद के लिए चुनाव लड़ने का, मगर एक लोक सभा का या विधान मंडल का मेम्बर प्रमुख पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता। अधिष्ठाता महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि लोक सभा के सदस्य के लिए और विधान मंडल के सदस्य के लिए प्रतिबन्ध है कि वह विकास खंड के प्रमुख नहीं हो सकते। बालिग व्यक्ति जिसका नाम निर्वाचन सूची में हो, वह गांव सभा का प्रधान भी हो सकता है। लेकिन उसी के साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि वह सदस्य तो हो सकता है विकास खंड समिति का लेकिन उसका वह चेयरमैन नहीं हो सकता है। उप-प्रमुख या प्रमुख कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे लिए तो बड़ी मुश्किल है। मैं एक गांव का प्रधान हूं। मेरा नाम निर्वाचन सूची में है। मैं यों विधान सभा के सदस्य की हैसियत से उसका मेम्बर तो रह सकता हूं लेकिन प्रधान की हैसियत से मेरा हक यह भी है कि जब प्रधान को ही वोट करना है तो मैं उस पद के लिए खड़ा भी हो सकता हूं। वोट तो करेंगे प्रधान, कोई भी बालिग आदमी पर्चा दाखिल कर दे तो प्रधानों का वोट होगा। जो मत दे सकते है वह किसी पद के लिये खड़े भी हो सकते हैं। पर इसमें यह संशोधन नहीं है। या तो यह कह दें कि जो विधान परिषद् का या विधान सभा का मेम्बर होगा वह गांव सभा या अन्य किसी सभा का सदस्य नहीं होगा क्योंकि वह पदेन सदस्य सभी का है, इसी सिलसिले में आगे जो लिखा गया है यह है कि जब कोई आदमी क्षेत्र समिति का सभापति हो जायगा तो गांव सभा का प्रधान नहीं हो सकेगा। क्यों नहीं हो सकेगा? क्या कारण है? मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि अगर कोई गांव सभा का प्रधान है और उसके कारण चुना गया क्षेत्र समिति के प्रमुख के लिये तो उसको प्रधान रहना चाहिये, क्योंकि एक छोटा सा गांव है, छोटा सा दायरा संगठन का है, जो कुछ होगा उसकी गति विधि से वह गांव सभा को अवगत रखेगा।

सरकार यह कहती है कि हम तो जिला परिषदों का संगठन विकेन्द्रीकरण करने के लिए कर रहे हैं और इसीलिये जिला परिषदों को स्थापित करने जा रहे हैं। अब उसके संगठन में जो ५ या ६ कैटेगरी के मेम्बर जिला परिषद् के होंगे उसको मैं इस सदन के सम्मुख पढ़ देना चाहता हूं। जिला परिषद् के निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

पहला, जिले के समस्त क्षेत्र समितियों के प्रमुख। अब जिले में अगर १० विकास खंड हैं या ५० विकास खंड हैं, उसके जो प्रमुख होंगे, वह जिला परिषद् के सदस्य होंगे। वह चूंकि क्षेत्र समिति का प्रधान हो गया इसलिये वह जिला परिषद् का सदस्य हो जायगा।

दूसरे वह होंगे "जो प्रत्येक क्षेत्र समिति द्वारा नियुक्त रीति से अपने सदस्यों में से चुने गये उतने व्यक्ति यदि कोई हों जिनका निर्देश राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा करे।"

श्री अधिष्ठाता---माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें, कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री ब्रजनारायण तिवारी---अब मैं नहीं समझता कि यह दुहरा राज्य क्यों है। एक तो कोई भी चाहे वह गांव सभा का प्रधान हो या साधारण मेम्बर हो वह चुनाव के द्वारा विकास खंड का प्रमुख हो सकता है और इस कारण वह जिला बोर्ड का मेम्बर हो सकता है लेकिन दूसरे जो मेम्बर होंगे वह उन्हीं क्षेत्र समितियों के मेम्बर हों और सरकार जो नियम तय करे और जो व्यवस्था करे और जो संख्या नियत करे वह अपने में से चुनकर भेजेगी। मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह के मेम्बरों का चुनाव किस तरह से होगा। इसके लिये क्यों नहीं अधिकार दिया गया है कि इसके जरिये, समिति के सदस्य ही नहीं, बल्कि प्रत्येक बालिग भी उम्मीदवार हो सकेंगे, जिसके लिये स्पष्ट व्यवस्था इस विधेयक में नहीं है। हमें शंका है कि सरकार अपने हाथ में यह अधिकार रखना चाहती है कि जब साधारण चुनाव द्वारा किसी जिले की जिला परिषद् के सदस्य बहुमत में सरकारी राय के खिलाफ हो जायंगे तो फिर उसको हटाने के लिये अपने हाथ में सत्ता ग्रहण करने के लिये यह एक नई धारा १८ (२) इसमें जोड़ी गई है जिसके मुताबिक सरकार की जब तबियत चाहेगी वह चुनाव होने के बाद अपने नियम तय करेगी और उसकी मेम्बरशिप तय करेगी और अपना बहुमत परिषद् में कर लेगी।

तीसरे प्रकार के मेम्बर वह होंगे जो जिले में जितनी नगरपालिका या टाउन एरिया या नोटिफाइड एरिया होंगे उनके चेयरमैन होंगे। आगे चलने के बाद एक सदस्य और होगा जो ऐसी संस्था की ओर से राज्य सरकार के द्वारा चुना जायगा जो समाजोत्थान का कार्य करती रही हों। बाकी मेम्बर और होंगे जो प्रत्येक खंड अथवा खंड के समुदाय द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित उतने व्यक्ति जितने राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित करे। यहां धारा १८ की उपधारा ६ के मुताबिक जो निर्वाचन होने वाले हैं उनके लिये माननीय मंत्री जी ने कहा कि अभी समय नहीं है कि उनका निर्वाचन हो सके। आगे लिखा हुआ है कि धारा ६ के मुताबिक मेम्बर कितने होंगे। यह लिखा है कि "प्रथम प्रतिबन्ध यह है कि खंड ७ और ६ के अधीन निर्वाचित किये जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या यथा संभव खंड १ व २ के अधीन सदस्यों की कुल संख्या से कम नहीं होगी।"

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक प्रकार के विकास खंड के प्रमुख होंगे और दूसरे मेम्बर वह होंगे जो विकास खंड के सदस्यों द्वारा सरकार के नियम के मुताबिक चुने जायंगे। इन दोनों को मिला कर जितनी संख्या होगी उतने मेम्बरों का निर्वाचन बालिग मताधिकार के आधार पर होगा। अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार आधे मेम्बरों का चुनाव नहीं करने जा रही है तो फिर इन एक बटा चार मेम्बरों का चुनाव क्यों करने जा रही है? क्या इस चुनाव के बिना आपका कुछ काम रुका हुआ है?

इसलिये मैं आपके द्वारा इस सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय जिला परिषदें जो बनाई जा रही हैं वे इस विधेयक के पास होने के बाद उसी रूप में बदल जायंगी। इसमें कोई कठिनाई नहीं है जैसा कि इस विधेयक में प्राविजन है और आगे चल कर जैसा जोड़ा गया है। मैं इस सिद्धान्त का विरोध करना चाहता हूं। यह कौन सा जनतंत्र है या कौन सा प्रजातन्त्र है कि जिला परिषद् के तीन बटा चार मेम्बरों का चुनाव न हो और बाकी एक बटा चार सदस्यों का चुनाव किया जाय? इस आधार पर मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री इसको फिर से इस प्रकार बनायें कि जो इसमें खामियां हैं उनको बुनियादी तौर पर सोचा जा सके, क्योंकि मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि सरकार की ऐसी नीयत नहीं है कि इस देश में डेमोक्रेसी फूले फले नहीं और जनतंत्र यहां पर मजबूत न हो। अगर सरकार की ऐसी भावना है तो उसको जल्दी में कोई काम नहीं करना चाहिये। बेहतर यह होगा कि फिर से इस पर गौर किया जाय। अगर पहले चूक गये तो आज भी समय है और आज भी उन खामियों को दूर किया जा सकता है।

मैं सरकार को इसके लिये बधाई देता हूं कि अब अविश्वास का प्रस्ताव रखने के लिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन के खिलाफ बहुमत की व्यवस्था कर दी गई है लेकिन इसके अन्दर जो खामियां हैं उनकी ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। बजट बनाने के बारे में कहा गया कि बजट बनाने का अधिकार होगा। मुझे दुःख है कि बजट बनाने का काम गांव सभा भी करती है। बजट का काम क्षेत्र समिति भी करती है। बजट का काम प्रान्तीय सरकार और केन्द्रीय सरकार भी करती है किन्तु मेरा निवेदन यह है कि टैक्स एक ही तरह का लगना चाहिये। टैक्स लगाने के लिये खर्चे का बजट बनाया जाता है लेकिन खर्चे का बजट बनाने के बाद आमदनी का भी बजट बनाना पड़ता है। और इस प्रकार कई ओर से टैक्स का बोझ जनता पर लादा जाता है, बजट बनाने में टैक्स न लगाना पड़े ऐसी बात नहीं है। तो आज की स्थिति ऐसी नहीं है कि जनता आपके कर भार को वहन कर सके। हम लोग गांव के निवासी हैं और घूमने जाते हैं तो ऐसा सुनने में मिलता है। जब कभी गांव सभा की मीटिंग होती है तो लोग उसमें आते नहीं, दिलचस्पी नहीं लेते और सेक्रेटरी के जरिये अधिकांश बजट पास होता है और जो टैक्स गांव वालों पर लगता है वह केवल सेक्रेटरी ही जानता है, सभापति या मेम्बरों तक को उसकी जानकारी नहीं होती।

मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि जो आप टैक्स लगाने का अधिकार क्षेत्र समितियों को दे रहे हैं, आज आप की जनता इन तमाम टैक्सों को सहन करने योग्य नहीं है। इसके स्थान पर सरकार को तो अपनी आमदनी में से कुछ भाग गांव सभा, क्षेत्र समिति और जिला परिषद् को देना चाहिये। अगर यह विषयांतर न हो तो निवेदन करूंगा कि इस सरकार ने सारे प्रदेश में लोगों को घर बनाने के लिये कोयले का प्रबन्ध नहीं किया है। हरे पेड़ काटने पर प्रतिबन्ध है। चिमनी से ईंट मिल नहीं पाती और कोयले और लकड़ी की बनी ईंटों में भी अन्तर होता है। उनकी कीमतों में बहुत अन्तर होता है। तो सरकार कोयला देगी नहीं, हरा पेड़ काटने नहीं देगी, और अगर गांव का किसान किसी प्रकार अपनी ईंट को पका ले, भट्ठा लगा ले अपना घर बनाने के लिये, कुंवा बनाने के लिये, हरिजनों के किसी काम के लिये या सिंचाई के साधन बढ़ाने के लिये, तो सरकार के कर्मचारी उस पर पहुंच जायंगे और जिला परिषद् की ओर से रिपोर्ट कर दी जायगी टैक्स देनेके लिये कि तुमने भट्ठा लगा लिया इसलिए तुम टैक्स दो। चाहे कोई काम करना हो, लेकिन टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स लेने का अधिकार उस सरकार को है जो जनता की, किसानों की कुछ मदद करे। मेरी यह निश्चित धारणा है कि यह सरकार जनता की किसी प्रकार की मदद नहीं कर रही है बल्कि उसका इरादा केवल लोगों पर टैक्स लगाने का और टैक्स वसूल करने का है। सरकार का मंशा यह है कि अगर कम दाम में आप ईंट पका कर घर बनाना चाहते हैं तो न बना सकें, बल्कि मजबूर होकर चिमनी की ईंट खरीदें और सरकार को अधिक से अधिक पैसा दें। यह काम सरकार आम लोगों से कराना चाहती है। तो मैं चाहूंगा कि जो टैक्स लगाने की व्यवस्था है उसे हटा दिया जाय।

जहांतक विकास खंडों का सवाल है, मैं आप से निवेदन करूंगा कि यह विकास खंड तो बने हुये हैं लेकिन उनकी गतिविधि विनाश खंड की है। लोग ऐसा ही कहते हैं। इसका कारण यह है कि पानी पीने के लिये जो पम्प की व्यवस्था है उसे अगर कोई हरिजन लगाना चाहता है तो जब तक वह उसका आधा हिस्सा न जमा करेगा तब तक उसके दरवाजे पर पम्प नहीं लगेगा। गांव में जो भले आदमी हैं, पैसे वाले हैं, वे इस विकास से अवश्य लाभान्वित होते हैं। वे सोचते हैं कि भले ही आधा पैसा देना पड़े लेकिन हम को पम्प मिल जायगा और यही आज हो रहा है। अगर किसी गांव में आपको चार पम्प आधे दाम लेकर देना है तो उससे अच्छा है कि आप केवल दो हैंड पम्प हरिजनों के नाम पर, गरीबों के नाम पर असहायों के नाम पर सरकारी पैसे से वहां बना दें। अगर चार पम्पों के लिये आप आधा आधा पैसा देते हैं तो दो पम्प लगाने में ही उतना पैसा लगेगा। लेकिन यह व्यवस्था विकास के नाम पर नहीं हो रही है। विकास के मेले लगते हैं। मैंने अखबारों में पढ़ा था कि एक जिले में एक सज्जन को सर्व प्रथम विजेता होने का पुरस्कार मिला है और पंडित जवाहरलाल जी ने उनको अधिक

[श्री ब्रजनारायण तिवारी]

अन्न उत्पादन के सिलसिले में प्रथम विजेता माना है। उन्होंने बताया है कि वे एक एकड़ में १४९ मन धान पैदा किये। यह शायद २१ अप्रैल के अखबार में निकला था और उनको इनाम दिया गया। इसी प्रकार से विकास समिति आदि के मेले भी लगते हैं और उसमें विकास के कार्य दिखाये जाते हैं। इनाम भी दिये जाते हैं। मैं श्रीमन्, इस इनाम प्रथा के खिलाफ हूं। इससे कोई भला होने वाला नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस व्यवस्था को खत्म किया जाय। आज जो शो करने का ढंग है वह गलत है और उससे कोई देश का भला होने वाला नहीं है। जो वास्तविक चीज है उसे देश की जनता से छिपाने की जरूरत नहीं है। क्यों आप नकली हिसाब किताब जनता के सामने रखते हैं? सही बात को आप क्यों नहीं रखते हैं?

अधिष्ठाता महोदय, जो टैक्सों की व्यवस्था है वह ऐसी होनी चाहिये, कि टैक्स एक ही तरफ से वसूल किया जाय, चाहे वह प्रान्तीय सरकार द्वारा वसूल किया जाय या केन्द्रीय सरकार द्वारा वसूल हो। अगर चारों तरफ से टैक्स वसूल किया जायेगा तो जनता तबाह हो जायगी और फिर मजबूर होकर उसे दूसरा रास्ता ढूंढ़ना पड़ेगा।

आगे यह भी कहा गया कि हमने पंचायत राज अधिनियम में जमीन्दारी विनाश और भूमि सुधार की दृष्टि से भी संशोधन कर दिया है। यह भी कहा गया कि हमने गांव सभा और गांव समाज को एक कर दिया है। यह बड़ी खुशी की बात है किन्तु मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि इससे क्या लाभ होगा? आज जरूरत इस बात की है कि आप रेवेन्यू के अधिकार उनको दीजिये। आज जो लेखपाल का नियन्त्रण है उसको खत्म कीजिये। आज लेखपाल ही हर तरह के झगड़े की जड़ बना हुआ है, उसे खत्म कीजिये। आज उनके कारण जन-जीवन मुश्किल हो गया है।

अब श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं इस विधेयक में धारा २८ के पश्चात् जो एक नई धारा—२८ए, २८—बी, और २८—सी के रूप में बढ़ाई गई है उसको पढ़ देना चाहता हूं।

28-A(I) "The Gaon Panchayat of every Gaon Sabha shall establish a committee to be known as the Bhumi Prabandhak Samiti (Land Management Committee) to assist it in the discharge of its duties of upkeep, protection and supervision of all property vested in the Gaon Sabha under section 117 of th U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 and all other property vesting in it or coming into its possession under any other provision of that Act."

अधिष्ठाता महोदय, इसमें इसका जिक्र है इसलिये मैंने इसको पढ़ दिया। मैं जानता हूं कि यह सरकार कहती है कि हम गरीबों के रक्षक हैं, मगर यह सरकार गरीबों की नहीं है। इस सरकार के ऊपर आज भी उन लोगों का नियन्त्रण है जो अच्छी हैसियत वाले लोग हैं। इसमें, श्रीमन्, यह कहा गया है कि गांव सभाओं की जो सम्पति होगी उसका इन्तजाम लैंड मैनेजमेन्ट कमेटी करेगी। जिसका नाम पहले गांव समाज था, उसको गांव सभा में निहित कर रहे हैं। आपके कहने का मतलब यह है कि गांव सभा में ही उसका एक अंग होगा जिसका नाम गांव समाज न होकर भूमि प्रबन्धक समिति होगा। उससे जो आमदनी होगी वह गांव सभा की होगी। जमीन्दारी टूटने से पहले खतौनी के खाने में सार्वजनिक सम्पत्ति की शर्त नहीं लिखी गई थी। परम्परागत जिसको मान लें, वही होती थी। उसके बाद जिस प्रकार से जमीन्दार लोगों ने गांव समाज की सम्पत्ति को बेंचा, विक्रय किया उसको बचाने के लिये सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। जमीन्दारी अबालीशन ऐक्ट की धारा कहती है है कि सार्वजनिक भूमि पर किसी व्यक्ति को सीरदारी राइट नहीं होगा, लेकिन जब सार्वजनिक भूमि की परिभाषा नहीं है तो वह उसमें आता ही नहीं। एक रोज मन्त्री जी ने प्रश्न के उत्तर में कहा था कि जो भूमि का मालिक होगा वह उसपर बाजार लगवा सकता है,

टैक्स वसूल कर सकता है, चाहे वह मेला बैलों का हो या आदमियों का । अगर कोई काश्तकार अपनी भूमि को बटाई पर दे दे, रेहन कर दे, किसी के कब्जे में उठा दे तो वह गांव समाज के द्वारा बेदखल होगा, उसको भूमि उठाने का अधिकार नहीं है, लेकिन अगर भूमिधर मकान बनाकर किराये पर उठा दे तो क्या वह अपराध नहीं है? जो किसी भूमि का सार्वजनिक उपयोग करता है, मेले बाजार लगवाता है, उस भूमि को कृषि के लिये तथा बागबानी और पशुपालन के किस उपयोग में लाता है तो उसपर क्यों आप उसको अधिकार प्रदान करते हैं? मेले का इन्तजाम तो गांव सभा करती है लेकिन अगर किसी की जमीन में मेला लगता है तो न गांव सभा और न विकास खंड ही उसका उत्तरदायी है।

हमारे क्षेत्र में कुबेरनाथ का मेला लगता है, जोकि पुराना ऐतिहासिक स्थान है। उसमें कुछ भूमि गांव सभा की और कुछ निजी काश्तकारों की और कुछ राजा पडरौना की है जिनकी जमींदारी खत्म हो गई, लेकिन मेले में साये की दृष्टि से उन्होंने पेड़ लगा रखे हैं, इसलिये वह बागदार हैं, और बागदार हैं तो भूमिधर हैं। १० रोज तक वहां मेला लगता है। उसका इन्तजाम चाहे तो गांव सभा करे, जिला परिषद् करे, क्षेत्र समिति करे, लेकिन उस भूमि की क्या व्यवस्था होगी जिसका टैक्स वह वसूल न कर सकेगी? इसलिये जरूरी नहीं है कि इस संशोधन से लोगों की समस्या हल हो जाय। इसके लिये जरूरी था कि मूलभूत जो जमीन्दारी अबालीशन में किसानों के खिलाफ और सार्वजनिक हित के खिलाफ धारायें पड़ती हैं उनको भी संशोधित करते।

आगे आपने कहा कि हम ऐसे लोगों पर जो श्रमदान नहीं करते हैं गांव सभा को एक अधिकार दे देते हैं कि वह दो तिहाई के बहुमत से प्रस्ताव पास करके, गांव में जो लोग मैनुअल लेबर गांव समाज के उत्थान के लिये नहीं करते हैं, जो श्रमदान नहीं करना चाहते उनसे मजबूरन श्रमदान कराने के लिये इस ऐक्ट के द्वारा व्यवस्था की गई है। बड़ी मजे की बात है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या श्रमदान गांव के लोगों पर ही निर्भर है जोकि गरीब और दरिद्र हैं और जिनके पास कोई आमदनी का जरिया नहीं है? क्या निर्माण का सारा कार्य वही करें? श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उस धारा को पढ़ना चाहता हूं—

19-A(1) "A Gaon Panchayat may by a resolution passed by a majority of not less than two thirds of its members for the time being direct in respect of any work of general public utility prescribed by rule and meant exclusively for the benefit of the Gaon Sabha which the Gaon Panchayat proposes to undertake, that such work shall be done or constructed with manual labour of the male members of the Gaon Sabha not above the age of 45 years each such member being required to render such labour in relation to the work for such number of days as the Gaon Panchayat may determine:

Provided that such compulsory labour shall not—

(a) exceed 96 hours in a year, or

(b) extend to more than 48 days in a year or eight hours on any day."

इसमें लिखा हुआ है कि एक साल में ९६ घंटे तक किसी से श्रमदान लिया जा सकता है या ४८ दिन और प्रति दिन ८ घंटे लिया जा सकता है। किसी गांव सभा के मेम्बर अगर यह पास करें कि फलां आदमी ग्राम समाज के उत्थान के लिये श्रमदान नहीं करता है, तो दो तिहाई बहुमत से पास करके वह उससे काम ले सकते हैं। कितने घंटे काम ले सकते हैं यह मैंने अभी बता दिया। इसके आगे यह लिखा हुआ है—

(2) "The Gaon Panchayat may recover..

श्री प्रभुदयाल (जिला बस्ती)—अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, वह हिन्दी में भी बता दें।

श्री अधिष्ठाता—वह हिन्दी भी कर देंगे।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—धारा १९-ए(२) में यह लिखा हुआ है—

"(2) The Gaon Panchayat may recover as arrears of land revenue from any member of the Gaon Sabha who has not rendered in whole or part the manual labour required of him under sub-section (1), the monetary equivalent thereof on the basis of the rate of wages prevalent in the locality for such labour."

इस धारा के अनुसार गांव सभा के दो तिहाई मेम्बर बैठकर किसी भी वर्क के लिये वह प्रत्येक मेम्बर से मांग कर सकते हैं कि वह मैनुअल लेबर करे और प्रस्ताव पास करने के बाद अगर वह नहीं करता है तो गांव सभा उससे लगान की बकाया वसूली की तरह से रकम वसूल कर सकती है। और वह बकाया रकम उतनी होगी जितनी कि पहली धारा में कही गई है कि एक साल में ९६ घंटे या फिर ४८ दिन और एक दिन में ८ घंटे के हिसाब से। मैं कहना चाहता हूं कि आप इन गरीबों से तो ४८ दिन तक देश के निर्माण का कार्य ले सकते हैं लेकिन जो दूसरे बड़े-बड़े पूंजीपति और सरकारी अधिकारी हैं जो ५५ साल तक काम करने के बाद पेंशन पाते हैं उनके लिये श्रमदान की क्या व्यवस्था है? जो गांव सभा के अधिकारी होंगे या कर्मचारी होंगे या जो विकास खंड के अधिकारी होंगे या जो पंचायत सेक्रेटरी होगा वह आयेगा और गांव सभा के मेम्बरों से श्रमदान करायेगा। और वह कहेगा कि एक साल में देश के निर्माण के लिये ४८ दिन तक और ९६ घंटे श्रमदान करो, वरना तुमसे जुर्माना वसूल किया जायगा। उससे पूछा जाय कि तुमने कितने दिन की मजदूरी श्रमदान में दी है। श्रमदान अच्छी चीज है, मैं मानता हूं, किन्तु तभी जबकि सारा श्रम और धन राष्ट्र का हो, लेकिन इसमें वर्गीकरण है। लोगों की श्रमदान में रुचि नहीं है। इसमें एक नये रूप की बेगार हो गई है। हमको श्रमदान के लिये कहते हैं और दूसरों को छूट देते हैं। देहात के रहने वाले जिन लोगों के सामने कोई निश्चित पेशा नहीं है उनके लिये श्रमदान की व्यवस्था है और जो लोग निश्चित रूप से किसी काम में लगे हैं, चाहे वह सरकारी हों या दूसरे किस्म का हो, उनके लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं है। हां, नये ऐक्ट में जो रखा गया उससे सम्भव है कि कुछ लोग डर कर श्रमदान कर दें। श्रमदान से लोगों ने सड़कें बनाईं और जब सरकार से कहा गया कि इस पर पुल बनादे, तो उसके खजाने में रुपया नहीं रहा। एक साल वहां मिट्टी पड़ती है और दूसरे साल बह जाती है। गांव पंचायत के लोगों को श्रमदान का अधिकार नहीं देना चाहिये, बल्कि असेम्बली या लोक सभा का कानून होना चाहिये कि देश के प्रत्येक नागरिक को समाज की तरक्की के लिये कम से कम इतना मैनुअल लेबर या पैसा देना होगा।

(इस समय ४ बजकर १० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि श्रमदान का अधिकार बजाय गांव सभा को देने के राष्ट्रीय और प्रदेश के पैमाने पर होना चाहिये ताकि इससे प्रत्येक किस्म के लोग प्रभावित हों और तभी हमारा काम सफलता पूर्वक चल सकता है।

अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में एक अधिकार दिया गया है कर्मचारियों की गति विधि पर नियन्त्रण रखने का। इसमें यह भी है कि वह कर्मचारियों पर नियन्त्रण रख सकता है सिवाय वित्त विभाग के लोगों के। सारी गड़बड़ी तो अर्थ के मामले में होती है....

श्री अध्यक्ष—जो चीज यहां पहले पास हो चुकी है, उसपर टीका नहीं हो सकती। जो आप कह रहे हैं, वह परिषद् से लौट कर जो आया है, उसमें है?

श्री ब्रजनारायण तिवारी—जी। वह कहते हैं कि जिला परिषद् के प्रत्येक कर्मचारी पर उसका नियन्त्रण होगा, लेकिन वित्त विभाग के अधिकारी उससे बरी रहेंगे। उसमें यह

भी है कि कैरेक्टर रोल में ऐंट्री कर सकते हैं लेकिन जहां एक अधिकार छीना गया है वहां विकास स्तर पर लिखा गया है कि विकास खंड अधिकारियों पर पूरी विकास समिति का नियन्त्रण हो सकता है, अब उसे प्रमुख के लिये सीमित कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि एक समाज का भय एक व्यक्ति के भय से अधिक होता है। क्षेत्र समिति के तमाम सदस्यों को खुश करना विकास खंड के कर्मचारियों के लिये इतना आसान नहीं था जितना कि एक व्यक्ति को प्रभावित करना और उसको खुश करना होगा और इस प्रकार से मनमाना काम करा सकना होगा। इसलिये मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि पहले जो विधेयक में रखा गया था वह अच्छा था लेकिन इसमें जो आपने संशोधन कर दिया है, वह ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, पहले जो कोआपरेटिव का संगठन था उसके मेम्बर भी इनमें लिये जाते थे और अलग-अलग आर्गेनाईजेशन्स से डायरेक्टली प्रतिनिधि आते थे। लेकिन अब ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि तमाम कोआपरेटिव संगठन के चुने हुये मेम्बर होंगे—विकास खंडों में दो से पांच तक और जिला परिषद् में पांच से आठ तक। अध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित इस राय का हूं कि अगर आपको सहकारिता को बढ़ाना है तो उसका भी प्रभाव इन क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों पर होना चाहिये। अगर सारे जिले में सहकारिता है तो उसका प्रभाव भी जिला परिषदों और क्षेत्र समितियों पर पड़ना चाहिये। इसमें सरकार का कोई नुकसान नहीं था लेकिन सरकार ने जो पहले अधिकार रखे थे उनको भी कम कर दिया है। मैं समझता हूं कि सरकार को भय है और उस भय को सामने रख कर सरकार ऐसा सोचती है कि जिला परिषद, क्षेत्र समिति और गांव सभा के अधिकार को सीमित ही रखा जाय ताकि उसका स्थायी नियन्त्रण उनके ऊपर रख सके और जिस प्रकार से सरकार चाहे उनको चलाती रहे।

इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि इसमें जल्दबाजी न की जाय क्योंकि जो चुनाव सरकार इस ऐक्ट के द्वारा करने जा रही है वह केवल चौथाई मेम्बरों का ही होगा। बाकी तीन चौथाई का बाकी रह जायगा। इसलिये इस समय इसको पास करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें जो संशोधन आये हैं उनको फिर से प्रवर समिति को भेजा जाय या किसी दूसरी व्यवस्था के द्वारा विचार करने के बाद इसको पारित किया जाय।

*श्री कैलाशप्रकाश—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार प्रकट किये उनको मैंने सुना। बहुत विचार तो मूल विधेयक की धाराओं पर थे, उस बिल पर जोकि इस सदन से पारित हो चुका था, जो धारायें इस सदन से पारित हो चुकी थीं। उनपर जो विचार व्यक्त किये गये हैं या उनसे विभिन्नता प्रदर्शित की गई है उसके सम्बन्ध में मुझे कुछ निवेदन करना नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—जो व्यक्ति बोले हैं उनके भाषण को आप ने पढ़ने की भी कोशिश की है? और अगर की है तो उस को समझ कर उत्तर देना चाहिये।

श्री कैलाशप्रकाश—अवस्थी जी को मालूम होना चाहिये कि पढ़ने की कोशिश तो नहीं की, लेकिन सुनने की कोशिश की है और जो कहा गया है उसको नोट करने की कोशिश भी की है इसलिये उनको इस विषय में चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—आपने तो यह.....

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य आपस में इस तरह से बात न करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कैलाशप्रकाश—श्रीमन्, इस समय सदन के समक्ष विशेषकर प्रश्न यह है कि जो संशोधन विधान परिषद् से इस विधेयक में होकर आये हैं जो यहां से गया था, वह स्वीकार हैं, अच्छे हैं या उनमें कोई खामी है। श्रीमन्, एक माननीय सदस्य ने यह बात कही कि पंचायतों को यह अधिकार नहीं होना चाहिये कि वह अपने यहां के निवासियों को एक प्रस्ताव पारित करके यह जिम्मेदारी दें कि गांव की तरक्की के लिये वह श्रमदान कर सकें। हो सकता है कि इस सम्बन्ध में विचारों में विभिन्नता हो लेकिन मैंने प्रारम्भ में ही कहा था कि हमारा देश गरीब है, विशेषकर यह प्रदेश, बहुत काम हमें तरक्की के करने हैं, विज्ञान का जमाना है, दुनिया से हमारा सम्बन्ध है। जीवन के सुख और आराम की सामग्री और साधन काफी बढ़ गये हैं। उनके लिये जितना धन जुटाने की आवश्यकता है वह धन अपने उत्पादन को देखते हुये हम जुटा नहीं सकते। रुपया उस तादाद में अपने यहां नहीं है क्योंकि उत्पादन बहुत कम है, वह बढ़ता जायगा तो रुपया भी मिलता जायगा। लेकिन उत्पादन बढ़ाने के लिये भी पूंजी की आवश्यकता है, बिना पूंजी के और बिना साधनों के उत्पादन बढ़ता नहीं है। श्रीमन, बहुत सा काम जो धन के द्वारा किया जाता है उसमें श्रम लगता है। अपनी जगह यह बात सही है कि गांवों में आज लोग उस दर से टैक्स नहीं दे सकते हैं जिस दर से टैक्स लेकर तरक्की करने की जरूरत है किन्तु यह बात स्पष्ट है कि यदि धन नहीं दे सकते हैं तो अपना वक्त दे सकते हैं और मैंने शुरू में निवेदन किया था कि यह वक्त देने का या श्रम देने का आन्दोलन अपने प्रदेश में बहुत अच्छे तरीके से चला, गांव-गांव में बहुत उन्नति हुई। किन्तु कुछ चन्द लोगों के कारण, जिनकी वृत्ति अच्छे काम में भी रोड़ा अटकाने की होती है, उस काम में बाधा हुई और उनको ठेस पहुंची। जिन माननीय सदस्यों को इस श्रमदान के अभियान में हिस्सा लेने का अनुभव है उन्होंने इस बात की जरूरत अवश्य महसूस की होगी कि ये चन्द लोग जो इस तरीके का व्यवहार करते हैं उनके लिये किसी न किसी कानूनी पाबन्दी की जरूरत है। इसी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिये इस विधेयक के द्वारा पंचायतराज में यह संशोधन किया गया।

श्रीमन्, इस संशोधन के साथ-साथ उनको अपरिमित अधिकार नहीं हैं। इस बात को निर्धारित कर दिया गया है कि साल में निश्चित घंटे से अधिक वह काम नहीं ले सकते हैं और श्रीमन्, जिस व्यक्ति के पास समय नहीं है या जो व्यक्ति अपने अच्छे कारोबार में लगा हुआ है या जिस व्यक्ति की आमदनी है या जो व्यक्ति अपने समय को और अच्छे काम में इस्तेमाल कर सकता है, जबर्दस्ती उस व्यक्ति से समय लेने की आवश्यकता नहीं है। वह व्यक्ति, जो चालू रेट हो, उसके हिसाब से अपना धन दे सकता है। मैं समझता हूं कि इसमें किसी तरीके से भी कोई बुराई नहीं है। हां, उनके खयाल से इसमें बुराई हो सकती है जो पंचायतों के प्रति वह दृष्टिकोण नहीं रखते हैं। हमारा दृष्टिकोण पंचायतों के प्रति यह है, यह जानते हुए भी और यह मानते हुए भी कि पंचायतों में कुछ खामियां हैं, उनके प्रशासन में कुछ कमियां हैं, हम पंचायतों को स्थापित करना चाहते हैं, उनको सुदृढ़ और मजबूत बनाना चाहते हैं और उनको इस तरीके का एक यंत्र बनाना चाहते हैं कि वह वास्तव में गांव की सेवा कर सकें। कुछ कमियों को देखकर, कुछ अनुत्तरदायित्व को देखकर, कुछ गड़बड़ियों को देखकर डरने की आवश्यकता नहीं है। हम डरना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारी निश्चित धारणा यह है कि इस देश में और प्रदेश में प्रजातंत्र को कायम करने के लिये ये पंचायतें बुनियाद हैं। इन पंचायतों को जब तक सुदृढ़ और कार्य कुशल नहीं बनाएंगे, और कार्यक्षम नहीं बनायेंगे, तब तक प्रजातंत्र की जड़ें मजबूत नहीं हो सकतीं। इसलिये जो भी कमियां हैं उनको हम दूर करेंगे।

दूसरी बात यह कही गई है कि जो अन्तरिम काल की व्यवस्था है कि जिला परिषद् के बजाय अन्तरिम जिला परिषद् काम करे, वह ठीक नहीं है। दावा इस तरफ से भी यह नहीं किया गया कि अन्तरिम जिला परिषद् कोई जिला परिषद् से अच्छी है। लेकिन च्वाइस दो चीजों में है यह बात मानने के बाद कि जिला परिषद् के चुनाव बालिग मताधिकार पर नहीं हो सकते जिला परिषद् जनरल एलेक्शन से पहले नहीं बनेगी। यह बात मानने के बाद दो चीजों में छांट

रह जाती है। एक तो यह कि अपने प्रदेश की हालत इसी तरह से चलने दें, पंचायतें काम करती रहें अपने स्वतंत्र रूप से और अन्तरिम जिला परिषद् काम करती रहें अपने स्वतंत्र रूप से, आपस में उनका कोई सम्बन्ध न हो। या तो पंचायती राज की कोई चीज अपने प्रदेश में न हो और तब तक के लिये रुके रहें जब तक जिला परिषद् बनें जिनकी अवधि दिसम्बर, सन् १९६२ है। एक तो यह चीज है।

दूसरी चीज यह है कि इस विधेयक का जितना हिस्सा कार्यान्वित हो सकता है उसको हम कार्यान्वित कर दें क्षेत्र समितियां बना दें और अन्तरिम जिला परिषद् से उनका सम्बन्ध जोड़ दें। यह दो च्वाइस हैं। इन दोनों में मैं समझता हूं माननीय सदस्य इस बात को पसन्द करेंगे कि जो पिछली बात है वह ज्यादा अच्छी है क्योंकि वह आज की स्थिति से एक कदम आगे अवश्य जाती है। क्षेत्र समितियां स्थापित हो जायंगी और उनके द्वारा जो विकास का कार्य जनता के उत्साह के साथ होने वाला है वह हो सके। अब श्रीमन्, इसमें तो प्रारम्भ से हमारे और उस तरफ के बैठने वाले सदस्यों के बीच मतभेद रहा है। चर्चा उसपर काफी हो चुकी है इसलिये बारबार दोहराने से कोई फायदा नहीं है। हम इस बात को स्वीकार नहीं करते कि अन्तरिम जिला परिषदें कोई प्रजातांत्रिक ढंग नहीं रखती है, और विशेष कर जब कि अध्यक्ष का चुनाव उनके सदस्यों के द्वारा कराने जा रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा मतभेद हो सकता है और कहा जा सकता है, जैसी एक अंग्रेजी की उक्ति है, "Let us agree to differ" इसलिये उस पर मैं अधिक चर्चा नहीं करूंगा। किन्तु जैसा मैंने पहले कहा कि सम्भवतः इस बात में कोई मतभेद नहीं होगा कि क्षेत्र समितियों को स्थापित करके एक ओर उनका पंचायतों से सम्बन्ध जोड़ें और दूसरी ओर अन्तरिम जिला परिषद् से सम्बन्ध जोड़ दें और जनरल एलेक्शन से पहले इस बात को कार्यान्वित कर दें तो पंचायती राज की दशा में हम कुछ कदम आगे बढ़ते हैं। इसलिये यह व्यवस्था इस विधेयक में रखी गई है।

श्रीमन्, और सब बातों के ऊपर मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं अतः उस सम्बन्ध में कोई विशेष बात नहीं कहनी है। जो संशोधन सामने हैं, वह जब विचारार्थ आयेंगे, तो जो बात कहना आवश्यक होगा उस समय कहूंगा। मैं आशा करता हूं, सदन मेरे प्रस्ताव को---कि विधान परिषद् द्वारा जो संशोधन विधेयक में आये हैं उन पर विचार करे, स्वीकार करेगा।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६० में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २ में प्रस्तावित संशोधन

श्री अध्यक्ष---अब मैं एक-एक संशोधन ले लेता हूं। क्योंकि इसमें किसी ने कोई संशोधन उपस्थित नहीं किया इसलिये मैं उस पर राय लिये लेता हूं। प्रश्न यह है कि उपखंड (१२) के पश्चात् निम्नलिखित नया उपखंड (१२-क) के रूप में जोड़ दिया जायः---

(१२-क) "डिस्ट्रिक्ट बोर्ड" तथा "बोर्ड" का तात्पर्य यूनाइटेड प्राविन्सेज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ के अधीन स्थापित डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से है।

उपखंड (३०) के पश्चात् निम्नलिखित नया उपखंड (३०-क) के रूप में जोड़ दिया जायः---

(३०-क) "विधान सभा की निर्वाचक नामावली" का तात्पर्य राज्य विधान सभा के किसी निर्वाचन क्षेत्र की ऐसी निर्वाचक नामावली से है जो रिप्रेजेन्टेशन आफ दि पीपुल ऐक्ट, १९५० के उपबन्धों के अनुसार तथा अधीन तैयार की गई हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६ में प्रस्तावित संशोधन

श्री अध्यक्ष---इसमें श्री अवस्थी जी ने एक संशोधन उपस्थित किया है। वैसे तो नियम में यह दिया हुआ है कि जब कोई संशोधन स्वीकृत न हो तो फिर दूसरा पेश किया जा सकता है। तो उसका अगर ऐसा अर्थ मैं लगाऊं तो उसके मुताबिक मुझे दो दफा मत लेना पड़ेगा। इसलिये इस तरह की चीज मैं नहीं करूंगा क्योंकि मुझे अधिकार है कि जिस तरह से उनको पेश करना हो उस तरह से पेश करने की इजाजत दूं। इसलिये मैं संशोधन ले लेता हूं और जो संशोधन इस विषय में हैं उन सब को उपस्थित कर के मैं एक साथ राय ले लूंगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं आपकी रूलिंग जरा समझ नहीं पाया।

श्री अध्यक्ष---मैंने कहा कि जो तरीका आमतौर पर होता है संशोधनों के बारे में वही तरीका मैं इसमें भी चलाऊंगा। ऐसा नहीं कि पहले मैं राय ले लूं कि इस संशोधन को स्वीकार करते हैं या नहीं और दोबारा फिर राय लूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी---लेकिन मुझे जवाब देने का तो मौका मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष---जो कायदे के अनुसार है वह तो अधिकार आपको है ही।

***श्री मोतीलाल अवस्थी**---मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (१) के भाग (३) की पंक्ति १ में शब्द "समितियों" और "जिनके" के बीच शब्द "समूहों" बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---आप संक्षेप में ही कहें क्योंकि जितने संशोधन हैं ये तीन रोज के अन्दर खत्म होने हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी---जी हां, संक्षेप में ही कहूंगा। मेरा इसमें एक संशोधन और है। कहिये तो उसको भी शामिल कर लूं ? उससे कुछ कहने में सुविधा होगी।

श्री अध्यक्ष---जी हां, पेश कर दीजिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी---दूसरा संशोधन यह है कि खंड ६ के उपखंड (१) के भाग (३) की पंक्ति ५ में शब्द "तथा पांच से अधिक" निकाल दिये जायं।

इन दो संशोधनों को रख कर मेरी मंशा सिर्फ यह है कि खंड के अन्दर जितनी समितियां हों उनको एक समूह रूप सरकार मान ले और उसके बाद जो संख्या सरकार ने रखी है कि २ से कम न हों और ५ से अधिक न हों तो मैं चाहता हूं कि २ प्रतिनिधि का मौका उनको दिया जाय और ५ की बात हटा दी जाय। मुझे यह कहने का अवसर इसलिये है कि जैसा मंत्री जी ने अभी बताया सहकारी समितियों के वर्गीकरण में सरकार को दिक्कत दिखाई पड़ी और यह चाहा कि उनको एक समूह में लेकर उनका एक नाम दे दिया जाय। यह सही है कि सहकारी समितियां अनेक नामों से प्रचलित हैं। जैसे साधन सहकारी समितियां वगैरह तो उन को एक रूप में मानने में सुविधा होगी। लेकिन जो मूल धारा इसके बारे में थी उसमें यह था कि दो सदस्य चुने जा सकेंगे और इसको मैं उचित समझता था कि इसके लिये स्वीकृति प्रदान की जाय। लेकिन अब दो से पांच की बात कही गई है। मैं नहीं समझ पाया कि संख्या बढ़ाने का कारण क्या है ? सदन ने जो राय कायम की थी उसको क्यों बदल दे और ज्यादा संख्या बढ़ाने से क्षेत्र समितियां काफी बड़ी हो जायंगी और किसी किसी क्षेत्र समिति में तो १०० से भी अधिक सदस्य हो जायेंगे। ऐसी हालत में सहकारी समितियों का एक आध प्रतिनिधि होना ही उचित मालूम पड़ता है। इस आधार पर मैंने अपना साधारण

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सा संशोधन रखा है और आशा है कि सरकार इसको स्वीकार कर लेगी कि दो से ५ सदस्य न बढ़ाये जायं बल्कि दो तक ही रखे जायं और समितियों को समूह मान लिया जाय जिससे चुनाव में आसानी हो।

*श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (१) के भाग (३) की पंक्ति ३ के शब्द "के समूहों" से लेकर अन्तिम पंक्ति के शब्द "चुने जायंगे" तक निकाल कर उनके स्थान पर शब्द "का एक प्रतिनिधि" रख दिये जायं।

अगर ऐसा हो जायगा श्रीमन्, तो वह इस प्रकार होगा कि "ऐसी सहकारी समितियां जिनके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय खंड के भीतर हों और जो उन अपेक्षाओं की पूर्ति करती हों, जो राज्य सरकार आज्ञा द्वारा निर्धारित करें अथवा उक्त समितियों का एक प्रतिनिधि।" सरकार जो अपने पास प्रतिनिधियों की संख्या निर्धारित करने के अधिकार ले रही है वह इस संशोधन से खत्म होते हैं और क्षेत्र समितियों की संख्या बढ़ जायगी जैसा कि माननीय अवस्थी जी कह रहे थे वह भी कम हो जाती है। ऐसी सूरत में जो समिति हों चाहे एक हो या हजार हों, यह नहीं दिया गया है कि इतनी समितियां हों, उनका प्रतिनिधि होगा। ऐसी सूरत में जो इसी के २ के (३) में दिया गया है कि खंड संघों तथा सहकारी क्रय विक्रय समितियों का एक प्रतिनिधि रखा गया है उसी के आधार पर इसमें भी रख दिया जाय तो ठीक होगा और समिति का विस्तार अधिक नहीं होगा और ठीक होगा।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (१) के प्रस्तावित भाग (३) की पंक्ति ५ के शब्द "कम तथा पांच से" निकाल दिये जायं। मान्यवर, इसको देखा जाय तो अब इसका रूप यों हो जायगा कि दो की संख्या रहेगी। दो से ज्यादा नहीं हो सकते। मान्यवर, यह जरूरी है क्योंकि अगर इस तरीके से सदस्यों की संख्या बहुत बढ़ा दी जायगी तो वह ठीक नहीं होगा। पहले जैसे दो सदस्यों तक रखने के लिये था वही मंशा है कि दो से ज्यादा न रखे जायं। समितियां चाहे जितनी भी हों लेकिन उनके सदस्य दो ही आवें। वह चाहे चुनाव के जरिये आवें या सरकार जिस तरह चाहे कायदा बनाकर के लावे, लेकिन दो से ज्यादा न आवें। इतना संशोधन कर देने से उनकी तादाद घटेगी नहीं और वह उचित होगा।

श्री अध्यक्ष—माननीय स्वायत्त शासन मंत्री, आप तीनों सदस्यों के संशोधनों के बारे में कह दें।

*श्री कैलाशप्रकाश—श्रीमन्, यह जो संशोधन उपस्थित किये गये हैं इनमें से किसी को भी स्वीकार करना जरूरी नहीं है। एक संशोधन का तो यह आशय है कि समितियों के बाद एक शब्द बढ़ा दिया जाय समूह। उसकी कोई आवश्यकता ही महसूस नहीं होती है। वह जरूरी नहीं है। बल्कि उसके बढ़ा देने से एक परेशानी पैदा हो सकती है। माननीय सदस्यों को यह बात ज्ञात होगी कि कोआपरेटिव सोसाइटीज भी हमारे समाज रचना की एक बहुत बड़ी चीज हैं, आर्थिक क्षेत्र में वह काम करती हैं और इन कोआपरेटिव सोसाइटीज का भिन्न-भिन्न रूप है, हमने किसी को वर्णित नहीं किया है। मामूली तरीके से जो किसानों के लाभ की कोआपरेटिव सोसाइटीज होती हैं वह भी कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं। जो कर्जा इत्यादि देने की कोआपरेटिव सोसाइटीज होती हैं वह भी कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं। जो उद्योग के लिये कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं वह भी कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं। जो लेबर इत्यादि के लिये कोआपरेटिव सोसाइटीज बनती हैं वह भी कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं। जो क्रयविक्रय के लिये कोआपरेटिव सोसाइटीज बनती हैं वह भी कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कैलाशप्रकाश]

जहां जहां गन्ने का बहुत काम होता है वहां गन्ने की बहुत सी कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं और इन कोआपरेटिव सोसाइटीज का जहां इस तरीके से विभिन्न वर्गीकरण है वहां एक सीमा के हिसाब से भी इनका एक वर्गीकरण है। यानी एक गांव में कोआपरेटिव सोसाइटीज होंगी और गांवों की कोआपरेटिव सोसाइटीज आपस में मिलकर एक ब्लाक कमेटी भी बनाती हैं, वह भी एक कोआपरेटिव सोसाइटी बनती है। भिन्न-भिन्न जिलों में और भिन्न-भिन्न ब्लाकों में इन कोआपरेटिव सोसाइटीज की परिस्थिति भिन्न है। यह कोआपरेटिव का आन्दोलन जिन ब्लाकों में अच्छे तरीके से नहीं चलता है वहां कोआपरेटिव सोसाइटीज की संख्या बहुत कम होगी। जहां कोआपरेटिव सोसाइटीज का आन्दोलन काफी चल रहा है और जहां आर्थिक क्षेत्र में कोआपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा काफी काम होता है, जैसे भट्ठे इत्यादि का भी काम होता है, ट्यूबवेल्स इत्यादि का भी काम होता है, मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां आर्थिक क्षेत्र में काफी काम है वहां कोआपरेटिव सोसाइटीज की या विभिन्न दर्जे की जो कोआपरेटिव सोसाइटीज बनती हैं उनकी संख्या बहुत कम होगी। इसलिये यह बात मुनासिब नहीं मालूम होती है कि समस्त प्रदेश के लिये हम एक ही संख्या नियत कर दें आवश्यकता हो सकती है इस बात के लिये कि जहां सहकारी आन्दोलन अच्छे तरीके से काम कर रहा हो वहां उनकी विभिन्न तरीके की कोआपरेटिव सोसाइटीज के लिये या विभिन्न दर्जे की यानी ब्लाक के स्तर की जो कोआपरेटिव सोसाइटीज काम कर रही हैं या गांव के स्तर पर जो काम कर रही हैं, उनको प्रतिनिधित्व दें। जो विधेयक यहां से परिषद् के समक्ष गया था उसमें हर ब्लाक में ३ प्रतिनिधि भेजने की गुंजायश थी। एक प्रतिनिधि तो खंड स्तर पर जो यूनियन के रूप में काम करती है उनका, एक मार्केटिंग सोसाइटीज का और एक सेवा सहकारी समितियों, या बहुप्रयोजन समितियों का, इस तरह से तीन प्रतिनिधि दिये गये थे। तो जो आज स्थिति कोआपरेटिव आन्दोलन की हमारे प्रदेश में है जिस का हम समर्थन करते हैं और जिसको प्रोत्साहन देना चाहते हैं उनको देखते हुए जो इस वक्त विधेयक में चीज रखी गयी है कि कम से कम २ और अधिक से अधिक ५ हों, वही सही है।

श्रीमन्, एक तर्क उधर से यह उपस्थित किया गया है कि कोआपरेटिव सोसाइटियों के मेम्बरों की संख्या बहुत नहीं होनी चाहिये। हम भी कुछ हद तक इस बात को मानते हैं कि यह जो ब्लाक कमेटियां बनें इसमें बहुत कुछ हाथ पंचायतों के मेम्बरों का रहना चाहिये क्योंकि पंचायत एक सामान्य संगठन है जो गांव की तमाम चीजों को देख सकती है, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे कल्चरल स्फीयर में हो या जिसमें भी हो वह सबको देख सकती हैं इसलिये पंचायतों के मेम्बरों का बहुमत रहना चाहिये। किन्तु माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि साधारणतया हर ब्लाक में करीब ५०, ६० और कहीं-कहीं तो उनकी संख्या सौ तक पहुंच जाती है इतने गांव होते हैं। हर गांव पंचायत का प्रधान ब्लाक कमेटी का सदस्य होगा यदि प्रधानों की संख्या अधिक से अधिक ५ भी रख दी जाय तो उनका उसमें इतना बड़ा प्रभुत्व नहीं हो जाता। इसलिये यह जो संशोधन रखे गये हैं कि केवल दो हों मुनासिब नहीं मालूम होते इसलिये इनको स्वीकार नहीं किया जा सकता।

*श्री मोतीलाल अवस्थी—अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी का जो स्पष्टीकरण सुना वह वैसा है जैसी हम आशा करते थे। उन्होंने उन कारणों को नहीं बताया कि अधिक संख्या रखकर वे क्या फायदा उठावेंगे। हम इस समर्थन में हैं कि प्रतिनिधित्व इन समितियों को मिलना चाहिये लेकिन संख्या बढ़ाकर रखने के पक्ष में नहीं हैं। उसपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मैं समझता हूं कि सरकार ने ध्यान नहीं दिया लेकिन सदन इस पर ध्यान देगा और हमारे संशोधन को पास करेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री हिम्मतसिंह—माननीय मंत्री जी ने स्पष्टीकरण करने की चेष्टा की लेकिन जितना स्पष्ट किया उतना ही गोलमाल हो गया। उन्होंने कहा कि कोई लेबर की होगी, कोई इंडस्ट्री की होगी लेकिन कौन मेम्बर होंगे, कैसे होंगे यह सारा नियम यहां सदन के सामने स्पष्ट हो जाना चाहिये था लेकिन सरकार इसको अपने हाथ में रखना चाहती है। वैसे जितने क्षेत्र के रहने वाले हैं वह सब उसके मेम्बर होंगे तो फिर इसमें अधिक संख्या बढ़ाने से कोई लाभ प्रतीत नहीं होता।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—मान्यवर, मंत्री जी ने जो स्पष्टीकरण दिया है उससे यह चीज और गोलमोल रह गयी। सरकार अपने हाथ में रखना चाहती है कि २ से ज्यादा और ५ से कम बढ़ायेगी। हम चाहते थे कि जो कुछ हो वह यहीं पर साफ हो जाता तो अच्छा होता। सहकारी समितियों से हमको भी हमदर्दी है और ज्यादातर देहात से जो सभापति चुनकर आयेंगे क्षेत्र समितियों के सदस्य, उसमें बहुत ज्यादा तादाद उनकी रहेगी जो सहकारी समितियों के सभापति होंगे। पहले उसमें साफ लिखा हुआ था कि यूनियन की हैसियत से जो ब्लाक स्तर के होंगे उसका भी एक प्रतिनिधि होगा, बाकी के दो होंगे। इस तरह से यह चीज साफ हो जाती थी इसमें कोई बात नहीं थी। अपना मन्शा यही था कि दो सदस्य रहेंगे। इससे कई फायदे होंगे। तादाद भी ज्यादा नहीं बढ़ने पायेगी तो क्षेत्र समिति सही रूप में काम करेगी। उसमें कोई ऐसा असर नहीं पड़ता जो खराब असर हो। इस तरह से गोलमाल रखने में बाहर के लोगों का असर पड़ सकता है। उसका काम भी सुचारुरूप से चलाने के लिये उसकी सदस्य संख्या कम करने का विचार है। उनको अपना काम करने का अधिकार होगा। यदि सरकार उसमें दबाव रखकर कुछ आदमियों को रखना चाहेगी तो यह रोकने की चीज है, गलत होगा। मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी इसको साफ कर दें।

श्री कैलाशप्रकाश—अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ अधिक निवेदन नहीं करना है। जो मैं पहले कह चुका हूं वही मेरा अब भी निवेदन है कि यह संशोधन स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (१) के भाग (३) की पंक्ति १ में शब्द "समितियों" और "जिनके" के बीच शब्द "समूहों" बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (१) के भाग (३) की पंक्ति ५ में शब्द "तथा पांच से अधिक" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (१) के भाग (३) की पंक्ति ३ के शब्द "के समूहों" से लेकर अन्तिम पंक्ति के शब्द "चुने जायेंगे" तक निकाल कर उनके स्थान पर शब्द "का एक प्रतिनिधि" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (१) के प्रस्तावित भाग (३) की पंक्ति ५ के शब्द "कम तथा पांच से" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

* श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (१) के पुनरांकित भाग (५) में किये गये नये संशोधन हटा दिये जायं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

एक संशोधन सरकार के द्वारा लाया गया है इसमें खंड (५) में जो इस प्रकार है कि "लोक सभा तथा राज्य विधान सभा के वे समस्त सदस्य जिनके निर्वाचन क्षेत्रों में खन्ड का कोई भाग सम्मिलित हो एवं प्रत्येक ऐसा सदस्य, यदि कोई हो, जिसके निर्वाचन क्षेत्र में कोई ग्राम्य क्षेत्र न हो पर जिसका निवास स्थान, जिला जिसमें खन्ड स्थित है, में हो और जिसमें राज्य सरकार द्वारा नियत रीति से यह अपेक्षा किये जाने पर कि जिले के किसी एक खंड को वह चुन ले, उक्त खंड को चुन लिया हो।" इसमें पहले केवल इतना ही था कि लोक सभा, राज्य विधान सभा के वे समस्त सदस्य जिनके निर्वाचन क्षेत्रों में खंड का कोई भाग सम्मिलित हो। यह क्षेत्र समिति के संगठन की बात है। इसमें एक तो सरकार ने ऐसी बात रखी कि जिसके बारे में सिद्धान्ततः विरोध विरोधी पार्टियों में और सरकार में रहा। विरोधी पार्टियों का यह कहना रहा कि क्षेत्र समिति में विधायकों को न रखा जाय और उनके रखने की कोई आवश्यकता इसलिये नहीं है कि इन स्वशासन संस्थाओं की प्रथम तथा द्वितीय इकाइयों में राजनीति का अखाड़ा न बन जाय। मैंने अपने डिस्कशन में भी, बहस के दौरान, यह बात कही थी। इस संबंध में केन्द्रीय सलाहकार समिति ने भी सरकार को यही सलाह दी थी। सदन में भी विरोधी पक्ष के लोगों की यह राय थी, लेकिन सरकार ने उसको नहीं माना और अपनी राय पर ही जमी रही। अब जब वह संशोधन लाई है तो हम आशा करते थे कि वे जरूर किसी न किसी तथ्य पर पहुंचेगी, किन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस सरकार ने उन सभी सुझाओं को नजरअन्दाज कर दिया जिन्हें दिया गया था। अब सरकार एक ऐसा परिवर्तन करने जा रही है जिसका परिणाम कुछ दूसरा ही होगा। आज यह हमारा दुर्भाग्य है कि जो लोग शहरों में रहते हैं वे गांव के जीवन को बहुत कम जान पाते हैं। आज ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल खोले जाते हैं, वहां पर डाक्टर भेजे जाते हैं, लेकिन चूंकि वहां पर शहरों जैसी सुविधायें नहीं मिल पातीं, इसलिये वे डाक्टर लोग वहां पर रहना पसन्द नहीं करते और परिणाम यह होता है कि वहां पर डाक्टर नहीं रहते। यह जो विधेयक हम पास कर रहे हैं यह देहाती क्षेत्रों से ही संबंधित है। शहरों के लिये तो नगरपालिकायें होती हैं, उनमें गांव का एक भी प्रतिनिधि नहीं पहुंच पाता है। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह सब जो कुछ भी सरकार कर रही है उसका केवल एक ही कारण है कि सरकार को अब अपने ऊपर भरोसा नहीं रह गया है, यह घबराई हुई सी है, इसको अब आगे जाने की उम्मीद नहीं रह गयी है, इसलिये वह कुछ सहारा ढूंढ़ना चाहती है। आप यह नहीं देखते कि इससे गरीब आदमी को कितनी परेशानी होती है। मैं तो यह चाहूंगा कि आप कम से कम उन गरीबों को अपने दायरों में काम करने का मौका दें.....

श्री अध्यक्ष—अब चूंकि ५ बज चुके हैं, आप अपना भाषण कल जारी रखें, क्योंकि अभी तो आप और समय लेंगे ?

श्री मोतीलाल अवस्थी—अब कल ही बोलूंगा।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ:
१७ मई, १९६१।

रामप्रकाश,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०९ पर)

नैनी के उन लोगों की सूची जिनको १९५७ से १९६० तक कारखानों के लिये बिजली स्वीकृत की गई परन्तु उन्होंने उसका उपयोग नहीं किया या स्वीकृत बिजली नहीं ली

नाम	कितनी बिजली स्वीकृत की गई
जिन्होंने बिजली ले ली परन्तु उपयोग नहीं किया	
१—श्री जी० पी० अग्रवाल, इन्डस्ट्रियल कालोनी, नैनी। ..	१० हार्स पावर ।
जिनको बिजली स्वीकृत की गई परन्तु उन्होंने उसको लेने के लिये उचित कार्यवाही नहीं की या निर्धारित समय में नहीं ली	
२—श्री एस० आर० अग्रवाल, नैनी	२० हार्स पावर ।
३—श्री आर० पी० तिवारी, नैनी बाजार, नैनी ..	१० हार्स पावर ।
४—श्री अहमद उल्ला	१/२ हार्स पावर ।
५—सब-डिवीजनल आफिसर, रिहान्द हाइड्रो इलेक्ट्रिक सब-डिवीजन, नैनी।	८ किलोवाट ।
६—श्री एस० एन० जैसवाल, नैनी	१० हार्स पावर ।
७—सर्व श्री नैनी उद्योग, प्राइवेट लिमिटेड, नैनी ..	१५ हार्स पावर ।
८—श्री अहमद उल्ला, नैनी	०.५ हार्स पावर ।
९—सर्वश्री प्रयागराज फाउन्ड्री कम्पनी इन्डस्ट्रियल स्टेट, नैनी ..	३० हार्स पावर ।
१०—श्रीमती नौरंगी देवी, नैनी	१० हार्स पावर ।
११—श्री अहमद उल्ला, नैनी	७.५ हार्स पावर ।
१२—श्री एम० पी० रायजादइन्डस्ट्रियल कालोनी, नैनी ..	२८ किलोवाट ।
१३—सर्वश्री अयोध्या आइरन फाउन्ड्री, नैनी ..	३ हार्स पावर ।
१४—श्रीमती के० द्विवेदी इन्डस्ट्रियल कालोनी, नैनी ..	३ हार्स पावर ।
१५—श्री वी० पी० शर्मा इन्डस्ट्रियल कालोनी, नैनी ..	३ हार्स पावर ।
१६—सर्वश्री आनन्द मेटल वर्क्स इन्डस्ट्रियल इस्टेट, नैनी ..	१.५ हार्स पावर ।
१७—श्री बी० पी० हजेला, भारत ग्लास फैक्ट्री, नैनी ..	१० हार्स पावर ।
१८—श्री घनश्याम दास शौल, इन्डस्ट्रियल कालोनी, नैनी ..	१० हार्स पावर ।
१९—सर्व श्री रामा स्टील वर्क्स इन्डस्ट्रियल कालोनी, नैनी ..	१० हार्स पावर ।
२०—श्री० वी० पी० हजेला, नैनी	१० हार्स पावर ।
२१—सर्वश्री नवभारत उद्योग सहकारी समिति, इन्डस्ट्रियल स्टेट, नैनी	६.७५ हार्स पावर ।
२२—श्री सरदार सिंह दवार इन्डस्ट्रियल स्टेट, नैनी ..	२० किलोवाट ।
२३—सर्वश्री दीपक वायर प्राडक्टस इन्डस्ट्रियल कालोनी, नैनी ..	२०० हार्स पावर ।
२४—सर्व श्री इन्डियन इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन इन्डस्ट्रियल इस्टेट, नैनी	२५ किलोवाट ।
२५—सर्वश्री नैनी इन्जीनियरिंग वर्क्स, नैनी। ..	१६० किलोवाट ।

नत्थी 'ख'

(देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०९ पर।)

संस्थायें जिनको सन् १९५९–६० में अनुदान दिया गया

संस्थाओं के नाम	धन जो १९५९–६० में स्वीकृत किया गया।
	रुपया
१—बरवार नवयुवक संघ, गोड़ा	३००
२—जिला पिछड़ा वर्ग संघ, फतेहपुर	२००
३—यू० पी० सफाई मजदूर संघ, लखनऊ	३००
४—आर्य शिल्पकार सुधारिणी सभा, अल्मोड़ा	५००
५—अतिरिक्त जिलाधीश (नियोजन), इलाहाबाद ..	५००
६—आर्य प्रतिनिधि सभा, लखनऊ	१,५००
७—भारतीय दलित वर्ग संघ, इलाहाबाद	१००
८—रविदास महासभा, मेरठ	१००
९—सुदर्शन पंचायत महासभा, इलाहाबाद	२५०
१०—कस्तूरबा महिला उत्थान मण्डल, अल्मोड़ा	१,२००
११—रविदास महासभा, इलाहाबाद	१००
१२—जिला दलित वर्ग संघ, सहारनपुर	१५०
१३—रविदास महासभा, एटा	१००
१४—हरिजन सेवक संघ, टेहरी गढ़वाल	२००
१५—राज भार सेवा संघ, जौनपुर	१००
१६—रविदास जयंती महोत्सव, फतेहपुर, जिला सहारनपुर ..	१००
१७—राजभार सभा, चन्दौली	१००
१८—भंगी सेवक संघ, गाजीपुर	२००
१९—हरिजन सम्मेलन, आगरा	२००
२०—उत्तर प्रदेशीय दलित वर्ग संघ, लखनऊ	५,३८०
२१—यू० पी० हरिजन सेवक संघ, देहरादून	३,७००
२२—चन्दौली सम्मेलन, वाराणसी	१००
२३—जिला हरिजन नवयुवक संघ, वाराणसी	१००
२४—कंजर गृह उद्धार समिति, इलाहाबाद	१००
२५—हरिजन उत्थान समिति, देवरिया	२००
२६—हरिजन सेवक संघ मध्य उत्तर प्रदेश	३,२००
२७—हरिजन सेवक संघ पूर्वी शाखा	३,२००
२८—यू० पी० पिछड़ा वर्ग संघ, लखनऊ	४,०००
	२६,१८०

विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२४ पर)

सार्वजनिक निर्माण विभाग पुनस्संगठन समिति द्वारा निर्माण विभाग के अन्वेषणालय के संबंध में दिये गये अभिस्ताव

(प्रश्न संख्या ४२)

१—सार्वजनिक निर्माण विभाग का वर्तमान अन्वेषण संगठन निम्नलिखित आधार पर पुनस्संगठित होना चाहिये :—

(क) अन्वेषण इंस्टीट्यूट को अन्वेषण संचालकालय के प्रभार में रखना चाहिये।

(ख) संचालक के अधीन तीन उप-संचालक होने चाहिये। इनमें से एक उप-संचालक क्षेत्रीय कार्य के लिये तथा शेष दो प्रयोगशालाओं के विभिन्न अनुभागों के लिये रखे जा सकते हैं।

(ग) सहायक अन्वेषण अधिकारियों की संख्या कार्य के परिमाण के अनुसार घटबढ़ सकती है। इस समय के लिये यह अभिस्ताव किया जाता है कि १२ सहायक अन्वेषण अधिकारी तथा इतने ही प्रयोगशाला सहायक (Laboratory Asstt.) रखे जाने चाहिये।

इस समय पुनस्संगठित अन्वेषण इंस्टीट्यूट का कार्य ध्यान से देखना चाहिये।

२—सहायक रसायनज्ञों (Asstt. Chemists) तथा सहायक भू-गर्भ वेत्ताओं (Asstt. Geologists) के पदों के वेतन क्रम को बढ़ाकर सहायक अन्वेषण अधिकारियों (Asstt. Research Officers) के पदों का वेतन-क्रम कर देना चाहिये और उस (वेतन-क्रम) को सहायक अभियन्ता का वेतन-क्रम अर्थात २५०–८५० रु० (जिसका प्रारंभिक वेतन ३०० रु० प्रतिमास हो) कर देना चाहिये।

३—जूनियर सहायक रसायनज्ञों (Junior Asstt. Chemists) का पद नाम अन्वेषण सहायक कर देना चाहिये तथा उन्हें ओवरसियरों का वेतन अर्थात १२०–२५० रु० मिलना चाहिये।

४—लेबोरेटरी असिस्टेन्टों को ८०–१३० रु० का वेतन-क्रम देना चाहिये।

नत्थी "घ"

(देखिये तारांकित प्रश्न ४७ का उत्तर पीछे ६२५ पृष्ठ पर)

बरेली जिला

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बनी सड़कों की सूची

पक्की सड़कें	मील	फ०	फीट	कच्ची सड़कें	मील	फ०	फीट
१--बरेली-पीलीभीत-नेवरिया	२२	४	४७३	†१--बुखारा-मानपुर चकटिया	५	०	०
२--बिठौरा-शाही-शीशगढ़	१८	२	०				
	(लगभग)						

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बनी सड़कों की सूची

१--बिठौरा-शाही-शीशगढ़	१	२	६२५	*१--आंवला-भमौरा	७	०	०
२--अटामांडा-धनौरा	३	१	०	२--बहेड़ी-तुलशमपुर	२	४	०
				३-बहेड़ी-रामपुरा	१	१	०
				४-बहेड़ी-मदनपुर	२	१	०
				५-गुरवारा-जोखनपुर	०	७	०
				६-कनमान-दोपहरिया	१	०	०
				७-बहेड़ी-मानपुर	०	३	०

**

सीमेंट कंकरीट ट्रैक्स

१--बुखारा मानपुर-चकटिया	४	०	०
२--बहेड़ी-मानपुर	६	०	०

---

†इस सड़क पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सी० सी० ट्रैक डाला गया।

*यह सड़क पक्की बनाई जायेगी।

**इन सड़कों पर सीमेन्ट कंकरीट ट्रैक डाला जायेगा।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२९ पर)

विवरण

(क) आगू नदी के ऊपर चन्दौसा का पुल यातायात के लिये २० फरवरी, १९५७ को खुला था। तब से १९६० तक टोल टैक्स के रूप में प्रति वर्ष वसूल हुये धन का विवरण निम्न प्रकार हैं—

वर्ष	टोल टैक्स के रूप में वसूल हुआ था
	रु०
१९५७	२३,६७९
१९५८	४७,१३०
१९५९	९०,३१४
१९६०	९२,३८५
कुल योग ..	२,५३,५०८

(ख) इस पुल पर निम्नलिखित कर्मचारी उनके आगे लिखे वेतन-क्रम में कार्य करते हैं—

कर्मचारियों का पद	पदों की संख्या	वेतन-क्रम
१—कैशियर-कम-एकाउन्टेन्ट	१	रु० ८०-५-१०० द० रो०-६-१३०
२—कलेक्शन क्लर्क	३	० ६०-३-९० द० रो०-४-११०
३—गार्ड	३	रु० २२-१/२—२७
४—चौकीदार	३	रु० २२-१/२—२७

(ग) इस पुल के निर्माण में कुल १२,५०,००० रुपये व्यय हुये हैं।

संसद सदस्य सूचना

नत्थी "च"

(देखिये तारांकित प्रश्न ६१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३० पर)

विवरण

अस्थायी तौर पर कन्फर्म किये गये (provisionaly confirmed) रजिस्ट्रेशन क्लर्कों की जिलेवार सूची—

बुलन्दशहर	..	..	..	१
मैनपुरी	..	..	..	१
बरेली	..	..	..	१
मिर्जापुर	..	..	..	१
गोरखपुर	..	..	..	२
अल्मोड़ा	..	..	..	१

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'छ'

सं० ३०५/एस/१८ सी

(देखिये पीछे पृष्ठ ६४१ पर)

उत्तर प्रदेश में स्थित चीनी मिलों द्वारा भुगतान किये जाने वाले गन्ने के मूल्य व नैनीताल, लखीमपुर, खीरी, बरेली, मुरादाबाद, देवरिया और गोरखपुर जिलों में स्थित चीनी मिलों के क्षेत्र के शेष गन्ने तथा उनके बन्द होने की अनुमानित तारीखों के विषय में वक्तव्य

मिलों द्वारा भुगतान किये जाने वाले गन्ने के मूल्य की स्थिति के विषय में

विवरण	स्थिति जो ३१-३-६१ को थी (लाख रुपयों में)	स्थिति जो १५-४-६१ को थी (लाख रुपयों में)
(१) कुल गन्ने का मूल्य जो देय है ..	४,३९१·९८	४,८६७.६७
(२) कुल गन्ने का मूल्य जो भुगतान हो चुका है ..	३९०१·८६	४,३११.६७
(३) शेष गन्ने का मूल्य जो भुगतान होना है ..	४९०·१२	५५५.९८
(४) कुल देय गन्ने के मूल्य में शेष गन्ने के मूल्य का प्रतिशत ..	११ प्रतिशत	११ प्रतिशत

नोट—यह स्थिति उस समय की है जब केवल चीनी की रिलीज १५ से २० प्रतिशत हुई है ।

नैनीताल, लखीमपुर, खीरी, बरेली, देवरिया, गोरखपुर और मुरादाबाद जिलों में स्थित मिलों के क्षेत्र के शेष गन्ने व उनके बन्द होने की अनुमानित तारीखों की स्थिति के विषय में

जिले का नाम	चीनी मिल का नाम	प्रत्येक चीनी मिल के सामने अंकित शेष गन्ने की मात्रा जो उनके सामने लिखी हुई तारीखों को थी (लाख मनों में)		चीनी मिलों के बन्द होने की अनुमानित तारीख	अभियुक्तियां
१	२	३		४	५
१—गोरखपुर	(१) घुघली	६.९४	(३०-४-६१)	जून का प्रथम सप्ताह	
	(२) पिपराइच	६.७५	,,	,,	
	(३) आनन्द नगर	२.६५	,,	मई का द्वितीय सप्ताह	
	(४) सिसवा	२.९२	,,	,,	
	(५) सरदार नगर	२४.६७	,,	जून का द्वितीय सप्ताह	
२—देवरिया	(६) छितौनी	४.०	(११-५-६१)	मई का अन्त	
	(७) खड्डा	२.०	,,	मई का चतुर्थ सप्ताह	

जिले का नाम	चीनी मिल का नाम	प्रत्येक चीनी मिल के सामने अंकित शेष गन्ने की मात्रा जो उनके सामने लिखी हुई तारीखों को थी (लाख मनों में)	चीनी मिलों के बन्द होने की अनुमानित तारीख	अभियुक्तियां
१	२	३	४	५
	(८) कप्तानगंज	९.० ११-५-६१	जून का मध्य	
	(९) लक्ष्मीगंज	१.८० ,,	मई का चतुर्थ सप्ताह	
	(१०) रामकोला (पी)	३.७५ ,,	,,	
	(११) रामकोला (खेतान)	२.५० ,,	,,	
	(१२) पड़रौना	४.०० ,,	,,	
	(१३) कठकुइंया	३.०० ,,	,,	
	(१४) स्योराही	७/८.०० ,,	जून का द्वितीय सप्ताह	
	(१५) देवरिया	८-५-६१-को बन्द हो गई		
	(१६) बैतालपुर	३.००	मई का चतुर्थ सप्ताह	
	(१७) भटनी	१६-४-६१-को बन्द हो गई।		
	(१८) परताबपुर	४-५-६१-को बन्द हो गई		
	(१९) गौरीबाजार	३.००	मई का चतुर्थ सप्ताह	
३—लखीमपुर खीरी	(२०) गोला	२६.० (९-५-६१)	७-६-६१-मई का अन्त	
	(२१) ऐरा		मई का अन्त	
४—बरेली	(२२) बहेड़ी	२२.० (७-३-६१)	जून का प्रथम सप्ताह	
	(२३) बरेली	१२.५०	मई का तृतीय सप्ताह	
५—मुरादाबाद	(२४) अमरोहा	२०.८० (१५-४-६१)	जून का द्वितीय सप्ताह	
	(२५) बिलारी	१४.००	मई का चतुर्थ सप्ताह	
६—नैनीताल	(२६) बाजपुर	८.०० (१-५-६१)	मई का अन्त	
	(२७) काशीपुर	९.० (३-५-६१)		

चन्द्रभानु गुप्त,
मुख्य मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—९८ एल० ए०—१९६१—८४५।